CONTENTS

Fifteenth Series, Vol.XVIII, Eighth Session, 2011/1933 (Saka) No.19, Monday, August 29, 2011/Bhadra 7, 1933(Saka)

SUBJECT	PAGES
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.361 to 364	2-29
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.365 to 380	30-78
Unstarred Question Nos.4141 to 4370	79-444

^{*}The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE		446-471	
COM	IMITTEE ON AGRICULTURE 22 nd to 25 th Reports	471	
STA	NDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS (i)9 th and 10 th Reports (ii)Statement	472 472	
STA	NDING COMMITTEE ON COAL AND STEEL (i)16 th to 19 th Reports (ii) Statement	473 473	
Statu in the Empe	rementation of the recommendations contained at 1st Report of Standing Committee on Social Justice and owerment on Demands for Grants (2009-10), pertaining a Ministry of Social Justice and Empowerment Shri Mukul Wasnik	474	
MAT	TERS UNDER RULE 377	491-506	
(i)	Need to start work on setting up of Silk Park in Kancheepuram district, Tamil Nadu		
	Shri P. Viswanathan	491-492	
(ii)	Need to expedite construction of railway line from Kapilvastu to Basti in Uttar Pradesh		
	Shri Jagdambika Pal	493	
(iii)	Need to impress upon the State Governments particularly Madhya Pradesh Government to make provisions for installation of solar power systems in state-owned buildings		
	Shri Narayan Singh Amlabe	494	

(iv)	Need to take favourable action to end economic blockade in Manipur	
	Dr. Thokchom Meinya	495
(v)	Need to repair National Highway No. 12 in Rajasthan	
	Shri Dushyant Singh	496
(vi)	Need to provide pension to retired employees of Navodaya Vidyalaya Samiti under CCS (Pension) Rules, 1972	
	Shri Kirti Azad	497
(vii)	Need for payment of Royalty to State Government on well- head price of Crude oil	
	Shri Balkrishna Khanderao Shukla	498
(viii)	Need to take measures for strengthening educational, industrial and Panchayati Raj Institutions in Jammu & Kashmir	
	Dr. Rajan Sushant	499
(ix)	Need to refurbish and strengthen the Bathing Ghats in Allahabad in Uttar Pradesh keeping in view the upcoming Kumbh Mela	
	Shri Kapil Muni Karwariya	500
(x)	Need to give environmental clearance to construct iron gate of Kutku dam, part of the inter-state North Koel Irrigation Project, in Latehar district, Jharkhand	
	Shri Sushil Kumar Singh	501

29.08.2011 4

(xi)	Need to include Dalit Christians and Muslims in the list of Scheduled Castes	
	Shrimati J. Helen Davidson	502
(xii)	Need to rejuvenate health care system in the country	
	Shri P.R. Natarajan	503
(xiii)	Need to provide grant under Sarva Siksha Abhiyan to Odisha Government as per the recommendations of 13 th Finance Commission	
	Shri Bhartruhari Mahtab	504
(xiv)	Need to set up a Super Speciality Hospital at Piduguralla town in Guntur District, Andhra Pradesh	
	Shri M. Venugopala Reddy	505
(xv)	Need to start operation of Iron Ore Mines of Steel Authority of India at Gua in West Singhbhum district, Jharkhand	
	Shri Madhu Koda	506
	ENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION HILDREN) AMENDMENT BILL, 2011	507-585
	Motion to Consider	507
	Shri Pawan Kumar Bansal	507-509
	Shri Anurag Singh Thakur	510-516
	Dr. Girija Vyas	517-525
	Shri Shailendra Kumar	526-529
	Shri Gorakhnath Pandey	530-532
	Shri Kaushalendra Kumar	533-534
	Shri R. Thamaraiselvan	535-537
	Shrimati Sushmita Bauri	538-540

29.08.2011 5

	Shri Mohan Jena	541-543
	Shri Anant Gangaram Geete	544-545
	Dr. P. Venugopal	546-547
	Shrimati J. Helen Davidson	548-550
	Shri P. Lingam	551-552
	Shri Jagadanand Singh	553-554
	Shri Virendra Kumar	555-557
	Chaudhary Lal Singh	558-599
	Shri Nripendra Nath Roy	560-561
	Shri Prasanta Kumar Majumdar	562-564
	Dr. Tarun Mandal	565-567
	Shrimati Annu Tandon	568-572
	Shrimati Rama Devi	573-574
	Shrimati Putul Kumari	575-576
	Shri Harish Chaudhary	577
	Clauses 2, 3 and 1	585
	Motion to Pass	585
	ONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION ENDMENT) BILL, 2011	586-592
		586-592 586
	ENDMENT) BILL, 2011	
	ENDMENT) BILL, 2011 Motion to consider	586
(AME	ENDMENT) BILL, 2011 Motion to consider Shri Kapil Sibal	586 586-589
(AME	ENDMENT) BILL, 2011 Motion to consider Shri Kapil Sibal Shri Virender Kashyap F-AN-HOUR DISCUSSION	586 586-589 590-592
(AME	ENDMENT) BILL, 2011 Motion to consider Shri Kapil Sibal Shri Virender Kashyap F-AN-HOUR DISCUSSION mand and supply of power	586 586-589 590-592 593-606
(AME	Motion to consider Shri Kapil Sibal Shri Virender Kashyap F-AN-HOUR DISCUSSION mand and supply of power Shri Jagadanand Singh	586 586-589 590-592 593-606 593-596
(AME	Motion to consider Shri Kapil Sibal Shri Virender Kashyap F-AN-HOUR DISCUSSION mand and supply of power Shri Jagadanand Singh Shri Syed Shahnawaz Hussain	586 586-589 590-592 593-606 593-596 597-600

Shri Devji M. Patel	600
Shri Sushilkumar Shinde	601-606
ANNEXURE – I	
Member-wise Index to Starred Questions	610
Member-wise Index to Unstarred Questions	611-617
<u>ANNEXURE – II</u>	
Ministry-wise Index to Starred Questions	618
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	619

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia
Shri P.C. Chacko
Shrimati Sumitra Mahajan
Shri Inder Singh Namdhari
Shri Francisco Cosme Sardinha
Shri Arjun Charan Sethi
Dr. Raghuvansh Prasad Singh
Dr. M. Thambidurai
Dr. Girija Vyas
Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, August 29, 2011/ Bhadra 7, 1933(Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Q. No. 361.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Dr. Tarun Mandal, please put your first supplementary.
... (*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, हमने विशेषाधिकार का नोटिस दिया है। संसद का अपमान किया गया है।...(व्यवधान) हम चाहते हैं कि इस पर आपकी रुलिंग आए। यह बड़ा गम्भीर मामला है।...(व्यवधान)

11.01 hrs.

At this stage Shri Shailendra Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

(Q. No. 361)

MADAM SPEAKER: Q. No. 361, Dr. Tarun Mandal.

DR. TARUN MANDAL: Madam, I have gone through the reply given by the hon. Minister, which seems to be very prototype and not satisfactory. ... (*Interruptions*) Due to unprecedented price rise of essential commodities over and above abject poverty and adult unemployment, child labour is increasing in number. Some NGOs and independent agencies have estimated it in the range of six crores to 12 crores. ... (*Interruptions*) Despite the measures being adopted by the Labour and Employment Ministry to tame this menace, those have been virtually ineffective. ... (*Interruptions*)

Globalization, liberalization and privatization policies by the Union Government and the respective State Governments have helped to increase pauperization of people enhancing the rich-poor gap in the last two decades. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Dr. Tarun Mandal says.

(Interruptions) ...*

MADAM SPEAKER: Please do not take so much time. Put your question.

DR. TARUN MANDAL: Madam, I am putting the question.

Our motherland has become the capital of child labour in the world!

Madam, in reply to a Question on the 13th July, 2009, the hon. Minister replied that there were 9,800 Special Schools under NCLP with five lakh children. Also in the Ministry's Annual Report for 2010-11, which has been published, says that the numbers stand as 8,710 schools with 3.39 lakh students. ... (*Interruptions*) MADAM SPEAKER: Again you are not asking the question.

DR. TARUN MANDAL: My question is this. How have these numbers reduced so much? Are they due to lack of funds or lack of students or lack of NGOs? That is my question to the hon. Minister.

_

^{*} Not recorded.

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइये, हम इसे बाद में देखेंगे।

...(व्यवधान)

11.03 hrs.

At this stage Shri Shailendra Kumar and some other hon. Members went back to their seats

अध्यक्ष महोदया : हम इसे देख लेंगे, देखकर बता देंगे। अभी आप बैठ जाइये।

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam, after I had assumed the charge as the Minister – the hon. Member also knows it – for the first time, we increased the stipend for NCLP students from Rs.100 to Rs.150, and also the budget allocation had been increased from Rs.135 crore to Rs.373 crore. It means that the Government is taking positive steps. Wherever NGOs are coming forward, we are taking action. ... (*Interruptions*) As the hon. Member is well aware, now we have started compulsory education. ... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : हम देखकर बतायेंगे, अभी आप बैठ जाइये। अभी हम कैसे बता दें, हम देखकर बतायेंगे। ...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Under the Compulsory Education Act, every child is getting education. Now, we have the Right to Education Act. Every child is getting education. For the children who are working, we have enhanced the stipend, schooling and also the budget. The Mid-day Meal Scheme is also made available to these children. Therefore, the Government is taking all actions to improve the conditions of the child labour. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Dr. Tarun Mandal, you put your second supplementary.

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइये, अभी क्वैश्चन ऑवर चलने दीजिए। क्वैश्चन ऑवर के बीच में हम नहीं बता सकते।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Dr. Tarun Mandal says.

DR. TARUN MANDAL: Madam, the Minister has said that all efforts are taken by the Labour Ministry. I have seen in the reply given by the hon. Minister that in the last three years, the fund allocated to NGOs for running these Special Schools is very meagre. Our Labour Ministry has formed many Working Groups, Expert Committees and High Level Committees to tame this menace.

Madam, the hon. Supreme Court and even the Delhi High Court have issued certain directions for survey, rehabilitation, punishment and compensation, etc.

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए, प्रश्न काल चलने दीजिए। प्रश्न काल के बीच में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं? बैठ जाइए

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपका जो नोटिस है, उस पर हम प्रश्न काल के बाद रुलिंग देंगे, बैठ जाइए

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Dr. Mandal, please be brief.

DR. TARUN MANDAL: I am asking my Supplementary.

In the Rajya Sabha, the State Minister of Labour had said that number of punishment and prosecution against the rule violators was very less. It was only one in 2008-09; two in 2009-10; and nil in 2010-11.

I would like to know from the hon. Minister, what concrete steps and measures his Ministry is taking to tame this menace and to eradicate the child labour.

MADAM SPEAKER: Why are you prolonging it so much? Please ask your question.

_

^{*} Not recorded.

DR. TARUN MANDAL: I have asked, Madam, as to what concrete steps and measures the hon. Minister is taking to eradicate child labour form our country. There should not be any shifting of responsibility to the State Government.

MADAM SPEAKER: Again, you are going on!

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam Speaker, we have taken several steps for eradication of child labour. One is prevention; another is rescue and repatriation; another is rehabilitation. In addition to this, there are several other steps that we have taken.

The hon. Member has asked that the expenditure on child labour is very low. But let me inform him that Rs. 373 crore has been given this year. Earlier, it was only Rs. 135 crore. In 2008-09, 2009-10, 2010-11 respectively, the grants were enhanced. The NGOs are getting 75 per cent of the grants. Whatever schools are run by the Deputy-Commissioners, they would get 100 per cent funding. Therefore, the question of reduction of funding does not arise.

Apart form that, the hon. Member has also asked about the prosecutions. In 2006, nearly 4,00,549 inspections were carried out. Out of that, the number of violations was 9712; the number of prosecutions was 10,630; the number of convictions was 1,237; the number of acquittals was 949. I have got the information of 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, and 2011. If the hon. Member wants this, I would supply the same to him. Otherwise, if he wants all this information here, I would read all the detailed information here.

Then, In 2011, Madam, 8,354 cases were inspected where violations was found in 239 cases. The number of prosecutions took place in 71 cases. About the conviction/acquittal, the judgement has not come. Therefore, we are continuing with the inspections.

I agree with him that in some of the industries, there are some inspectors who would not take interests; there may be certain States, which would not take interests. In such places, there the prosecution and conviction cases may be less.

But if the hon. Member has got any specific grievances or complaints, he may bring it to my notice, I would look into that and get it inquired.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: अध्यक्ष महोदया, जहां तक चाइल्ड लेबर की बात है, आज यह नौबत आई क्यों? क्योंकि आज भी देश में लगभग 40 प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। उन बच्चों को सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है, शायद उनके माता-पिता उनको दो वक्त की रोटी भी नहीं दे पाते हैं। महंगाई अलग विषय है, लेकिन उसके बावजूद भी दो वक्त की रोटी नहीं दे पाते हैं। उनको कहीं न कहीं काम करने पर मजबूर किया जाता है। जो आंकड़े यहां पर दिए गए हैं उनके अनुसार बच्चों को रिहैबिलिटेट किया गया है और लगभग 2 लाख 98 हजार बच्चों की बात कही गई है। मैडम ज्यादातर देखा गया है कि स्कीम्स् में चार्ट लगा दिए जाते हैं कि गांवों में 2100 कैलरीज़ खानी चाहिए और शहरों में 2500 कैलरीज़ खानी चाहिए। लेकिन अधिकतर लोगों को यह नहीं पता कि शायद वह कैसे पूरी होंगी। मुझे मंत्री महोदय जी से केवल इतना जानना है कि क्या इनके पास आज ऐसी कोई सूची है कि कितने शहरों में, जिन फैक्ट्रीज़ में चाइल्ड लेबर है, क्या उन्हें दंड दिया जाता है? रिहैबिलिटेशन की जो बात कही गयी, क्या इनके पास स्टेटवाइज सूची है कि किन प्रदेशों में चाइल्ड लेबर ज्यादा है और वहां पर इन्होंने क्या उचित कदम उठाये हैं? क्या मंत्री महोदय इसकी जानकारी सदन को देंगे?

श्री मिल्लकार्जुन खरगे: महोदया, स्टेटवाइज डिटेल इन्फॉर्मेंशन मेरे पास नहीं है। जो आपने पूछा कि पंचायत के सामने या गांव में जो नोटिस लगाते हैं, खासकर ए न्यूट्रिशन एंड फूड नॉर्म्स के बारे में, आपको मालूम ही है कि आइटम्स कैलोरीज, प्राइमरी 450, अपर प्राइमरी 700, प्रोटीन 12 ग्राम्स और अपर प्राइमरी के लिए 20 ग्राम्स, ऐसा हर पल्सेस में, राइस में, वैजीटेबल आयल्स में इन सभी चीजों को सामने रखते हुए एन.सी.एल.पी. स्कूल्स को देना चाहिए। अगर किसी स्कूल में शिकायत है तो उनके ऊपर एक्शन लिया जायेगा।

श्री नवीन जिन्दल: महोदया, कुछ ही दिन पहले मैंने आपके माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती कृष्णा तीरथ जी से बच्चों की परिभाषा जाननी चाही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 18 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे होते हैं, उन्हें बच्चा ही माना जाता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार जो बच्चों की परिभाषा दी गयी है, उसमें लिखा गया है कि 14 साल की उम्र से कम आयु के बच्चे किसी भी हैजार्ड्स इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम अलग-अलग एक्ट्स को देखें तो अलग-अलग एक्ट्स में बच्चों की उम्र अलग-अलग दी हुई है और ज्यादातर एक्ट्स बच्चों की उम्र 14 साल

है। जैसे हम चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेग्युलेशन एक्ट की बात करें तो उसमें बच्चों की परिभाषा 14 साल से कम उम्र दी हुई है। बीड़ी और सिगार वर्कर्स कंडीशन एम्प्लायमेंट एक्ट की बात करें तो उसमें भी 14 साल है, फैक्ट्रीज एक्ट में भी 14 साल है और अगर हम माइन्स एक्ट की बात करें तो उसमें 18 साल की उम्र है, जो पहले 15 साल हुआ करती थी। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2000 की बात करें तो उसमें 18 साल आयु निर्धारित है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इसमें सरकार कोई कदम उठायेगी कि जो ये अलग-अलग एक्ट्स के अंदर बच्चों की जो अलग-अलग आयु दी हुई है, इसे 14 साल से बढ़ाकर, इनमें बच्चों की आयु की जो परिभाषा है, इसे 18 साल कर दिया जाये। तािक जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वे अपना समय शिक्षा प्राप्त करने में दे सकें, वे इस समय का उपयोग अपने आपको मजबूत बनाने में कर सकें। क्या माननीय मंत्री जी अलग-अलग एक्ट्स में दी गयी बच्चों की उम्र की परिभाषा में समानता लाने के लिए बच्चों की उम्र को 14 साल से बढ़ाकर 18 साल करने की दिशा में ठोस कदम उठायेंगे?

श्री मिल्लिकार्जुन खरगे: महोदया, श्री जिन्दल साहब ने जो कहा है, वह ठीक है। हमारे संविधान में कम्पलसरी एजुकेशन सिक्स टू फोर्टीन है। हमारे कम्पलसरी एजुकेशन एक्ट में भी छह से चौदह साल तक ही है। छह से चौदह साल तक की आयु कम्पलसरी एजुकेशन एक्ट में रहने की वजह से हमारे लेबर एक्ट में भी चौदह साल की ही लिमिट रखी गयी है। चौदह साल की आयु से ऊपर के बच्चे ही वहां काम कर सकते हैं। चौदह साल की आयु के नीचे के बच्चे हैं, वे हैजार्ड्स आक्युपेशन में काम नहीं कर सकते। हैजार्ड्स ऑक्युपेशन में 18 आक्युपेशन और नियरली 65 प्रोसेसंस उसमें नोटिफाई की गयी हैं। जो कोई भी इंडस्ट्री हैजार्ड्स मानी जाती है, तो हम उस इंडस्ट्री का नोटिफिकेशन करते हैं। उसमें काम करने के लिए उन्हें प्रोहिबिट किया जाता है। कृषि में, घर में काम करने वाले बच्चे, जो बच्चे माता-पिता को मदद करते हैं, ऐसे आक्युपेशन के लिए प्रोहिबिशन नहीं है। माननीय सदस्य यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं तो यूनिफॉर्मिटी के लिए एक नेशनल कन्सेंसस होना चाहिए क्योंकि हर एक्ट में यह डिफरेंट है। वुमैन एंड चाइल्ड एक्ट में 18 वर्ष है, लेबर एक्ट में 14 वर्ष है, माइन्स एंड एक्सप्लोजिव एक्ट में 18 वर्ष है।

इसीलिए इस पर एक कनसैन्सीस बनाकर, क्या सरकार अपने राइट टू एजुकेशन एक्ट को 6 से 18 साल कर सकती है और दूसरी स्कीम्स में भी कर सकती है। इसमें बहुत बड़ा फाइनैंशियल इनवाल्वमेंट भी है। सभी विभाग और मंत्रालयों को इस बारे में सोचना होगा और कनसैन्सीस करके 14 से 18 साल की आयु करने के बारे में सोचना होगा। हम इस पर एग़जामिन करके, जो हो सकता है करेंगे। फिलहाल हम कोशिश



कर रहे हैं। कुछ हैज़ार्ड्स ऑक्यूपेशन्स, माइन्स इत्यादि में तो हमने 18 साल करने का प्रपोजल बना लिया है, लेकिन दूसरी किन इंडस्ट्रीज़ में हम ला सकते हैं, इस पर हम सभी से राय मशविरा करके सोचेंगे। श्रीमती मीना सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभार प्रकट करती हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की है।

महोदया, माननीय मंत्री जी ने मूल प्रश्न के जवाब में ढेर सारी योजनाओं एवं उनके कार्यक्रमों की चर्चा बाल श्रमिकों के पुनर्वास के संबंध में की है। लेकिन सच्चाई यह है, जिससे आप एवं पूरा सदन सहमत होगा, कि आज जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो हर रेड लाइट पर अख़बार, खिलौने या अन्य तमाम तरह के सामानों की बिक्री करते हुए या भीख मांगते हुए बच्चों का सामना हमें करना पड़ता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में करीब 6 करोड़ बाल मज़दूर हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर बाल श्रम को रोकने एवं उनके पुनर्वास करने की दिशा में अनेक आदेश जारी किए हैं। इस महान सदन में भी माननीय सदस्यगण हमेशा बाल श्रम उन्मूलन एवं उनके पुनर्वास से संबंधित प्रश्न पर चिंता व्यक्त करते रहते हैं।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि जब सरकार ने इतनी सारी योजनाएं और कार्यक्रम बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए चलायी हैं तो फिर लगातार बाल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है? उसको रोकने और उनके पुनर्वास के लिए सरकार कौन-कौन से कठोर क़दम उठाने का इरादा रखती है?

श्री मिल्लिकार्जुन खरगे: अध्यक्ष महोदया, यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1991 और उसके बाद वर्ष 1996 में डायरैक्शन दिया था...(व्यवधान) The first judgement was given in 1991. Later on, it was improved and given in 1996. Afterwards, whatever the information they are asking, all the governments are feeding and we are collecting, and the same thing we are feeding to the Supreme Court. एम.सी. मेहता के पहले केस के बाद से यह वर्ष 1996-97 से चलता हुआ आ रहा है। हमारी यह कोशिश है कि बैण्ड ऑक्यूपेशन में काम करने वाले जो बच्चे हैं, उनका किस प्रकार से पुनर्वास किया जाए, इस पर हम कोशिश कर रहे हैं। पहले वर्ष 2001 के सैन्सेस के मुताबिक 1.26 करोड़ वर्किंग चिल्डून थे। अभी वर्ष 2011 के फिगर्स नहीं आए हैं, लेकिन एनएसएसओ के मुताबिक यदि हम वर्ष 2004-05 के आंकड़े लें तो 90 लाख बच्चे हैजार्ड्स उद्योगों में काम कर रहे हैं।...(व्यवधान) Sorry, The number of working children is 90.75 lakhs. उसके बाद हैजार्ड्स काम करने वाले बच्चों की संख्या 12 लाख 20 हज़ार है। उसमें हमने अब तक 3 लाख 39 हजार बच्चों

को एनरोल किया है। एनसीएलपी स्कीम में अभी तक 7 लाख 5 हजार बच्चों को शिक्षा और मदद देने की कोशिश की गई है।

उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए इन तीन सालों में कोशिश की गयी है, उसके लिए 298611 बच्चों को मुख्य धारा में लाया गया है। इसलिए एक्सपेंडिचर वर्ष 2008-09 में 147.21 करोड़ रूपए, वर्ष 2009-10 में 95.27 करोड़ रूपए तथा वर्ष 2010-11 में 92.71 करोड़ रूपए है। इस साल उसे और भी बढ़ावा दिया गया है। जैसा मैंने अभी कहा कि इस साल मीड डे मील और दूसरी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ भी इनको दिया जा रहिं हैं हर बच्चे को जब वे स्कूल में रहते हैं, उसी वक्त उनको मीड डे मील का फायदा होता है। लेकिन एन.सी. एल.पी. स्कूल में जो बच्चे हैं, उनके लिए 310 दिनों का प्रावधान किया गया है और 310 दिनों तक उनको खाना दिया जाता है। वोकेशनल ट्रेनिंग देने और हेल्थ के बारे में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि कई बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। इसलिए शिक्षा का अधिकार एक्ट आया है। उसका पूरा फायदा सभी लोग उठाएंगे। पैरेन्ट्स को भी हमें अवेयर करना है। उसी के साथ एन.जी.ओज भी कोशिश करें। शायद शिक्षा का अधिकार अगर पूरी तरह लागू हुआ तो आइन्दा बाल श्रम पर प्रशन नहीं आएगा।

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I just want to say that children are our most precious national asset. There are some children who only learn and there are some children who learn and earn. I think we should all make concerted efforts to ensure that we reach a day very soon when all children go to school.

(Q. No. 362)

श्री हंसराज गं. अहीर: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि देश में लौह-अयस्क का जो उत्पादन है, वह मांग के अनुरूप होने की बात उन्होंने कही है, लेकिन देश में लौह-अयस्क का सीमित भंडार है। आज जो देश में करीब-करीब 120 मिलियन टन लौह-अयस्क की जरूरत है, वह पूरी होने की बात भी कही है। लेकिन भविष्य में इस्पात मंत्रालय का जो प्लान है, उसके अनुसार वर्ष 2020-21 में हमें 225 मिलियन टन इस्पात बनाना है, जिसके लिए करीब 400 मिलियन टन लौह-अयस्क की जरूरत होगी। मैं जानना चाहूंगा कि देश में सीमित भंडार होते हुए भी सरकार लौह-अयस्क के निर्यात पर क्यों जोर देती है? देश में लौह-अयस्क की प्रोसेसिंग करने के लिए निजी और सरकार कंपनियों ने नए-नए प्लान्ट बनाएं हैं। जो लौह-अयस्क उच्चतम कोटि का है, उसे उन्नत करने के प्रोसेस के लिए निजी कंपनियों ने देश में करीब-करीब 8000 करोड़ रूपए के प्लांट तैयार भी कर लिए हैं और इसका काम शुरू है।

देश में लौह-अयस्क सीमित है। देश में भविष्य में स्टील की जरूरत बढ़ने वाली है। देश में सरकारी और निजी कंपनियां स्टील बनाने के लिए निवेश करने जा रही हैं। फिर उसका निर्यात कर हमारे देश को पीछे ले जाने का प्रयास क्यों हो रहा है? यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, वह लोहे के माध्यम से खड़ा होने वाला है। देश की प्रगति होने वाली है। यहां मैं बताऊंगा कि चाइना सरीखा देश, जहां हमारे देश से ज्यादा लौह-अयस्क का रिजर्व है, फिर भी वे उत्खनन नहीं करते हैं, बल्कि हमारे देश से आयात करते हैं। गोवा में जितना लौह-अयस्क का उत्खनन होता है, वह 100 प्रतिशत चाइना जाता है।

अध्यक्ष महोदया : आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री हंसराज गं. अहीर: हमारी सरकार ने करीब-करीब दस करोड़ टन लौह-अयस्क का निर्यात किया है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि देश का भविष्य देखते हुए देश में जो संयंत्र लगे हैं, उनके लिए भविष्य में लौह-अयस्क की पूर्ति होनी चाहिए, इसलिए लौह-अयस्क के निर्यात पर पाबंदी लगाने के लिए क्या आप कुछ सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कोई नीति बनाने जा रहे हैं?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: मैडम, देश में लौह अयस्क का मौजूदा उत्पादन घरेलू लोहा और इस्पात उद्योग द्वारा लौह अयस्क की मौजूदा आवश्यकताओं से काफी अधिक है। हालांकि भारतीय इस्पात उद्योग द्वारा अत्यधिक क्षमता विस्तार की योजना बनाई गई है, इस पर विचार करते हुए इस्पात मंत्रालय का मत है कि एक गैर नवीनीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन होने के नाते लौह अयस्क को घरेलू इस्पात उद्योग के दीर्धावधिक



उपयोग के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। इसलिए लौह अयस्क का निर्यात किए जाने की बजाए इसकी नीतियों का लक्ष्य देश के भीतर लौह अयस्क के मूल्य संवर्धन पर केन्द्रित होना चाहिए।

सरकार ने निर्णय किया है कि देश के लौह अयस्क के संसाधनों का संरक्षण, लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगा कर अथवा इसे नियंत्रित करके हासिल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क की लेवी जैसे उपयुक्त वित्तीय उपायों के द्वारा अर्जित किया जाना चाहिए। श्री हंसराज गं. अहीर: अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने कहा कि प्रतिबंध लगाने के बारे में सोच रहे हैं, फिर उस पर निर्यात टैक्स बढ़ाने की बात क्यों कही जा रही है? मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं, इन्होंने जो जवाब में कहा है कि हम देश की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, स्टील प्लांटों को पूरा लौह अयस्क दे रहे हैं, यह सही नहीं है। मैं जहां से आता हूं, वहां पर इस चीज के छोटे-छोटे प्लांट्स हैं, चन्द्रपुर, नागपुर आदि कई एरियाज़ में लौह अयस्क नहीं मिलता है। ये छोटे प्लांट बंद होने की कगार पर हैं। इन्हें लौह अयस्क मिले। देश में ऐसे कई बड़े प्लांट हैं, जिन्हें इस्पात मंत्रालय ने पिछले वर्ष पुरस्कार भी दिया है, ऐसे प्लांटों में भी आज लौह अयस्क की कमी है। इन लोगों को लौह अयस्क मिले, इसके लिए खान मंत्रालय द्वारा जो लीज़ दी जाती है, ये लीज़ उन्हीं प्लांट्स को मिलनी चाहिए, जिन्हें लौह अयस्क की जरूरत है। यहां पर अधिकांश लीज़ उन्हें दी जा रही है, जो ट्रेडिंग करते हैं, मर्चेट्स हैं, उन कम्पनियों को दी जाती हैं, जिसमें लौह अयस्क को कालाबाजारी में अधिक दाम में बेचा जाता है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इन सभी संयंत्रों को संरक्षण देने हेतु, स्टील प्लांटों को मदद करने हेतु, खान मंत्रालय से मीटिंग करके, जो भी लीज़ जाएगी, वह लीज़ सभी संयंत्रों को मिले, इसके लिए क्या प्रयास करेंगे?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप एक ही प्रश्न पूछिए।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने हमारा ध्यान जिस तरफ आकर्षित किया है, यह आवश्यक है कि हमारे यहां जो स्टील प्लांट्स हैं, उन्हें पहले लौह अयस्क पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। मैं आपकी बात से समहत हूं, खान मंत्रालय से परमार्श करके इसका कोई निदान निकाला जाएगा।

श्री कामेश्वर बैठा: माननीय अध्यक्ष महोदया, विगत तीन वर्षों में एवं चालू वर्ष के दौरान झारखंड राज्य का लौह अयस्क का उत्पादन आंकड़ा सरकार द्वारा पेश किया गया है। इसमें झारखंड का वर्ष 2007-08 में 10983 मीट्रिक टन, वर्ष 2008-09 में 11471 मीट्रिक टन, वर्ष 2009-10 में 12296 मीट्रिक टन और वर्ष 2010-11 में 9431 मीट्रिक टन है। ये आंकड़े अपने आप में स्पष्ट करते हैं कि अवैध लौह अयस्क उत्पादन

हुआ, जब निजी कम्पनियों के अवैध उत्पादन एवं निर्यात पर नियंत्रण किया गया। क्या तीन साल में उत्पादन की क्षमता घट कर 9431 पर आ गई, यानी तीन हजार मीट्रिक टन कम हो गई है?

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस अवैध उत्पादन एवं निर्यात के लिए कौन सी निजी कम्पनी दोषी है, सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए? झारखंड राज्य के पूर्वी एवं पश्चिमी जिले से तीन वर्षों में करोड़ों में अवैध उत्पादन, निजी कम्पनियों द्वारा जाली खनन चालान के आधार पर निर्यात किया गया। उत्पादित लौह अयस्क में निर्यात की मात्रा वर्ष 2010-11 में 47 प्रतिशत क्यों कम हुई? क्या इस अवैध उत्पादन के निर्यात में मंत्रालयों का संलिप्त होने का संदेह पैदा नहीं करता है?

अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इसकी गहन जांच सीबीआई अथवा अन्य एजेंसी से कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब, नहीं तो क्यों? होनी चाहिए और इसे सीबीआई में देना चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कामेश्वर बैठा जी, आप मंत्री जी से प्रश्न पूछ रहे हैं या मांग कर रहे हैं? आप प्रश्न पूछ रहे हैं या मंत्री महोदय से मांग कर रहे हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: मैडम, अवैध खनन पर नियंत्रण मुख्यतः राज्य सरकार और खान मंत्रालय एवं उसके अधीन, आई.बी.एम. के कार्यक्षेत्र में आता है। इस्पात मंत्रालय का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है।

DR. K.S. RAO: Madam Speaker, it is mentioned in the reply that more than half - out of 212 or 218 million tonnes -- of iron ore produced in this country is being exported. In my opinion, it is not at all in the interest of the nation. We all know that the basic requisites for the development of any nation invariably -- either for industry or housing -- is steel and cement. In this regard, I would have understood that they are extracting even the balance iron ore and producing iron, but they are exporting iron ore itself at a very cheap rate.

As regards NMDC, which is now concentrating only on mining, it has expressed its opinion to go for steel industry also. What would be the fate of all those units, which are now getting supply of iron ore from NMDC if NMDC were to go and start 9 million tonnes steel industry in this country? Will they have to be shut down or will they be supplying it?

The Vizag Steel Plant is a Public Sector Undertaking manufacturing iron ore. They are asking since quite a long time for a captive mine. I did not understand the principle of the Government in giving captive mines to the private sector leaving the Vizag Steel Plant, which is the ambition and which is in the interest of not only Andhra Pradesh, but the entire country, that is, to give captive mine to the Public Sector Undertaking of Vizag Steel Plant. Will the Minister think in terms of giving a captive iron ore mine to Vizag Steel Plant and curtail exports of iron ore?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: मैडम, खान का एलाटमेंट राज्य सरकार एवं खान मंत्रालय करते हैं। खान एलाटमेंट का अधिकार हमको नहीं है।...(व्यवधान) आपको जो पूछना है, आप खड़े होकर पूछिये।

अध्यक्ष महोदया : आप हमें बताइये।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: पर्याप्त आयरन ओर हमारे देश में उपलब्ध है। NMDC का उत्पादन शीघ्र ही 25 से 50 मिलियन टन हो जायेगा। हम चाहते हैं कि हमारे देश से आयरन ओर कम से कम बाहर जाये, इसलिए इसी वर्ष हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी 5 परसेंट से बढ़ाकर 20 परसेंट कर दी है। फिर भी हम विचार कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट ड्यूटी और बढ़ायें, जिससे एक्सपोर्ट डिस्करेज हो।

SHRI NARAHARI MAHATO: Thank you, Madam. It is mentioned in the reply of the hon. Minister regarding iron ore supply to the Public Sector Undertakings, the Steel Authority of India Limited (SAIL) has its own captive iron ore mines that cater to its full requirement of iron ore. There is adequate availability of iron ore for private sector steel companies. Are the several sponge iron units in the country on the verge of closure due to rise in prices of iron ore, and crisis in the supply of coal? Is the Union Government proposing to take any concrete step to save such sponge iron ore units from closure? Thank you, Madam.

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: मैडम, आयरन ओर की कीमत इण्टरनेशनल मार्केट प्राइस के आधार पर फिक्स होती है और कोयला स्टील मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आता है।

श्री रेवती रमण सिंह: माननीय अध्यक्षा जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस देश में आयरन ओर बहुत होता है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में यहां से जापान और चीन को निर्यात कर दिया जाता है। वहां से जब पक्का माल बनकर आता है, तब भारत उसे महंगे दाम पर खरीदता है तो क्या मंत्री जी बताएंगे कि कब तक हम यहां से बाहर निर्यात करना बन्द कर देंगे, क्या इसकी सूचना सदन को देंगे?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: मैडम, भारत की जो आयात-निर्यात नीति है, उसमें हम निर्यात पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते। हमारे यहां से जो आयरन ओर बाहर जाता है, उसको डिस्करेज करने के लिए, निर्यात को डिस्करेज करने के लिए हम एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे।...(व्यवधान)



(Q. No. 363)

MADAM SPEAKER: Shri Dilip Singh Judev -- not present; Shri P. Viswanathan. SHRI P. VISWANATHAN: Madam Speaker, the hon. Minister has stated in his reply that an Emergency Towing Vessel is being deployed. Considering that our country has a long coastline of over 7,500 kilometres exposed to the monsoonal weather and recent serious cases of shipping casualties on account of various reasons, I would like to know from the hon. Minister of Shipping about the utility and purpose of this Vessel and also its role in preventing the accidents.

SHRI G.K. VASAN: I would like to inform the hon. Member, through you, Madam, that he has posed a very important question on the Emergency Towing Vessel (ETV), which is generally used to safeguard the coastline and to assist the ship that breaks down. The ETV is managed by SMIT International and its name is SMIT Lumba and is stationed at Mumbai Port. The Indian Coast Guards monitors the operation of this vessel which is deployed for extending service to the ships in need of assistance.

I would also like to inform the House that this is the first time we have used this ETV and it has proved to be quite useful in dealing with marine accidents. This was used especially in the salvage of Wisdom, Pavit and Rak, and we were able to do it with a lot of perfection.

Based on the utility of the ETV, this year it has been introduced for the first time in the marine sector. We are considering engaging three ETVs next year – two in the West Coast and one in the East Coast -- during the monsoon season when marine accidents take place.

SHRI P. VISWANATHAN: Madam, marine officers attain the rank of Captain in barely six to eight years, while in the past they could command a ship only after 12 to 15 years. Lack of experience could be one of the causes for the increasing number of accidents. In spite of the advancements in navigation technology, over 70 per cent of accidents at sea occur due to human error. I would request the hon.

Minister to inform the House about the steps being taken by the Government to prevent such marine accidents in the future.

SHRI G.K. VASAN: Madam, though this question does not arise directly out of this, still I would like to inform the hon. Member, through you, that the nature of the marine environment is very hazardous because of the fury of the weather, and there is a very limited number of persons present on board of merchant ships. Based on our experience in handling marine accidents in the last few years, the Government has taken serious measures to prevent marine accidents, one of which definitely includes the issue of experienced people handling the merchant ships. This is taken care of by the DG (Shipping). We are very clear about the guidelines which are to be followed, especially on the safety and manning of the ship.

SHRIMATI POONAM VELJIBHAI JAT: There is an impression that there is no restriction or control in India to prevent the entry of old and substandard ships. I would like to know from the hon. Minister, through you, Madam, whether it is true that old and substandard ships are involved more in marine accidents. What steps has the Government taken to prevent such accidents?

SHRI G.K. VASAN: Madam, through you, I would like to tell the hon. Member that in the recent past, it is true that we have experienced that because of old ships, accidents takes place. The Government of India has now decided to impose certain restrictions on entry of 25 year old ships into Indian ports or territorial waters. We are issuing a Notification under Merchant Shipping Act, 1958, stating that if the ships are more than 25 years old, they will only be allowed if they satisfy the condition of the Classification societies who are full members of the International Association of Classification Societies. It should also be definite that they have adequate insurance coverage to liabilities including collision, wreck removal and salvage. It is also necessary that those ships which enter the Indian territorial waters should appoint an Indian ship agent to represent owner and charterer. The Indian agent should definitely notify about the details of the ship including

insurance etc. to the port authority and customs collector at least 48 hours prior to arrival of the ship.

SHRIMATI SUPRIYA SULE: I would like to ask through you the hon. Minister that there was a very serious accident in the Mumbai Port last year where MSC Chitra and MV Khalijia and one of the containers which fell into the water, blocked the navigational channels for days. There was an inquiry by the Government of India into that accident. I would like to know what serious interventions and changes have been made so that these accidents do not occur again.

SHRI G.K. VASAN: Madam, through you, I would like to tell the hon. Member that on 7th August, 2010, a ship which was named MSC Chitra which was going out of the JNP Port and another ship MV Khalijia which was coming to the Mumbai port collided with each other and there was severe damage to both the ships. Fortunately, there was no loss of life. A majority of around 300 containers from the ship MSC Chitra went down and fell in the sea. The container had been removed by the P&I club through the salvers. The Ministry of Shipping with the assistance of the Navy ensured that normalcy restored to the port within eight to nine days.

I would also like to tell the hon. Member that an inquiry was conducted by the Mercantile Marine Department, Mumbai under the provision of section 359 of the Merchant Shipping Act. The Ministry of Shipping also constituted a Committee to inquire into the serious accident which took place. After the inquiry, actions were taken. The Ministry of Shipping had to see what action is being taken. I would like to tell the House that the actions taken are also being followed up. The DG (Shipping) has taken action to suspend the Certificate of competency of the masters of both the ships. Both the ships were foreign flag ships. An expert from IMO has visited and given recommendations to improve the navigational safety in Mumbai. The recommendations are also under implementation.

And as I told you in the previous question, the Government has also decided that restriction on vessels to enter the Indian territorial water would also take place.

SHRI TATHAGATA SATPATHY: Madam, earlier, you said about children of India and the whole House supported you in that. I also wanted to thump my desk but I was scared because thumping the desk is considered by some as passing a Resolution.

Madam, on 9th September, 2009, a ship flying the Singaporean flag named Black Rose sank off the port of Paradip. Vanakam Minister Sir. I hope he is listening. As the hon. MP from Maharashtra has said that recently MSC Chitra collided with somebody else in Mumbai and there was a terrible oil spill. There have been many beachings and many ships running aground, many ships colliding with each other and unable to pass in the channels that lead up to our ports due to all these accidents. I would like to know specifically from the hon. Minister, through you, whether the Government of India is planning to have any modern system installed whereby ships amongst themselves and ship to shore communication could be improved. It is because the accidents today show that there are no communication facilities which are impeccable between ship to shore and ship to ship especially those ships moving through the channels to the port. I would like to know if the Minister's Ministry has any such proposal to modernise the communication system.

SHRI G.K. VASAN: Madam, to modernize the communication system in the ports and to avoid marine accidents is one of the main challenges for the Ministry of Shipping which we have been continuously updating. Accordingly, to overcome the problems of congestion and collision in ports and to minimize the accident, a management information system called the Vessel Traffic Management System (VTMS) has been developed in most of the ports. It has various sensors like radars, the Automatic Identification System (AIS), hydrological sensors, computers and communication link devices. By ensuring movement of orderly traffic, the VTMS

definitely helps reduce risk to human lives, severity of accidents and environment pollution. I would also like to tell the hon. Member that the VTMSs to regulate the maritime traffic flow in the port channels are already installed in six of the major ports. I would like to say that the process of installing the VTMS in another three to four ports would be over shortly.

SHRI KALYAN BANERJEE: Madam, for the purpose of preventing marine accidents and collision resulting therefrom, the Government would need to have laws that are in conformity with the best environmental laws available in our country. I would like to know from the hon. Minister what is the legal framework available in India to prevent marine accidents and collision and to get compensation from owners?

SHRI G.K. VASAN: Madam, I would like to tell the hon. Member through you that India is a party to international conventions on environmental protection. Specific laws on pollution prevention from ships have been enacted under the relevant provisions in the Merchant Shipping Act. It is very important to mention that India is also a party to the International Convention on Safety of Life at Seas (SOLAS) and marine pollution international conventions. In the last two years, I would specifically mention that the Cabinet has approved accession to the three important conventions and protocols – the Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks; the Protocol of 1996 to the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims; and MARPOL. We are in the process of acceding to other important conventions also.

29.08.2011 28

(Q. No.364)

श्री राकेश सचान: माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैंने जो सवाल किया है, उसके जवाब में मंत्री जी ने कहा है कि केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड देश के संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बीच जागरूकता लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। आज श्रमिक शिक्षा बोर्ड मात्र एक ऐसा विभाग है, जो सम्पूर्ण भारत में 44 करोड़ श्रमिकों, जिसमें संगठित क्षेत्र के 7 करोड़ और असंगठित क्षेत्र के 37 करोड़ श्रमिकों को जागरूक, सशक्तीकरण एवं स्वालम्बन बनाने की योजना में कार्य सीमित संसाधनों से कर रहा है। बोर्ड के कार्यक्रमों में जहां वे औद्योगिक श्रमिक उत्पादकता, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, वहीं असंगठित क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिक समूह सहायता बनाकर स्वावलम्बी हो रहे हैं। केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का बजट 23 करोड़ 20 लाख रुपये रखा गया है, जो देश के मौजूदा 40 करोड़ विशाल श्रम शक्ति को देखते हुए प्रतिवर्ष प्रति श्रमिक को शिक्षित करने का व्यय मात्र 20 पैसे बैठता है। आज के वैश्वीकरण के माहौल में श्रमिकों को शिक्षित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, जो हमारे देश के विकास की रीढ़ की हड्डी हैं, शिक्षित-प्रशिक्षित श्रमिक देश के महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं तथा वे देश के विकास में अपनी सिक्रय भागीदारी का योगदान करते हैं। केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दो प्रकार के कार्यक्रम चलाये जाते हैं — पहला आवासीय और दूसरा दो दिन और सात दिन का। भारत सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, उनकी जानकारी यह बोर्ड देता है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री राकेश सचान: अध्यक्ष महोदया, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। उन्हें ट्रेनिंग में भत्ते के तौर पर मात्र 50 रुपये ही दिये जाते हैं जबिक आज गांव में हमारे दैनिक श्रमिक को मनरेगा के तहत 120 रुपये मिलते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसे और सशक्त बनाने के लिए, जो 50 रुपये भत्ता दिया जा रहा है, उस भत्ते को बढाने की कोई योजना सरकार ने बनायी है?

श्री मिल्लिकार्जुन खरगे: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो ब्यौरा दिया है, वह ठीक है, जिसे मैं मानता हूं। लेकिन मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि वर्ष 2008-09 में प्लान में 9 करोड़ 50 लाख रुपये का बजट था, जबिक नॉन प्लान में 27 करोड़ रुपये का बजट था। वर्ष 2010-11 में 9 करोड़ 50 लाख रुपये और नॉन प्लान में 40 करोड़ रुपये था। लेकिन वर्ष 2011-12 में इसे 9 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 23 करोड़ रुपये किया गया और 10 करोड़ रुपये जो अनआर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, खासकर रूरल एरियाज में मनरेगा में काम करने वाले उन एग्रीकल्चर लेबरर्स और छोटे-मोटे अनआर्गेनाइज्ड वर्कर्स में अवेयरनैस लाने के लिए यह पैसा बढ़ाया गया है। लेकिन जैसे आपने कहा कि यह बजट कम है, तो हम इस राशि को और

ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यह प्रस्ताव हम फाइनेंस डिपार्टमैंट के सामने रखने वाले हैं। हमारे सामने जब नये फिगर्स वर्ष 2011 की सेंसस के मुताबिक आयेंगे, तब हम इस राशि में बढ़ोत्तरी के लिए कहेंगे।

दूसरा, अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर के वर्कर्स को आज ट्रेंड करने के लिए सिर्फ 50 रुपये दिये जाते हैं, तो वह राशि बहुत कम है, क्योंकि मनरेगा में 100 रुपये मिलते हैं। अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर में काम करने वाले वर्कर्स को 50 रुपये मिलने के कारण वे अवेयरनैस प्रोग्राम मे पार्टीसिपेट नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए यदि बजट में बढ़ोतरी हुई, तो हम वह राशि बढ़ा सकते हैं। हम उस राशि को भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

श्री राकेश सचान: महोदया, माननीय मंत्री जी ने स्वयं महसूस किया है कि बजट कम है और इसे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे।

महोदया, मैंने दूसरा सवाल पूछा था कि सरकार ने उक्त बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन कराया है, आपने जवाब में बताया है - जी, हां। सरकार ने मेसर्स एजुकेशन कंसल्टेंट इंडिस्ट्रिनिटिड, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत भारत सरकार का उद्यम है, को वर्ष 2008 में केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त किया गया था। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिए।

श्री राकेश सचान: महोदया, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। उससे पहले मैं मंत्री जी का उत्तर पढ़ रहा हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप उत्तर मत पढ़िए, प्रश्न पूछिए।

श्री राकेश सचान: सरकार ने जो कमेटी नियुक्त की थी, उसकी रिपोर्ट में श्रमिक शिक्षा बोर्ड के कार्य की सराहना की गयी है और सभी स्तरों पर इसके विस्तार की सिफारिश की है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज पूरे भारत में इसके 50 कार्यालय हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश में इसमें मात्र पांच दफ्तर हैं जिनमें से एक कानपुर एवं एक इलाहाबाद में है। एक दफ्तर में चार अधिकारी नियुक्त हैं और वे चार अधिकारी 20-20 जनपद देखते हैं, इस तरह से एक अधिकारी के जिम्मेदारी में पांच-पांच जनपद आते हैं जिसकी वजह से तमाम कार्यक्रम संचालित नहीं हो पाते हैं। आज पूरे भारत की यह स्थिति है। जो कमेटी बनी थी, उसने भी इसके विस्तार की सिफारिश की है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसके विस्तार के लिए कोई योजना सरकार ने बनाई है कि श्रमिक शिक्षा बोर्ड

29.08.2011 30

का विस्तार किया जाए जिससे इसके कार्यालय जनपद स्तर पर स्थापित हों और आम लोगों को इसका लाभ मिल सके?

श्री मिल्लकार्जुन खरगे: महोदया, इसकी एक इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी कराई गयी है जिसका जिक्र अभी माननीय सदस्य ने किया है। उस इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी के मुताबिक जो 15 प्वाइंट्स उन्होंने हमको बताए हैं, वे इस प्रकार हैं:

- 1. Significant shift towards unorganized sector; gradual shift towards rural sector and rapid decline in contribution of the organized sector;
- 2. Demand from the industry for the training programmes has come down during the last decade;
- 3. Declining trend is particularly sharp with reference to need-based special seminars and functional literary classes at unit levels;
- 4. There has been a sharp increase in self-generation of funds programme; quality of life for workers programme;
- 5. The emphasis has shifted to other areas;
- 6. Growth in demand for workers trainings is higher in unorganized sector;
- 7. There has been a declining trend from 2004-05 with reference to rural awareness camp;
- 8. The major activity is course for trade unions and the number of participants in this programme increased;
- 9. The emergence of new areas by training and trainers course;
- 10. One of the redeeming features is the importance given to various trade unions;
- 11. The trend with regard to the share of SC/ST is maximum;
- 12. The share of women participants has increased over the years.

आपने पूछा है कि इम्पैक्ट क्या है और इम्पैक्ट स्टडी की रिपोर्ट की मैं संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूं। अगर आप सेटिस्फाइड हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपका उत्तर हो गया?

...(व्यवधान)

श्री मिल्लकार्जुन खरगे: महोदया, ये 15 प्वाइंट्स वाली इम्पैक्ट स्टडी करके उन्होंने दी है। इन रिकॅमेंडेशन्स को ध्यान में रखते हुए हम आगे कदम उठाएंगे।

SHRI KABINDRA PURKAYASTHA: Madam Speaker, the Central Board for Workers' Education is providing funds or financial assistance for creating awareness amongst the workers of the organized and the unorganized sectors. I want to ask a question regarding the tea garden workers particularly or Assam. In Assam, there are thousands of tea gardens and lakhs and lakhs of workers are there. I want to know what steps the Government is taking to create awareness amongst the tea garden labourers of Assam.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: The Central Board for Workers' Education is also active in Assam; and particularly if the trade unions come forward, we are giving them grants. Through trade unions only, we are creating awareness, apart from our local education offices. Such offices are in Guwahati, Imphal, Siliguri – from all these offices, we are educating and creating awareness in the North-East areas.

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of question of privilege dated 27th August, 2011 from S/Shri Ramashankar Rajbhar, Praveen Singh Aron, Jagdambika Pal, Dr. Vinay Kumar Pandey, P.L. Punia, Dr. Mirza Mehboob Beg, Harsh Vardhan, Kamal Kishor 'Commando', Premdas, Shailendra Kumar, M.Ps. against Shri Om Puri for allegedly using derogatory and defamatory words against Members of Parliament.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): किरण बेदी के खिलाफ भी दिया है।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: For allegedly using derogatory and defamatory words against Members of Parliament and also casting reflections on the House.

The matter is under my consideration.

श्री शेलेन्द्र कुमार: यह सदन की गरिमा का सवाल है।

अध्यक्ष महोदया: मैंने कहा है कि यह मेरे विचाराधीन है।

12.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now, Papers to be laid.

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): I beg to lay on the Table a copy of the Apprenticeship (Third Amendment) Rules, 2011 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 552(E) in Gazette of India dated the 20th July, 2011 under sub-section (3) of Section 37 of the Apprentices Act, 1961.

(Placed in Library, See No. LT 4999/15/11)

THE MINISTER OF SHIPPING (SHRI G.K. VASAN): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-
 - (i) Memorandum of Understanding between the Ennore Port Limited and the Ministry of Shipping for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 5000/15/11)

(ii) Memorandum of Understanding between the Dredging Corporation of India Limited and the Ministry of Shipping for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 5000-A/15/11)

(2) A copy of the Chennai Port Trust Employees' (Conduct) (Amendment) Regulations, 2011 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 553(E) in Gazette of India dated the 20th July, 2011 under subsection (4) of Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963.

(Placed in Library, See No. LT 5000-B/15/11)

29.08.2011 34

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under subsection (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-
 - (i) Review by the Government of the working of the Andaman and Nicobar Islands Forest and Plantation Development Corporation Limited, Port Blair, for the year 2009-2010.
 - (ii) Annual Report of the Andaman and Nicobar Islands Forest and Plantation Development Corporation Limited, Port Blair, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 5001/15/11)

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Animal Welfare Board of India, Chennai, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Animal Welfare Board of India, Chennai, for the year 2009-2010.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 5001-A/15/11)

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council of Forestry Research and Education, Dehradun, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of Forestry Research and Education, Dehradun, for the year 2009-2010.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No. LT 5002/15/11)

- (7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 26 of the Environment (Protection) Act, 1986:-
 - (i) The e-waste (Management and Handling) Rules, 2011 published in Notification No. S.O. 1035(E) in Gazette of India dated the 12th May, 2011.
 - (ii) The Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Micro-Organism/Genetically Engineered Organisms or Cells (Amendment) Rules, 2010 published in Notification No. G.S.R. 1(E) in Gazette of India dated the 3rd January, 2011, together with a corrigendum thereto published in Notification No. G.S.R. 603(E) dated 8th August, 2011.
 - (iii) The Plastic Waste (Management and Handling) (Amendment) Rules,
 2011 published in Notification No. S.O. 1527(E) in Gazette of India dated the 2nd July, 2011.
 - (iv) The Plastic Waste (Management and Handling) Rules, 2011 published in Notification No. S.O. 249(E) in Gazette of India dated the 4th February, 2011.
 - (v) The Manufacture, Use, Import, Export and Storage and Hazardous Micro-organims/Genetically Engineered Organisms or Cells (Amendment) Rules, 2010 published in Notification No. G.S.R. 613(E) in Gazette of India dated the 22nd July, 2011.

(8) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item Nos. (ii) and (v) of (7) above.

(Placed in Library, See No. LT 5003/15/11)

- (9) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under Section 12 & 13 of the Environment (Protection) Act, 1986:-
 - (i) S.O. 181(E) published in Gazette of India dated the 28th January, 2011 making certain amendments in the Notification No. S.O. 1174(E) dated 18th July, 2007.
 - (ii) S.O. 692(E) published in Gazette of India dated the 5th April, 2011 making certain amendments in the Notification No. S.O. 1174(E) dated 18th July, 2007.

(Placed in Library, See No. LT 5004/15/11)

- (iii) S.O. 2904(E) published in Gazette of India dated the 8th December, 2010 making certain amendments in the Notification No. S.O. 1174(E) dated 18th July, 2007.
- (iv) S.O. 1537(E) published in Gazette of India dated the 6th July, 2011 making certain amendments in the Notification No. S.O. 1174(E) dated 18th July, 2007.
- (v) S.O. 1101(E) published in Gazette of India dated the 18th May, 2011 regarding extension of the tenure of the Loss of Ecology (Prevention and payments of Compensation) Authority for the State of Tamil Nadu until further orders following the orders of the Hon'ble High Court of Madras.
- (vi) S.O. 695(E) published in Gazette of India dated the 6th April, 2011 making certain amendments in the Notification No. S.O. 1533(E) dated 14th September, 2006 and S.O. 3067(E) dated 1st December, 2009.

(Placed in Library, See No. LT 5005/15/11)

29.08.2011

(10) A copy of the Animal Birth Control (Dogs) Amendment Rules, 2010 (Hindi and English versions) published in the Notification No. S.O. 303(E) in Gazette of India dated the 9th February, 2011 under Section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960.

(Placed in Library, See No. LT 5006/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963:-
 - (i) S.O. 1626(E) published in Gazette of India dated the 14th July, 2011 rescinding Notification No. S.O. 1422 dated 20th May, 1978.
 - (ii) The Export of Fruit Products (Quality Control and Inspection)
 Amendment Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 1627(E)
 in Gazette of India dated the 14th July, 2011.
 - (iii) The Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products
 (Quality Control and Inspection and Monitoring) (Amendment) Rules,
 2011 published in Notification No. S.O. 497(E) in Gazette of India dated the 10th March, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 5007/15/11)

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council of Arbitration, New Delhi, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of Arbitration, New Delhi, for the year 2009-2010.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(Placed in Library, See No. LT 5008/15/11)

- (4) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-
 - (i) Review by the Government of the working of the STCL Limited, Bangalore, for the years 2008-2009 and 2009-2010.
 - (ii) Annual Report of the STCL Limited, Bangalore, for the years 2008-2009 and 2009-2010, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (5) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

(Placed in Library, See No. LT 5009/15/11)

(6) A copy of the Patents (Appeals and Applications to the Intellectual Property Appellate Board) Rules, 2011 (Hindi and English versions) published in the Notification No. G.S.R. 209(E) in Gazette of India dated the 11th March, 2011 under Section 160 of the Patents Act, 1970.

(Placed in Library, See No. LT 5010/15/11)

- (7) A copy of the Electrical Wires, Cables, Appliances and Protection Devices and Accessories (Quality Control) Amendment Order, 2009 (Hindi and English versions) published in the Notification No. S.O. 2058(E) in Gazette of India dated the 7th August, 2009 issued under Section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986.
- (8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(Placed in Library, See No. LT 5011/15/11)

29.08.2011

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Central Cottage Industries Corporation of India Limited and the Ministry of Textiles for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 5012/15/11)

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Fashion Technology, New Delhi, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Fashion Technology, New Delhi, for the year 2009-2010.
- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(Placed in Library, See No. LT 5013/15/11)

- (4) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-
- (a) (i) Review by the Government of the working of the Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2009-2010.
- (ii) Annual Report of the Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5014/15/11)

(b) (i) Review by the Government of the working of the National Jute Manufactures Corporation Limited, Kolkata, for the year 2009-2010.

(ii) Annual Report of the National Jute Manufactures Corporation Limited, Kolkata, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5015/15/11)

- (5) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.
- (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jute Manufactures Development Council, Kolkata, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jute Manufactures Development Council, Kolkata, for the year 2009-2010.
- (7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

(Placed in Library, See No. LT 5016/15/11)

- (8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Centre for Jute Diversification, Kolkata, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Centre for Jute Diversification, Kolkata, for the year 2007-2008.
- (9) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (8) above.

(Placed in Library, See No. LT 5017/15/11)

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Centre for Jute Diversification, Kolkata, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Centre for Jute Diversification, Kolkata, for the year 2008-2009.
- (11) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (10) above.

(Placed in Library, See No. LT 5018/15/11)

- (12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Jute Industries' Research Association, Kolkata, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Jute Industries' Research Association, Kolkata, for the year 2009-2010.
- (13) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (12) above.

(Placed in Library, See No. LT 5019/15/11)

(14) A copy of the Textiles Committee (Amendment) Rules, 2011 (Hindi and English versions) published in the Notification No. G.S.R. 256(E) in Gazette of India dated the 25th March, 2011 under sub-section (3) of Section 22 of the Textiles Committee Act, 1963.

(Placed in Library, See No. LT 5020/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M.M. PALLAM RAJU): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Memorandum of Understanding between the Mazagon Dock Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 5021/15/11)

(2) Memorandum of Understanding between the Mishra Dhatu Nigam Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 5022/15/11)

(3) Memorandum of Understanding between the Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 5023/15/11)

(4) Memorandum of Understanding between the Hindustan Shipyard Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 5024/15/11)

(5) Memorandum of Understanding between the Goa Shipyard Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 5025/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI JITIN PRASADA): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 10 of the National Highways Act, 1956:-
 - (i) S.O. 319(E) published in Gazette of India dated the 11th February, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 47 (Project Chainage)(Kerala/Tamil Nadu Border-Kanniyakumari Section) in the State of Tamil Nadu.
 - (ii) S.O. 827(E) published in Gazette of India dated the 26th April, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 66 (Tindivanam-Krishnagiri Section) in the State of Tamil Nadu.
 - (iii) S.O. 729(E) published in Gazette of India dated the 8th April, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 47 (Project Chainage) (Kerala-Tamil Nadu Border-Kanniyakumari Section) in the State of Tamil Nadu.
 - (iv) S.O. 1067(E) published in Gazette of India dated the 16th May, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 47 (Project Chainage)(Kerala-Tamil Nadu Border-Kanniyakumari Section) in the State of Tamil Nadu.
 - (v) S.O. 1213(E) published in Gazette of India dated the 26th May, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 47 (Project Chainage)(Kerala-Tamil Nadu Border-Kanniyakumari Section) in the State of Tamil Nadu.

(vi) S.O. 1082(E) published in Gazette of India dated the 16th May, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 67 (Nagapattinam-Thanjavur Section) in the State of Tamil Nadu.

- (vii) S.O. 1025(E) published in Gazette of India dated the 11th May, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 210 (Karaikudi-Ramanathapuram Section) in the State of Tamil Nadu.
- (viii) S.O. 1050(E) published in Gazette of India dated the 13th May, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 210 (Karaikudi-Ramanathapuram Section) in the State of Tamil Nadu.
- (ix) S.O. 1125(E) published in Gazette of India dated the 20th May, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 46 (Krishnagiri-Walajahpet Section) in the State of Tamil Nadu.
- (x) S.O. 270(E) published in Gazette of India dated the 7th February, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 66 (Tindivanam-Krishnagiri Section) in the State of Tamil Nadu.
- (xi) S.O. 261(E) published in Gazette of India dated the 7th February, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 210 (Karaikudi-Ramanathapuram Section) in the State of Tamil Nadu.
- (xii) S.O. 297(E) published in Gazette of India dated the 8th February, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 4 (Poonamalee-Walajahpet Section) in the State of Tamil Nadu.

(xiii) S.O. 2917(E) published in Gazette of India dated the 9th December, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 67 (including bypasses) (Trichy-Karur Section) in the State of Tamil Nadu.

- (xiv) S.O. 269(E) published in Gazette of India dated the 7th February, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 45 Extn. (Dindigul-Theni and Kumuli Section) in the State of Tamil Nadu.
- (xv) S.O. 1209(E) published in Gazette of India dated the 26th May, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 46 (Krishnagiri-Walajahpet Section) in the State of Tamil Nadu.
- (xvi) S.O. 266(E) published in Gazette of India dated the 7th February,
 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance,
 management and operation of National Highway No. 66
 (Tindivanam-Krishnagiri Section) in the State of Tamil Nadu.
- (xvii) S.O. 350(E) published in Gazette of India dated the 14th February, 2011, authorising the Deputy Collector (Revenue), Mahe, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 17 in Mahe region of the Union Territory of Puducherry.
- (xviii) S.O. 2755(E) published in Gazette of India dated the 9th November, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 205 (Tiruttani-Chennai Section) in the State of Tamil Nadu.
- (xix) S.O. 2315(E) published in Gazette of India dated the 17th September, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 67 (Trichy-Karur Section) in the State of Tamil Nadu.

(xx) S.O. 1872(E) published in Gazette of India dated the 30th June, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 205 (Tiruttani-Chennai Section) in the State of Tamil Nadu.

- (xxi) S.O. 1914(E) published in Gazette of India dated the 5th August, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 45 (Tindivanam-Viluppuram-Trichy Section) in the State of Tamil Nadu.
- (xxii) S.O. 1704(E) published in Gazette of India dated the 19th July, 2010, making certain amendments in the Notification No. S.O. 2831(E) dated 4th November, 2009.
- (xxiii) S.O. 2303(E) published in Gazette of India dated the 17th September, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 67 (Trichy-Karur Section) in the State of Tamil Nadu.
- (xxiv) S.O. 2016(E) published in Gazette of India dated the 17th August, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 205 (Tiruttani-Chennai Section) in the State of Tamil Nadu.
- (xxv) S.O. 1875(E) published in Gazette of India dated the 30th July, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 205 (Tiruttani-Chennai Section) in the State of Tamil Nadu.
- (xxvi) S.O. 2062(E) published in Gazette of India dated the 23rd August, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 7 (Bangalore-Salem-Madurai Section) in the State of Tamil Nadu.

(xxvii)S.O. 1954(E) published in Gazette of India dated the 11th August, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 68 (Salem-Ulundurpet Section) in the State of Tamil Nadu.

- (xxviii) S.O. 2635(E) published in Gazette of India dated the 25th October, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway 67 (Trichy-Bypass Section) in the State of Tamil Nadu.
- (xxix) S.O. 2916(E) published in Gazette of India dated the 9th December, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 7 (Hyderabad-Bangalore Section) in the State of Andhra Pradesh.
- (xxx) S.O. 2381(E) published in Gazette of India dated the 30th September, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 5 (Chilakaluripet-Rudrakota Section) in the State of Andhra Pradesh.
- (xxxi) S.O. 2593(E) published in Gazette of India dated the 19th October, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 9 (Hyderabad-Vijayawada Section) in the State of Andhra Pradesh.
- (xxxii)S.O. 2595(E) published in Gazette of India dated the 19th October, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 7 (Hyderabad-Bangalore Section) in the State of Andhra Pradesh.
- (xxxiii) S.O. 2670(E) published in Gazette of India dated the 28th October, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 202 (Hyderabad-Yadgiri Section) in the State of Andhra Pradesh.

(xxxiv) S.O. 2316(E) published in Gazette of India dated the 17th September, 2010, making certain amendments in the Notification No. S.O. 2479(E) dated 29th September, 2009.

- (xxxv)S.O. 2457(E) published in Gazette of India dated the 8th October, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 47 (Salem-Coimbatore Section) in the State of Tamil Nadu.
- (xxxvi) S.O. 2581(E) published in Gazette of India dated the 18th October, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 4 (Chennai Port-Maduravoyal Section) in the State of Tamil Nadu.
- (xxxvii) S.O. 2701(E) published in Gazette of India dated the 2nd November, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 66 (Tindivanam-Krishnagiri Section) in the State of Tamil Nadu.
- (xxxviii) S.O. 2913(E) published in Gazette of India dated the 9th December, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 47 (Project Chainage)(Nagercoil-Kavalkinaru Section) in the State of Tamil Nadu.
- (xxxix) S.O. 177(E) published in Gazette of India dated the 28th January, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1093(E) dated 14th May, 2010.
- (xl) S.O. 271(E) published in Gazette of India dated the 7th February,
 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O.
 140(E) dated 20th January, 2010.
- (xli) S.O. 2372(E) and S.O. 2373(E) published in Gazette of India dated the 30th September, 2010, making certain amendments in the

- Notification No. S.O. 692(E) dated 26th March, 2010 and S.O. 283(E) dated 8th February, 2010.
- (xlii) S.O. 2575(E) published in Gazette of India dated the 18th October, 2010, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1345(E) dated 9th June, 2010.
- (xliii) S.O. 2700(E) published in Gazette of India dated the 2nd November, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 4 (Chennai Bypass Phase II in Tiruvallur District) in the State of Tamil Nadu.
- (xliv) S.O. 2946(E) published in Gazette of India dated the 15th December, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 210 (Tiruchirappalli-Karaikudi Section) in the State of Tamil Nadu.
- (xlv) S.O. 2948(E) published in Gazette of India dated the 15th December, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 210 (Karaikudi-Ramanathapuram Section) in the State of Tamil Nadu.
- (xlvi) S.O. 296(E) published in Gazette of India dated the 8th February, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 2013(E) dated 24th November, 2006.
- (xlvii) S.O. 273(E) published in Gazette of India dated the 7th February, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 2730(E) dated 30th October, 2009.
- (xlviii) S.O. 1047(E) published in Gazette of India dated the 10th May, 2010, containing corrigendum to the Notification No. S.O. 135(E) dated 20th January, 2010.
- (xlix) S.O. 2729(E) published in Gazette of India dated the 8th November, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance,

- management and operation of National Highway No. 10 (Bahadurgarh-Rohtak Section) in the State of Haryana.
- (l) S.O. 2844(E) published in Gazette of India dated the 26th November, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 2 (Delhi-Agra Section) in the State of Haryana.
- (li) S.O. 2596(E) published in Gazette of India dated the 19th October, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 2 (Delhi-Agra Section) in the State of Haryana.
- (lii) S.O. 1348(E) published in Gazette of India dated the 9th June, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 26B (Chhindwara Bypass Section) in the State of Madhya Pradesh.
- (liii) S.O. 2808(E) published in Gazette of India dated the 19th November, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 2 (Delhi-Agra Section) in the State of Haryana.
- (liv) S.O. 2634(E) published in Gazette of India dated the 25th October, 2010, making certain amendments in the Notification No. S.O. 3083(E) dated 3rd December, 2009.
- (lv) S.O. 2625(E) published in Gazette of India dated the 25th October, 2010, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1348(E) dated 9th June, 2010.
- (lvi) S.O. 2580(E) published in Gazette of India dated the 18th October,
 2010, making certain amendments in the Notification No. S.O.
 3213(E) dated 15th December, 2009.
- (lvii) S.O. 1953(E) published in Gazette of India dated the 11th August, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance,

- management and operation of National Highway No. 47 (Chengapalli-Walayar Section) in the State of Tamil Nadu.
- (lviii) S.O. 2364(E) and S.O. 2365(E) published in Gazette of India dated the 30th September, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 205 (Tiruttani-Chennai Section) in the State of Tamil Nadu.
- (lix) S.O. 2271(E) published in Gazette of India dated the 14th September, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 47 (Chengapalli-Walayar Section) in the State of Tamil Nadu.
- (lx) S.O. 2947(E) published in Gazette of India dated the 15th December, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 66 (Tindivanam-Krishnagiri Section) in the State of Tamil Nadu.
- (lxi) S.O. 2753(E) published in Gazette of India dated the 9th November, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 210 (Tiruchirappalli-Karaikudi Section) in the State of Tamil Nadu.
- (lxii) S.O. 2731(E) published in Gazette of India dated the 8th November, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 205 (Tiruttani-Chennai Section) in the State of Tamil Nadu.
- (lxiii) S.O. 2741(E) published in Gazette of India dated the 8th November, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 210 (Tiruchirappalli-Karaikudi Section) in the State of Tamil Nadu.
- (lxiv) S.O. 2920(E) published in Gazette of India dated the 9th December, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance,

- management and operation of National Highway No. 1 (Panipat-Jalandhar Section) in the State of Punjab.
- (lxv) S.O. 2923(E) published in Gazette of India dated the 10th December, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 22 (Zirakpur-Parwanoo Section) in the State of Punjab.
- (lxvi) S.O. 1184(E) published in Gazette of India dated the 26th May, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 7 (Jabalpur-Lakhanadon Section) in the State of Madhya Pradesh.
- (lxvii) S.O. 1246(E) and S.O. 1247(E) published in Gazette of India dated the 31st May, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of different stretches of National Highway No. 12 (Biaora-MP/Rajasthan border Section) in the State of Madhya Pradesh.
- (lxviii) S.O. 1200(E) published in Gazette of India dated the 26th May, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 12 (Bareli-Bhopal Section) in the State of Madhya Pradesh.
- (lxix) S.O. 1358(E) published in Gazette of India dated the 13th June, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 26 (Jhansi-Lakhnadon Section) in the State of Madhya Pradesh.
- (lxx) S.O. 2582(E) published in Gazette of India dated the 18th October, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 47 (Mannuthy-Aluva Section) in the State of Kerala.
- (lxxi) S.O. 2664(E) published in Gazette of India dated the 28th October, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance,

management and operation of National Highway No. 17 in the State of Kerala.

- (lxxii) S.O. 1216(E) published in Gazette of India dated the 24th May, 2010, regarding collection of user fee on mechanical vehicles for the use of permanent bridges namely, Aroor Kumbalam and Kumbalam Panangad on the National Highway No. 47 in the State of Kerala.
- (lxxiii) S.O. 2112(E) published in Gazette of India dated the 30th August, 2010, making certain amendments in the Notification No. S.O. 2646(E) dated 21st October, 2009.
- (lxxiv)S.O. 2703(E) published in Gazette of India dated the 2nd November, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 17 (Kannur-Kuttipuram Section) in the State of Kerala.
- (lxxv) S.O. 2630(E) published in Gazette of India dated the 25th October, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 17 (Kannur Section) in the State of Kerala.
- (lxxvi)S.O. 2739(E) published in Gazette of India dated the 8th November, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 210 (Tiruchirappalli-Karaikudi Section) in the State of Tamil Nadu.
- (lxxvii) S.O. 2829(E) published in Gazette of India dated the 24th November, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 49 (Madurai-Ramanathapuram-Rameshwaram-Dhanuskodi Section)in the State of Tamil Nadu.
- (lxxviii) S.O. 2828(E) published in Gazette of India dated the 24th November, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No.

49 (Madurai-Ramanathapuram-Rameshwaram-Dhanuskodi Section) in the State of Tamil Nadu.

- (lxxix)S.O. 203(E) and S.O. 204(E) published in Gazette of India dated the 1st February, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of different stretches of National Highway No. 67 (Nagapattinam-Thanjavur Section) in the State of Tamil Nadu.
- (lxxx) S.O. 2367(E) published in Gazette of India dated the 30th September, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 205 (Triuttani-Chennai Section) in the State of Tamil Nadu.
- (lxxxi)S.O. 2953(E) published in Gazette of India dated the 15th December, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 7 (Athipalli-Krishnagiri Section) in the State of Tamil Nadu.
- (lxxxii) S.O. 2637(E) published in Gazette of India dated the 25th October, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 205 (Tiruttani-Chennai Section) in the State of Tamil Nadu.
- (lxxxiii) S.O. 1693(E) published in Gazette of India dated the 19th July, 2010, making certain amendments in the Notification No. S.O. 2224(E) dated 18th September, 2008.
- (lxxxiv) S.O. 2832(E) and S.O. 2833(E) published in Gazette of India dated the 24th November, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of different stretches National Highway No. 200 (Raipur-Bilaspur Section) in the State of Chhattisgarh.
- (lxxxv) S.O. 2802(E) published in Gazette of India dated the 18th November, 2010, regarding acquisition of land for building,

maintenance, management and operation of National Highway No. 6 (Sambalpur-Raipur Section) in the State of Chhattisgarh.

- (lxxxvi) S.O. 1562(E) published in Gazette of India dated the 8th July, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 5 (Balasore-Baripada-Jharpokharia Section) in the State of Orissa.
- (lxxxvii) S.O. 1219(E) published in Gazette of India dated the 27th May, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 7 in the State of Madhya Pradesh.
- (lxxxviii) S.O. 1667(E) published in Gazette of India dated the 21st July, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 27 in the State of Madhya Pradesh.
- (lxxxix) S.O. 333(E) published in Gazette of India dated the 14th February, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 75 in the State of Madhya Pradesh.
- (xc) S.O. 335(E) published in Gazette of India dated the 14th February,
 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O.
 2554(E) dated 13th October, 2010.
- (xci) S.O. 336(E) published in Gazette of India dated the 14th February, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 2788(E) dated 16th November, 2010.
- (xcii) S.O. 414(E) published in Gazette of India dated the 23rd February, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 12 in the State of Madhya Pradesh.

(xciii) S.O. 506(E) published in Gazette of India dated the 11th March, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 2789(E) dated 16th November, 2010.

- (xciv) S.O. 2458(E) published in Gazette of India dated the 8th October, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 24 (Bareilly-Sitapur Section) in the State of Uttar Pradesh.
- (xcv) S.O. 2636(E) published in Gazette of India dated the 25th October, 2010, authorising the officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 29 in the State of Uttar Pradesh.
- (xcvi) S.O. 2665(E) published in Gazette of India dated the 28th October, 2010, making certain amendments in the Notification No. S.O. 234(E) dated 18th February, 2005.
- (xcvii)S.O. 2674(E) published in Gazette of India dated the 28th October, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 24 (Bareilly-Sitapur Section) in the State of Uttar Pradesh.
- (xcviii) S.O. 2676(E) published in Gazette of India dated the 28th October, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 24 (Bareilly-Sitapur Section) in the State of Uttar Pradesh.
- (xcix) S.O. 2878(E) published in Gazette of India dated the 1st December, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 26 (Jhansi-Lalitpur Section) in the State of Uttar Pradesh.
- (c) S.O. 2896(E) published in Gazette of India dated the 6th December, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance,

- management and operation of National Highway No. 24 (Lucknow-Sitapur Section) in the State of Uttar Pradesh.
- (ci) S.O. 2924(E) published in Gazette of India dated 10th December,
 2010, making certain amendments in the Notification No. S.O.
 1107(E) dated 11th October, 2004.
- (cii) S.O. 994(E) published in Gazette of India dated the 4th May, 2011, entrusting the stretches, mentioned therein, on different National Highways in the State of Maharashtra.
- (ciii) S.O. 995(E) published in Gazette of India dated the 4th May, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.
- (civ) S.O. 689(E) published in Gazette of India dated the 4th April, 2011, regarding rationalization/modification of Numbering System of National Highways in India.
- (2) Five statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (lxxxix) to (xciii) of (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 5026/15/11)

(3) A copy of the Notification No. S.O. 996(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 4th May, 2011 making certain amendments in the Notification No. S.O. 76(E) dated 20th January, 2005 issued under the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002.

(Placed in Library, See No. LT 5027/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI MUKUL ROY): I beg to lay on the Table:-

29.08.2011

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

- (i) Review by the Government of the working of the Central Inland Water Transport Corporation Limited, Kolkata, for the year 2009-2010.
 - (ii) Annual Report of the Central Inland Water Transport Corporation Limited, Kolkata, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 5028/15/11)

(3) A copy of the Inland Waterways Authority of India (Leavy and collection of fees and charges) Regulations, 2011 (Hindi and English versions) published in Notification No. IWAI/Cargo/184/2009 in weekly Gazette of India dated the 22nd July, 2011 under Section 36 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985.

(Placed in Library, See No. LT 5029/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI): On behalf of my colleague, Shri D. Napolean I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Social Defence, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Social Defence, New Delhi, for the year 2008-2009.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 5030/15/11)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities, Chennai, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities, Chennai, for the year 2009-2010.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 5031/15/11)

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute for the Mentally Handicapped, Secunderabad, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute for the Mentally Handicapped, Secunderabad, for the year 2009-2010.
- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No. LT 5032/15/11)

- (7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 36 of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999:-
 - (i) The National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities (Amendment) Rules, 2010 published in Notification No. G.S.R. 1021(E) in Gazette of India dated the 28th December, 2010.

29.08.2011

(ii) The Board of the Trust (Amendment) Regulations, 2010 published in Notification No. G.S.R. 1022(E) in Gazette of India dated the 28th December, 2010.

(Placed in Library, See No. LT 5033/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (DR. TUSHAR CHAUDHARY): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Carriage by Road Rules, 2011 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 176(E) in Gazette of India dated the 1st March, 2011 under sub-section (3) of Section 20 of the Carriage by Road Act, 2007 together with an explanatory memorandum and corrigendum thereto published in Notification No. G.S.R. 205(E) dated 10th March, 2010.
- (2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 5034/15/11)

(3) A copy of the Motor Vehicles (All India Permit for Tourist Transport Operators) Amendment Rules, 2011 (Hindi and English versions) published in the Notification No. G.S.R. 367(E) in Gazette of India dated the 9th May, 2011 under sub-section (4) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988, together with an explanatory memorandum.

(Placed in Library, See No. LT 5035/15/11)

12.02 hrs.

COMMITTEE ON AGRICULTURE 22nd to 25th Reports

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदया, मैं कृषि संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

- (1) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में 22 वां प्रतिवेदन।
- (2) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में 23वां प्रतिवेदन।
- (3) कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में 24वां प्रतिवेदन।
- (4) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में 25वां प्रतिवेदन।

12.03 hrs.

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS (i) 9th and 10th Reports

SHRI SHIVKUMAR UDASI (HAVERI): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on External Affairs:-

- 1. 9th Report (15th Lok Sabha) on Demands for Grants of the Ministry of Overseas Indian Affairs for the year 2011-12.
- 2. 10th Report (15th Lok Sabha) on Demands for Grants of the Ministry of External Affairs for the year 2011-12.

29.08.2011

(ii) Statement

SHRI SHIVKUMAR UDASI: I beg to lay on the Table the Statement (Hindi and English versions) showing Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 8th Report (15th Lok Sabha) of the Standing Committee on External Affairs on the replies to the recommendations contained in the 4th Report (15th Lok Sabha) on Demands for Grants of the Ministry of External Affairs for the year 2010-11.

12.04 hrs.

STANDING COMMITTEE ON COAL AND STEEL (i) 16th to 19th Reports

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Coal and Steel:-

- 1. Sixteenth Report on Demands for Grants (2011-12) of the Ministry of Coal.
- 2. Seventeenth Report on Demands for Grants (2011-12) of the Ministry of Mines.
- 3. Eighteenth Report on Demands for Grants (2011-12) of the Ministry of Steel.
- 4. Nineteenth Action Taken Report on Observations/Recommendations contained in the 12th Report on "Modernisation and expansion of Steel Sector" of the Ministry of Steel.

(ii) Statements

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): I beg to lay the following Action Taken Statements (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Coal and Steel:-

- 1. Statement showing Action Taken by the Government on the recommendations contained in 9th Action Taken Report (15th Lok Sabha) on "Demands for Grants (2009-10)" of the Ministry of Mines.
- 2. Statement showing Action Taken by the Government on the recommendations contained in 10th Action Taken Report (15th Lok Sabha) on "Demands for Grants (2009-10)" of the Ministry of Steel.

12.05 hrs.

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 1st Report of Standing Committee on Social Justice and Empowerment on Demands for Grants (2009-10), pertaining to the Ministry of Social Justice and Empowerment

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI MUKUL WASNIK): I am making this statement on the status of implementation of recommendations contained in the First report of the Standing Committee on Social Justice & Empowerment in pursuance of the Direction 73-A of the Speaker, Lok Sabha published vide Lok Sabha Bulletin-Part II dated September 1, 2004.

The First report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment relates to the Demands for Grants of the Ministry of Social Justice & Empowerment for the year 2009-10. The Report was presented to Lok Sabha on 17.12. 2009 and laid in Rajya Sabha on the same day. The report contained 19 recommendations, which relate to general performance of the Ministry, development of Scheduled Castes, Other Backward Classes and Disability related schemes. Action Taken Notes on the recommendations contained in the First Report were sent to the Committee on 8th July, 2010.

The updated status of implementation of various recommendations made by the Committee in their First Report is indicated in the Annexure to my statement, which is laid on the Table of the House. I would request that this may be considered as read.

(Placed in Library, See No. LT 5036/15/11)

MADAM SPEAKER: Now, Zero-Hour matters.

Shri Rajnath Singh

श्री राजनाथ सिंह (ग़ाज़ियाबाद): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक ऐसी गंभीर समस्या की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिस पर यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो यह समस्या केवल कृषि जगत के लिए ही एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी नहीं होगी, बल्कि मैं मानता हूं कि देश की खाद्य सुरक्षा के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी।

दो दिन पहले मैं आंध्र प्रदेश गया था और विशेष रूप से ईस्ट गोदावरी जिले में गया था। आंध्र प्रदेश के आठ-नौ जिले ऐसे हैं जहां के किसानों को फसल की उचित कीमत न मिलने के कारण उन्होंने यह फैसला किया है कि इस साल वे अपनी पैडी की बुवाई नहीं करेंगे यानी क्रॉप-होलीडे की घोषणा कर दी है। मैं समझता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार क्रॉप-होलीडे यानी हड़ताल करने की घोषणा आंध्र के किसानों ने की है। इसी प्रकार का असंतोष लाभकारी मूल्य न मिलने के कारण देश के सारे किसानों में पैदा होता जा रहा है। मैं सारे जिलों का उल्लेख करना नहीं चाहुंगा, वैसे 8-9 जिले इस प्रकार के हैं जिन्हें अपनी इनपुट कॉस्ट नहीं मिल पा रही है। संसद में भी बार-बार आग्रह किया गया है कि फारमर्स-कमीशन ने, डा. स्वामीनाथन कमीशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कई वर्ष पहले अपनी रिपोर्ट सब्मिट कर दी है लेकिन आज तक उसकी रिक्मेंडेशन्स को लागू नहीं किया गया है। मैं मानता हूं कि डा. स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को यह सरकार जितनी जल्दी लागु कर देगी, उतनी जल्दी इस देश के किसानों का कल्याण हो जाएगा। मनरेगा के कारण भी एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है। कृषि क्षेत्र में जो स्किल्ड लेबर होता है, जिसमें काम करने की कुशलता होती है, उसका संकट पैदा होता जा रहा है। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि मनरेगा को कृषि के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए, मैं मनरेगा को समाप्त करने की मांग नहीं कर रहा हूं। जिन किसानों ने क्रॉप-होलीडे की घोषणा की है और इस साल फसल नहीं बोई है, उन्हें कम से कम 10 हजार रुपये प्रति एकड़ का कम्पनसेशन दिया जाना चाहिए। केवल वही के किसानों में नहीं, बल्कि देश के समस्त किसानों के समक्ष ऐसा संकट पैदा हुआ है। इनपुट कॉस्ट न मिलने के कारण, मैं संसद में यह मांग करता हूं कि एक स्टुमिलेटेड पैकेज, स्पेशली डिजाइन्जड पैकेज, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देश के किसानों को दिया जाना चाहिए। इस देश में सबसे बड़ी आबादी किसानों की है और सबसे बड़ा पेशा कृषि है। इसलिए मैं संसद में यह भी मांग करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर को एक नेशनल ऑक्रपेशन, एक राष्ट्रीय पेशा घोषित किया जाना चाहिए और किसानों और कृषि जगत की समस्याओं पर विचार करने के लिए संसद का एक विशेष सत्र आज बुलाए जाने की आवश्यकता है। अगर ऐसा होता है तभी हम कृषि जगत की समस्याओं से जूझ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदया: श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री शिवकुमार उदासी, डा. भोलासिंह, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्रीमती दर्शना जरदोश, श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट, सुश्री जे. शांता, श्री वीरेन्द्र कश्यप, श्री चन्दूलाल साहू, श्री जीतेन्द्र सिंह बुन्देला, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री अशोक अर्गल, श्री गणेश सिंह, श्री गजानन ध. बाबर, श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर, श्रीमती मीना सिंह, श्री प्रबोध पांडा, श्री जगदानन्द सिंह, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री शिवराम गौडा, श्री राकेश सचान, श्री एम.बी.राजेश, श्री कीर्ति आजाद, श्रीमती विजया चक्रवर्ती, श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, श्री के.डी. देशमुख, श्रीमती परमजीत कौर गुलशन, श्री मोहन जेना, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री दारा सिंह चौहान, श्री सिद्धांत महापात्र, श्री प्रेम दास राय, श्रीमती संतोष चौधरी, डा. राजन सुशांत, श्री नारनभाई काछड़िया, श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण, श्रीमती पुतुल कुमारी, श्री लक्ष्मण टुडु, श्री विश्व मोहन कुमार, श्री राकेश सिंह, डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी, श्री तथागत सत्पथी, श्री हिरभाउ जावले, श्री सुशील कुमार सिंह, श्री राजू शेट्टी, को माननीय राजनाथ सिंह जी के विषय के साथ सम्बद्ध किया जाता है।

Shri Pulin Bihari Baske – not present.

श्री के.डी. देशमुख (बालाघाट): माननीय अध्यक्ष महोदया, मध्य प्रदेश के बालाघाट और सिवनी कृषि प्रधान जिले हैं। यहां पर मुख्यतः धान की खेती होती है। बालाघाट और सिवनी जिले में किसानों को तत्काल डीएपी खाद की आवश्यकता है। इन दोनों जिलों में डीएपी खाद की किल्लत होने के कारण और क्षेत्र की जनता के अनुरोध पर मैं उर्वरक मंत्रालय के सचिव से भी मिला। दिनांक 18.8.2011 को मैं उनसे मिला और निवेदन किया कि बालाघाट और सिवनी जिला में एक-एक रैक डीएपी खाद की भेजी जाए। इस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि तत्काल एक-एक रैक भेज दी जाएंगी। इसके बाद मैंने माननीय उर्वरक मंत्री जी से भी मुलाकात की और उनसे भी मांग की कि बालाघाट और सिवनी जिलों में एक-एक रैक डीएपी की भेजी जाए। आज 8-10 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसानों को डीएपी उपलब्ध नहीं हो रहा है। अभी तक खाद की रैक नहीं पहुंचने के कारण जिले के किसानों में तीव्र आक्रोश है। किसानों में हाहाकार है। समय पर आपूर्ति नहीं की गई तो इसका सीधा असर फसलों के उत्पादन पर पड़ेगा और किसान बर्बाद हो जाएंगे।

अतः आपके माध्यम से माननीय उर्वरक मंत्री जी से मेरी मांग है कि बालाघाट एवं सिवनी जिलों में एक-एक डीएपी खाद की रैक भेजने की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया : श्री जितेन्द्र सिंह और श्री वीरेन्द्र कुमार अपने को श्री के.डी. देशमुख द्वारा उठाए गए मुद्दे से सम्बद्ध करते हैं।

SHRI NRIPENDRA NATH ROY (COOCH BEHAR): Madam, it is an admitted fact that jute is the most vital economic crop not only in West Bengal but also in other States of India. In West Bengal, the farmers fully depend on jute for their bread and butter. We all know that the things made from jute are also eco-friendly.

It is a matter of grave concern that the amount fixed by the Government of India is Rs.1670 per quintal. Fixing up the amount of jute shows that they are quite ignorant of the cost needed for the cultivation of jute. Consequently, jute farmers are in a fix how to manage their family. What about the profit of the farmers who are going on shedding sweat for the cultivation of jute? Do they know how much does it cost for its cultivation? The present cost of labour, fertilizer and with ploughing, it reaches almost Rs.1600/- per quintal. So, it is clear that the interest of jute cultivators are fully ignored.

So, I firmly demand that the sale rate of jute should immediately be increased to Rs.4000/- per quintal. Above all, the profit of the farmers must be looked into if India is to prosper in agriculture. I want remunerative price and the Jute Corporation of India should purchase jute from the farmers.

SHRI HEMANAND BISWAL (SUNDARGARH): Madam Speaker, the outbreak of dengue in Odisha has assumed the proportion of an epidemic. The vector-borne disease has already spread over 24 districts out of 30 districts in the State and the death toll has risen to 24. Out of 1825 samples, 838 samples have been identified as positive. The disease is mainly seen in the mining and industrial areas originated from Angul, Talcher belt and Rourkela of Sundargarh District. The inefficiency and carelessness of the State Government is evident from the statement of the Health Minister in the Assembly. So, the complacency, carelessness and lack of commitment of the Government has created failure to contain the outbreak. The Government have partially swung into action only after the rap from the High Court.

So, the union Government should intervene in the prevailing situation to save the affected people. Super specialists and Paramedical Staff should be

deputed to the State for better coordination and treatment to combat the outbreak on war-footing.

Madam, I may be permitted the lay to detailed district-wise break up on the Table of the House.

MADAM SPEAKER: No.

SHRI HEMANAND BISWAL: Madam, the exact picture of the health condition of Odisha is not a pretty one by any means. The Government would need to take the issue very seriously and must come up with proper plans to solve this problem. Dengue spread quite quickly in vast areas because of improper sanitary conditions and lack of preventive measures. The population living in the rural areas is too vulnerable to such kind of diseases which spread easily. The State Government has failed to pro-actively make people aware before monsoon about the preventive care they can have for Dengue. We urge the Central Government for an immediate intervention to cure and stoppage the outbreak of Dengue.

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, मुझे एक अति महत्वपूर्ण...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: नहीं, ज़ीरो ऑवर के बाद बोलिएगा। ज़ीरो ऑवर में में सबको सिलसिलेवार बुला रही हूं। श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): अध्यक्ष महोदया, उर्दू सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि एक सभ्यता एवं संस्कृति की जननी है। उर्दू का चलन जिस तेजी से खत्म हो रहा है, उससे एक सभ्यता के मिट जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इस सुरीली और मोहब्बत वाली भाषा को बचाने के लिए नयी पीढ़ी में उर्दू पढ़ने लिखने की आदत डालनी होगी। इस भाषा की हिफाज़त की जिम्मेदारी उर्दू जानने वालों पर ही हैं। मदरसा एवं उर्दू शिक्षकों को आगे आकर जन आंदोलन शुरू करना होगा। सरकार को चाहिए कि वह अन्य भाषाओं की तरह उर्दू के प्रचार, प्रसार एवं विकास पर ध्यान दे। हिन्दी और उर्दू दोनों सगी बहनें हैं। हमारे बिहार राज्य में उर्दू को कार्यालय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। बाकायदा सरकार ने हर कार्यालय में उर्दू लिपिकों की भर्ती की है। उतना ही नहीं बल्कि उर्दू शिक्षकों की भी भर्ती की है। उर्दू में संचिकाएं भी माननीय मंत्री लोगों के यहां जाती हैं और उन पर हस्ताक्षर भी होते हैं। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार से मांग करता हूं कि बिहार की तरह अन्य राज्यों में भी इसकी शुरुआत कराएं। हमारे माननीय नेता नीतीश कृमार जी ने इसी सदन में कहा था इंक्लाब जिंदाबाद बोलने से जो जज्बा पैदा होता है, वह क्रांति

जिन्दाबाद बोलने से नहीं होता। हमारे नेता भी उर्दू भाषा के पक्षधर हैं एवं उन्होंने बिहार के विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों की भी भर्ती की है। धन्यवाद।

SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI): Madam, Pettavathalai, a place that falls within my parliamentary constituency Trichirapalli is having a population of more than 30,000. The E.I.D.Parry company is having sugar factory there. The famous tourist place, namely, 'Mukkombu' is only 4 kilometers from Pettavathalai. A large number of tourists are using Pettavathalai railway station to reach Mukkombu. The agriculturists and the general public of the surrounding places are using Pettavathalai railway station to reach their destinations. At present the Mangalore Express from Chennai to Mangalore *via* Tiruchirapalli is passing through Pettavathalai. There is a long pending demand of the people for a stoppage of Mangalore Express at Pettavathalai. I, on behalf of the people of my constituency, urge the Government through this august House to order for the stoppage of Mangalore Express at Pettavathalai.

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): अध्यक्ष महोदया, मैं अपने संसदीय क्षेत्र से लगा हुआ जो कानपुर नगर है, वहां से कानपुर-बिल्लौर-कन्नौज-ऐटा-बेबर-अलीगढ़-बुलंदशहर-गाजियाबाद-गौतमबुद्ध नगर-दिल्ली मार्ग जो एतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जी.टी.रोड कहलाता है एवं प्राचीन में भारत प्रमुख व्यापारिक मार्ग था और वर्तमान में इस मार्ग का दिल्ली से जुड़ा होने के कारण इस पर भारी यातायात का दबाव भी रहता है तथा पिछले काफी समय से इस मार्ग को चार लेन बनाये जाने की मांग की जाती रही है। लेकिन अभी तक इस मार्ग को चार लेन में परिवर्तित नहीं किया गया जिसके कारण आए-दिन गंभीर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें काफी लोगों की मृत्यु हो जाती है और बड़ी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इस मार्ग पर गंभीर सड़क दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निश्चित दूरी पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कानपुर-बिल्लौर-कन्नौज-ऐटा-बेबर-अलीगढ़-बुलंदशहर-गाजियाबाद- गौतमबुद्ध नगर-दिल्ली मार्ग पर एक निश्चित दूरी पर समुचित चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराये जाने व बिल्हौर तहसील के निकट एक ट्रामा सेंटर की स्थापना किये जाने तथा साथ ही इस मार्ग को चार लेन बनाये जाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं जिससे इस मार्ग पर भारी दबाव कम हो सके एवं इसकी ऐतिहासिक महत्ता भी बरकरार रहे।

श्री हरिभाऊ जावले (रावेर): महोदया, मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र से संबंधित विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। केंद्र सरकार द्वारा हर क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य पर अन्याय हो रहा है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का शासन है और केंद्र में भी कांग्रेस का शासन है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस का शासन होते हुए महाराष्ट्र राज्य पर अन्याय क्यों हो रहा है। हर सेशन में महाराष्ट्र के माननीय मुख्य मंत्री सांसदों के पास लंबे समय से लंबित कुछ विषय रखते हैं। आज भी सेशन में 43 ऐसे विषय हैं जो चार-पांच साल से लंबित हैं। मैं इसमें से एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। वर्ष 2009-10 में केंद्र सरकार के जल संपदा मंत्रालय ने एआईबीपी के माध्यम से पूरे देश के लिए 1676 करोड़ की आरआरआर यानी रिपेयर, रेनोवेशन और रिस्टोरेशन वाटर बॉडीज़ स्कीम मंजूर की थी। महाराष्ट्र सरकार, जल संपदा विभाग ने दो प्रस्तावों को पास कर 558 करोड़ रुपये का प्रस्ताव 1420 वाटर बाडीज़ को रिपेयर करने का 2010 में दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाड़ और कर्नाटक, सभी राज्यों को आरआरआर के लिए मंजुरी दी है लेकिन महाराष्ट्र का प्रस्ताव अभी भी लंबित है। मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री में फाइनेंस सैक्रेट्री से इस प्रस्ताव की मंजूरी के बारे में दो बार मीटिंग की है। महाराष्ट्र राज्य में पानी के तालाब, केटीवियर के रिपेयर के लिए पैसे की अत्यंत आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर से विनती करता हूं कि महाराष्ट्र राज्य के इस गहन विषय को ध्यान में रखें। महाराष्ट्र राज्य से ही फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रबल हो रही है क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा महाराष्ट्र राज्य से आता है। अगर आप इसका थोड़ा सा हिस्सा महाराष्ट्र की आरआरआर बॉडी रिपेयर करने के लिए देंगे तो इस लंबित विषय में तत्काल अच्छा काम हो सकता है। यहां ग्राउंड वाटर लैवल कम हो रहा है जिसके कारण हर एरिया के किसान की डिमांड है कि तालाब दुरुस्त होने चाहिए। यहां अहिल्याबाई होल्कर के समय से तालाब हैं जिनकी रिपेयर अब नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार इस पर त्वरित ध्यान दे और मंजुरी दे।

अध्यक्ष महोदया : श्री हमदुल्लाह सईद - अनुपस्थित।

SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): Madam, I would like to invite your attention to the sad plight of our children who are studying in the CBSE and the ICSE schools. Is it a crime to use mother tongue? In many schools, if the children communicate with one another in their mother tongue, they are being fined. Even in England, they do not fine the children who use their mother tongue for communication. But in this nation, many of the CBSE and the ICSE schools

punish their children just because they communicate with one another in their mother tongue.

In my language 'achan' means father; in my language 'amma' means mother. Two children, while speaking with each other, if they say 'ende amma' for 'my mother' and 'ende achan' for 'my father', they are being fined. Three or four days back, there were reports in the newspapers that some children were fined to the tune of Rs. 1,000; and some girl children were pushed out of the school gates. They had to wait outside till evening because only by 5 o'clock their van would come to fetch them. This is happening in many of our schools.

It is the primary right of the children to communicate with one another with the help of their mother tongue. So, we have to respect the mother tongue. Our Constitution specifically enumerates certain vernacular languages along with our official languages.

I hope the whole House, the august House, will definitely express its solidarity with me. It is because all our children should have the right to communicate in their mother tongue. It is not the duty of the teachers and the management to punish them. They have no right to punish our children. My humble request through you Madam, to the Government is that if any complaint from any school comes before the Government of India regarding the punishment of the children just because they have used their mother tongue for communication, severe action should be taken against the managements of those schools and even the recognition of the CBSE and ICSE should be withdrawn. ... (*Interruptions*)

That is all, thank you.

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Madam, it is a very serious issue. The Government should make a statement on this issue. ... (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam, the Government should make a statement on this issue. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please send your names to be associated with this matter.

... (Interruptions)

29.08.2011

MADAM SPEAKER: Shri P.K. Biju, Shri Arjun Ram Meghwal, Shri M.B. Rajesh, Shri Shivkumar Udasi, Shri Manicka Tagore, Shri P. Vishwanathan, Shri S.S. Ramasubbu and Shri Surendra Singh Nagar are allowed to associate with this matter.

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): मैडम, इस पर नियम 193 के तहत चर्चा कराइये। अध्यक्ष महोदया: आप नोटिस दे दीजिए।

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Madam Speaker, thank you very much for giving me this opportunity. I am raising a very important issue regarding the immunization of children.

Madam, the number of children dying due to immunization-related complications has more than tripled after the Government closed down three public sector vaccine labs – the Central Research Institute in Kasauli, BCG Laboratory in Chennai and the Pasteur Institute of India in Coonoor. These institutes were closed down in 2008. After closing of these three institutes, some complications are arising in the immunization programme. To make up for the demand of 75 lakh vaccines doses of six kinds needed for its universal immunization programme, the Government has been procuring them from private firms.

Now, I would like to tell this august House that there is an adverse effect after immunization (AEFI). AEFI is a general term that covers various reasons including bad vaccine quality due to break in cold chain, contamination and complications due to pre-existing conditions of the child. In 2007 only 32 children lost their lives to AEFI whereas in 2009, the figure has increased to 116 children.

Now, it seems that these units will not be expected to restart its earlier production capacity and procuring vaccines from private companies is also turning out to be more expensive and not sufficient to meet the increasing demand. According to the recent report, 17.5 crore doses is the extent of vaccine shortage in the country. If urgent measures are not taken, there will be many more deaths of

children. The proposal to start an Integrated Vaccine Complex near Chennai in Tamil Nadu is also not expected to be ready till today.

I would urge upon the Union Government to ensure that adequate supply of essential vaccines be made available for preventable diseases to protect the lives of children and also to restart all the three vaccine manufacturing units in their full capacity and opening of the proposed new Integrated Vaccine Complex near Chennai at the earliest.

MADAM SPEAKER: Dr. Raghuvansh Prasad Singh — not present.

Dr. (Smt.) Botcha Jhansi Lakshmi – not present.

Shri Devji Mansingram Patel - not present.

*SHRI NALIN KUMAR KATEEL (MANGALORE): Madam Speaker, I am grateful to you for giving me the opportunity to draw the attention of the Union Government towards the problem of Sea Erosion in coastal Karnataka.

I am representing Mangalore parliamentary constituency in the Lok Sabha. It is my home district too and situated in the coastal belt of Karnataka. Sea Erosion has been the burning problem of the districts of the coastal belt. In our country we have more than 2000 kms. of coastal line from which Karnataka has about 280 kms. In the recent years due to various reasons like increasing population, global warming, climate change and mining etc., rapid Sea Erosion is taking place in the coastal belt. People living in coastal region are very much distressed. Lakhs of fishermen are dependent on sea to earn their livelihood. But Sea Erosion has been severely affecting not only their lives but also their livelihood. During rainy season these people are asked to vacate their places and they are forced to go away from sea. These people run from pillar to post to seek the assistance of the Government. To prevent this problem the ruling BJP Government in Karnataka is making all efforts and entered into an agreement with Asian Development Bank to formulate a programme in this regard.

This programme is being implemented in three phases and will be completed by the year 2018. At this juncture I would like to impress upon the Government of India to extend necessary financial and technical support to the Government of Karnataka to complete this project within the stipulated time. The Union Government should prepare a national plan for tackling Sea Erosion and extend all possible support to the states located on the coastal line of our country. This will enable people living in the costal belt particularly fishermen community to lead a happy and comfortable life

^{*} English translation of the speech originally delivered in Kannada

Finally I urge upon the Union Government through you to look into this issue and take immediate steps in this regard.

With these words, I conclude my speech.

MADAM SPEAKER: Hon. Members Shri Shivkumar Udasi, Shri Shivarama Gouda. Shri Pralhad Joshi and are allowed to associate with the matter raised by Shri Naveen Kumar Kateel.

- (1) Shri Shivkumar Udasi.
- (2) Shri Shivarama Gouda.
- (3) Shri Pralhad Joshi..

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): महोदया, पूरे देश में जैसे-जैसे विकास हो रहा है, वैसे-वैसे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है तथा स्वच्छ वातावरण का शहरी क्षेत्र में तो लगभग अभाव ही हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र में जहां कि स्वच्छ और प्रदूषण रहित वातावरण अभी भी है परंतु यदि वही ग्रामीण क्षेत्र किसी राजमार्ग के निकट है तो वाहनों से निकलने वाला धुआं उक्त वातावरण को प्रदूषित कर रहा है।

जिस प्रकार विकास के लिए कल-कारखाने व परिवहन के साधन आवश्यक हैं, उसी प्रकार स्वस्थ रहने के लिए प्रदूषण रहित वातवरण भी आवश्यक है। भारत सरकार से इस संबंध में राज्यों को कई बार निर्देश भी गए हैं तथा राज्य सरकारों ने पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड का भी गठन किया है, फिर भी इसका समुचित पालन नहीं हो रहा है तथा वाहनों के माध्यम से होने वाले प्रदूषण पर तो कोई रोक ही नहीं है। लाखों की संख्या में वाहन सड़कों पर चल रहे हैं और स्वच्छ वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। राज्य सरकारें इस संबंध में अमले की कमी व अन्य कारणों से इन पर कोई कार्यवही नहीं कर पाती हैं।

इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक वाहन जो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, गैस आदि लेने के लिए किसी न किसी पेट्रोल पम्प पर जाता है, उस समय किसी भी वाहन में ईंधन भरने के पहले उक्त वाहन का एक्जास्ट के माध्यम से पॉल्यूशन चेक किया जाए। यदि वाहन पॉल्यूशन के मानकों के अनुरूप सही है तभी उक्त वाहन को ईंधन दिया जाए अन्यथा नहीं दिया जाए। ऐसे निर्देश सरकार से पेट्रोलियम कम्पनियों को स्पष्ट रूप से दिए जाएं।

महोदया, निश्चित रूप से इस प्रकार के कानून के माध्यम से हम अपने देश को प्रदूषण रहित वातावरण उपलब्ध कराने में काफी सहायक सिद्ध होंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): अध्यक्ष महोदया, दिनांक 14.12.2009 को मैंने शून्य प्रहर में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के आंगनवाड़ी के वर्कर एवं हैल्पर आदि के बारे में अपनी बात रखी थी। उसके मुताबिक दिसंबर, 2009 में प्रशासन को पत्र भी लिखा था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। हमारे अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में एक आदमी पर साल में पचास हजार रूपये खर्च होते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता एवं हैल्पर के वैलफेयर फण्ड के नाम पर सन् 2001 में भारत सरकार ने प्रशासन को आदेश दिया कि आप इनके वैलफेयर फण्ड के लिए कुछ काम करें। वेलफेयर फण्ड को देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर को 60 साल बाद पेंशन दी। तिमलनाडु सरकार ने उनको पे-स्केल दिया और पेंशन भी दे रही है। रिटायरमेंट के बाद लम्पसम 50 हजार रूपये वर्कर के लिए और हैल्पर के लिए 20 हजार रूपये देते हैं। केरल गवर्मेंट दस साल के बाद पेंशन दे रही है। कर्नाटक सरकार पेंशन दे रही है।

पुडुचेरी, जहां से हमारे मंत्री जी नारायणसामी जी आते हैं, वहां पर पुडुचेरी कार्पोरेशन आंगनवाड़ी हैल्पर को पेंशन देता है। लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ने आज तक पेंशन नहीं दी है। सरकारी संस्था है एनिटको, उसका काम शराब की बिक्री करना है, और कुछ नहीं करना है।

एनिटको के माध्यम से पुड्डुचेरी कार्पीरेशन जैसे इन वर्कर्स को पेंशन दे रहा है। यह मांग लेकर मैंने पत्र भी दिया है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि हमारे द्वीपसमूह में आंगनबाड़ी वर्कर्स, हैल्पर, मिनी वर्कर्स कुल मिलाकर 1,373 हैं, इन लोगों को पेंशन दें, इन्हें परमानेंट करें। आंगनबाड़ी बीमा योजना की बहुत बुरी हालत है। बीमा योजना भारत सरकार ने अप्रैल 2004 से शुरू किन्मुकी राज्यों में बीमा योजना शुरू है, बीमा योजना में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चों को पढ़ने के लिए 300 रूपये मिलेंगे, लेकिन आज तक बीमा योजना शुरू नहीं हुई है। अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में प्री-स्कूल किडस को चार्ट खरीदने के लिए एक हजार रूपये सालाना, लेकिन चार साल में एक बार किट्स मिलता है। आईईसी(अवेयरनेस) के लिए सालाना हर आंगनबाड़ी के लिए एक हजार रूपया सैंशन है, लेकिन एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। यूनीफॉर्म देने के लिए साल में दो जोड़ के लिए 400 रूपया मिलना चाहिए, लेकिन वह भी नहीं मिला। आंगनबाड़ी हैल्पर्स को बैच मिलना चाहिए था, वह भी नहीं मिला। गांवों में आंगनबाड़ी सेंटर्स के लिए सरकार 200 रूपये किराया देगी, लेकिन वह अंडमान में अमल नहीं हुआ। अर्बन एरिया में जो आंगनबाड़ी सेंटर्स चलते हैं, उनको घर के लिए 750 रूपये मिलने हैं, लेकिन वह पांच-छह महीने बाद मिलता है। फ्लैक्सी फंड, मामूली खर्चे के लिए, आंगनबाड़ी सेंटर के लिए जैसे कोई चार्ट खरीदना, दरी खरीदने आदि के लिए हजार रूपये सेंटर को मिलना तय हुआ, लेकिन वह आज तक लागू नहीं हुआ है। मिनी आंगनबाड़ी वर्कर को 750 रूपये मिलते हैं, वहां 19 सेंटर्स हैं। भारत सरकार ने पिछले बजट में घोषणा की थी कि आंगनबाड़ी हैल्पर को कम से कम 1500 रूपये ऑनरेरियम मिलेगा, लेकिन आज तक वह भी नहीं मिला है। मैं मांग करूंगा कि अंडमान निकोबार द्वीपसमूह भारत सरकार के अंडर में है, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। इसीलिए अण्णा हजारे जी की बात सही है। अण्णा हजारे जी वही बात बोलते हैं कि सिटीजन चार्टर बनाओ। लोकसभा को क्या करना है, एम.पी. की चिट्ठी पर कार्यवाही नहीं होती है, जीरो ऑवर में उठाए गए विषयों पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम लोगों को प्रोटैक्शन कहां से मिलेगा? अण्णा हजारे जी की बात सही है, अण्णा हजारे जी का जन-लोकपाल बिल होने से सिटीजन चार्टर होता और लोगों को यह अधिकार मिलने वाला था। पवन कुमार बंसल जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अंडमान निकोबार द्वीपसमूह भारत सरकार के अंडर में है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आप सब लोग हैं तो उसकी हालत ऐसी क्यों है? तमिलनाड् गवर्नमेंट पेंशन देगी, कर्नाटक गवर्नमेंट पेंशन देगी, क्या आप लोगों के पास अंडमान में पेंशन देने

के लिए पैसे नहीं हैं? आप बोलते हैं कि यह आम आदमी की सरकार है। मैं मांग करता हूं कि आंगनबाड़ी वर्कर्स की समस्याओं का तुरन्त समाधान कीजिये। इस मांग के लिए मैं दोबारा जीरो ऑवर में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अगली बार जीरो ऑवर में मौका न मिलने पर मैं क्या करूंगा, मुझे स्पीकर महोदया के सामने जाकर वैल में बैठना पड़ेगा। मेरे पास बस यही रास्ता है। जय हिन्द, भारत माता की जय।

अध्यक्ष महोदया : आप वैल में मत बैठियेगा।

...(व्यवधान)

SHRI PULIN BIHARI BASKE (JHARGRAM): I would like to draw the attention of the hon. Minister of Road Transport & Highways, through you, Madam, the horrendous condition of NH-6 between Chowrangi near Kharagpur of West Bengal and Jamshedpur of Jharkhand via Baharagora near Jamsola of Odisha. A large part of this National Highway belongs to my parliamentary constituency. More than 200 km. road between these three States is in a dilapidated condition. It is one of the most important connecting roads of Golden Quadrilateral between these three States. It should be strengthened and widened from two lanes to four lanes for better communication. This area is dominated by Scheduled Castes and Scheduled Tribes people. Socio-economic development of the people of these backward classes depend upon the better communication of this Highway. Hence, I would request you to take up the matter in an urgent manner. Thank you for giving me a chance to speak.

MADAM SPEAKER: Dr. Kirit Solanki, please do not level any allegations when you speak.

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे संघीय ढांचे के बारे में बोलने की अनुमति दी।

महोदया, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत का संविधान पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाया और मैं समझता हूं कि दुनिया के श्रेष्ठ संविधानों में हमारा संविधान है। संविधान के तहत पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के तहत देश का संचालन किया जाता है। इसमें केन्द्र और राज्य सरकार के बीच बैलेंस बनाया गया है।

महोदया, मैं गुजरात राज्य से लोक सभा में प्रतिनिधित्व करता हूं। गुजरात की सरकार विकास और सुशासन में भारत के समस्त राज्यों में से सर्वश्रेष्ठ सरकार गिनी जाती है।...(व्यवधान) इसका मुझे गर्व है। गुजरात में कई आईपीएस अफसरों में व्याप्त अनुशासनहीनता के लिए गुजरात सरकार ने भारत के संविधान के तहत एवं भारत के वर्तमान कानूनों के तहत कार्रवाई की है। मैं कहना चाहता हूं कि इस कार्रवाई में केन्द्र सरकार की ओर से बाधा डाली जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के संघीय ढांचे के तहत बाधा डालना सही नहीं है। मैं केन्द्र सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि भारत के संघीय ढांचे को इम्बैलंस करने की कोई कोशिश न करे। भारत में राज्यों को एक दर्जा दिया गया है और केन्द्र को अलग दर्जा दिया गया है और उसी के तहत कार्यों का क्रियान्वयन होता है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि राज्यों के कार्यों में वह दखल न करे। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया : श्री शिवकुमार उदासी और श्री अर्जुन राम मेघवाल अपने को उपरोक्त मामले से संबद्ध करते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती रमा देवी।

आप कोई आरोप न लगाइगा। बिना आरोप लगाए बोलिए।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

महोदया, मैं सदन के माध्यम से जानकारी देना चाहती हूं कि केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में बनने वाली सड़कों की राशि को अटका कर रखा हुआ है और उसे अभी तक जारी नहीं किया है। इसके कारण बिहार में नौ हजार किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। साथ ही, 950 पुलों के निर्माण हेतु भी राशि निर्गत नहीं की जा रही है। इसके लिए बिहार सरकार बार-बार अनुरोध कर रही है। यह जनता की चीज है। हम लोग जब गांव में जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है। सभी लोग कहते हैं कि आपको केन्द्र में भेजा गया है, फिर भी सड़क नहीं बन रही है। बहुत सड़कें तो ऐसी हैं, जिनकी ईंटें उखाड़ ली गई हैं। बरसात के दिनों में वे सड़कें कीचड़ से भर गई हैं और उन पर चलना मुश्किल हो गया है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगी कि केन्द्र सरकार इस रवैये को छोड़कर सड़क बनाने की राशि देने की कृपा करे। बिहार के सभी लोग इसके लिए जागरूक हैं कि उन्हें सड़क मिले। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है। यह लोक हित की बात है।

12.44 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377*

MADAM SPEAKER: Hon. Members, matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters will be treated as laid of which slips have been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

(i) Need to start work on setting up of Silk Park in Kancheepuram district, Tamil Nadu

SHRI P. VISWANATHAN (KANCHEEPURAM): Responding to the demands of the weavers of my constituency, Kancheepuram, in October 2009 the Ministry of Textiles had agreed to set up a silk Park to boost the silk handloom Sector at Kancheepuram and an announcement was made by the then Union Minister of Textiles.

This project was to provide direct and indirect employment to over 15,000 people and have facilities for silk twisting, weaving, dyeing, processing, ETP, centralized marketing and a research centre.

The estimated infrastructure cost for the project is Rs. 83.75 crores with 40% (Rs. 33.40 crores) from Central Government, 51% (Rs. 41.85 crores) to be made by private promoters and the balance 9% (8 crores), from State Government initially by way of providing land.

As on December 31, 2010, about 85 persons from the private sector, have remitted payment amounting to Rs. 1.50 crores.

In October, 2009, the district administration had identified a 75-acre site at Kizhkathirpur in Kancheepuram for setting up the silk park and has sought the approval of the State Government, But the land transfer has not taken place.

_

^{*} Treated as laid on the Table.

As there is no progress for the past over 20 months, I request the Minister for Textiles to accord work of the Silk Park on priority basis so as to implement the same without further delay.

(ii) Need to expedite construction of railway line from Kapilvastu to Basti in Uttar Pradesh

श्री जगदम्बिका पाल (डुमिरेयागंज): भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में तथागत गौतम बुद्ध की जन्मस्थली किपलवस्तु (पिपरहवा) से बस्ती जनपद के रेलवे स्टेशन तक नई रेल लाइन के सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया था। सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। जिसका प्रस्ताव उत्तर-पूर्व रेलवे से मंत्रालय को प्राप्त हो चुका है। उल्लेखनीय है कि रेल मंत्रालय के 2010-2011 के बजट में तत्कालीन रेल मंत्री ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना में भगवान गौतम बुद्ध की उक्त जन्मस्थली से नौगढ़, बांसी, रूधौली होते हुए बस्ती तक रेल निर्माण को शामिल किए जाने की स्वीकृति की घोषणा की है। उक्त रेल लाइन के निर्माण से पूरी दुनिया के तथागत बौद्ध के लाखों अनुयायियों को आवागमन की सुविधा प्रदान होगी। इससे पूरी दुनिया के बौद्ध धर्म के मानने वालों को रेल सुविधा मिल जाएगी एवं दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता एवं चैन्नई से आने वाले बौद्ध पर्यअकों को आसानी होगी। फलस्वरूप बौद्धसर्किअ स्थल के सुनियाजित विकास में गित आएगी। अतः मैं रेल मंत्री के सदन में दिए गए आश्वासन के सापेक्ष रेल मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के किपलवस्तु से बस्ती जनपद को रेल लाइन से जोड़ने के लिए रेल निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ करने की मांग करता हूं।

(iii) Need to impress upon the State Governments particularly Madhya Pradesh Government to make provisions for installation of solar power systems in state-owned buildings

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): आज पूरे विश्व में ऊर्जा की कमी एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या हो गई है। हमारा देश भी इस समस्या से जूझ रहा है। मेरे गृह प्रदेश मध्य प्रदेश में तो विद्युत की कमी एक ऐसी समस्या बन गई है जिसका समाधान संभव ही नहीं लग रहा है।

मैं आभारी हूं, भारत सरकार का जिसने इस विश्वव्यापी समस्या से निपटने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का गठन कर अभी से इस संबंध में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। राज्य अपनी बिजली की कमी को केन्द्र सरकार का क्षेत्र बतलाती है।

इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार के माध्यम से प्रत्येक राज्य सरकार को यह स्पष्ट निदेश जाएं कि राज्य सरकार अपने लोक निर्माण विभाग के माध्यम से निर्मित होने वाले प्रत्येक शासकीय कार्यालय व निर्मित होने वाले भवनों के प्राक्कलन में सौर ऊर्जा उपकरण का प्रावधान आवश्यक रूप से रखें जिससे बिजली उत्पादन की मांग एवं पूर्ति का सामंजस्य बना रहे ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक उन्नत भविष्य के साथ-साथ देश भी विरासत में दे सकें।

(iv)Need to take favourable action to end economic blockade in Manipur

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Manipur is once again under siege – this time by two economic blockades on the only two lifeline National Highways of the State. One blockade is called by Sadar Hills District-hood Demand Committee (SHDDC) from 1 August and the other, a counter blockade is called by the United Naga Council. These blockades have made the lives of common people in the State really miserable. We are still haunted by the terrible 68 days Naga-sponsored economic blockade which happened during last year. Availability of essential commodities including life-saving drugs and petroleum products are seriously affected. Their prices have gone high. Whatever might be the genuineness of any demand, putting the lives of common people at ransom is not the right path. We can sincerely make an attempt to find the solution through negotiations by putting forward opinions across the table. The demand of SHDDC is four decade old. The Parliament passed Manipur (Hill Areas) Autonomous District Council Act 1971. This Act provide for creation of six Autonomous District Councils and five districts have already been created. Only Sadar Hills District was left out. It deserves and requires a very serious retrospection. The primary responsibility of the Government is to protect the life and property of its citizens, I sincerely urge upon the Union Government to kindly intervene and help the State Government resolve the impasse immediately.

(v) Need to repair National Highway No. 12 in Rajasthan

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR): Jhalawar district is located on NH-12. The National Highway No. 12 has been completely destroyed. There is a heavy traffic from Central India to Rajasthan and North India. This road links the district of Jhalawar to Jaipur and other cities. In today's environment, the traffic is moving from Jhalawar to Baran and then to Kota *en route* to Jaipur. This increases the travel time and I would urge the Government that NH 12 road may be repaired and made available for use by the general public at the earliest. I hope the Government will take appropriate action so that our district of Jhalawar gets a better road infrastructure facility.

(vi) Need to provide pension to retired employees of Navodaya Vidyalaya Samiti under CCS (Pension) Rules, 1972

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): नवोदय विद्यालय समिति का गठन सन् 1986 में किया गया था जिसमें केन्द्रीय नागरिक सेवा के नियमों के अधीनस्थ वेतन भुगतान का ढांचा एवं अन्य शर्तों को अपनाया गया था। यह समिति ग्रामीण भातर के गरीब एवं प्रतिभाशाली बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने वाली सर्वोत्तम संस्था है। सन् 2005, 2006 एवं 2007 के दौरान संसदीय स्थायी समिति के द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि नवोदय विद्यालय समिति के कर्मचारियों को केन्द्रीय नागरिक सेवा (पेंशन), नियम 1972 के अंतर्गत पेंशन एवं भत्तों का लाभ प्रदान किया जाए परन्तु आज तक भी इन कर्मचारियों को यह लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि स्थायी समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द दिनांक 1.1.2004 से इन कर्मचारियों को पेंशन का लाभ प्रदान कराया जाए।

(vii) Need for payment of Royalty to State Government on well- head price of Crude oil

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला (वडोदरा): संबंधित राज्य सरकार को भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा क्रूड ऑयल के उपर रॉयल्टी का भुगतान क्रूड ऑयल के कंए के निजी दाम (वेल हेड प्राइस) के उपर आधारित होता है। कुंएं के निजी दाम ता. 17.03.2011 के समझौते अनुसार तय किये गये हैं, जो कि मार्केट आधारित था।

भारत सरकार की सूचना के अनुसार ओ.एन.जी.सी.एल. ने तेल वितरण करने वाली कंपनियों को क्रूड ऑयल डिस्काउंट पर देने का कार्य शुरू किया है।

ओ.एन.जी.सी.एल. ने अप्रैल 2008 तक बिना डिस्काउंट की कीमतों पर रॉयल्टी चुकाई है । लेकिन मई 2008 से डिस्काउंट बाद की कीमतों के उपर रॉयल्टी चुकाई है ।

वास्तव में तेल वितरण करने वाली कंपनियों को दिया जाने वाला डिस्काउंट एक आंतरिक व्यवस्था है और इसीलिये उसे रॉयल्टी की प्रक्रिया से बाहर रखते हुए, कुंए के निजी दाम (वेल हेड प्राइस) के साथ गिनती में लिया जाना चाहिए।

डिस्काउंट बाद की कीमतों से राज्य सरकार को रॉयल्टी का भुगतान होने की वजह से राज्य को लगभग रू. 2807 करोड़ और दंड के तहत अनुमानतः रूपया 700 करोड़ कुल मिलाकर 3507 करोड़ रूपये की रकम राज्य सरकार को कम मिली है।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार को यह कहना चाहूँगा कि वह ओ.एन.जी.सी.एल. कंपनी को आदेश दे कि यह भुगतान और भविष्य में कच्चे तेल पर रॉयल्टी का भुगतान डिस्काउंट के पाहले की कीमतों पर करें।

(viii)Need to take measures for strengthening educational, industrial and Panchayati Raj Institutions in Jammu & Kashmir

डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा): भारत माता के मुकुट जम्मू-कश्मीर राज्य के सर्वांगीण विकास व राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने व राज्य में रह रहे भारतवासियों को न्याय प्रदान करने हेतु भारत सरकार तुरन्त उचित कदम उठाए यथा जनसंख्या पर आधारित पुनसीमांकन देश के अन्य राज्यों की तरह तुरंत करवाया जाए। देश के अन्य राज्यों विशेषकर हिमालय प्रदेश की तर्ज पर जम्मू-कश्मीर में हुए पंचायती राज प्रणाली के चुनावों में निर्वाचित प्रतिनिधियों व पंचायती राज संस्थाओं को सभी शक्तियां तुरंत प्रदान की जाए। राज्य में रह रहे लगभग 13 लाख शरणार्थियों को मतदान करने, चुनाव लड़ने सहित अन्य सभी अधिकार व सुविधाएं दी जाएं। जम्मू क्षेत्र में बड़े उद्योग स्थापित किए जाएं। जम्मू की सेन्द्रल यूनिवर्सिटी को तुरंत चालूकर इसी सत्र से पढ़ाई भी शुरू करवाई जाए।

(ix) Need to refurbish and strengthen the Bathing Ghats in Allahabad in Uttar Pradesh keeping in view the upcoming Kumbh Mela

श्री किपल मुनि करवारिया (फूलपुर): प्रयाग हिन्दु धर्म तथा सर्वधर्म का एक पुण्य स्थान है। अगले आने वाले कुम्भ के मद्देनजर अभभ तक पूर्ण तैयारी नहीं हो पायी है। वहां के स्नान घाटों पर पक्की पौढ़ियां (घाट एवं सीढ़ियां) बनाने की आवश्यकता है। मेरा संघ सरकार से आग्रह है कि प्रयाग (इलाहाबाद) के संगम पर पौढ़ियों (घाट एवं सीढ़ियां) के लिए अविलंब धनराशि स्वीकृत कर जारी की जाए ताकि आने वाले कुंभ के तीर्थ यात्रियों को संगम में स्नान करने में कोई कष्ट नहीं हो सके।

(x)Need to give environmental clearance to construct iron gate of Kutku dam, part of the inter-state North Koel Irrigation Project, in Latehar district, Jharkhand

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना का कार्यारम्भ 1975 में हुआ। इसकी प्रारम्भिक लागत मात्र 30 करोड़ रुपए थी, जिस पर अभी तक लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है लेकिन 35 वर्षों तक कार्य पूरा नहीं होने के कारण अब इसकी अनुमानित लागत 1600 करोड़ रुपए हैं। स्थापना व्यय प्रति वर्ष आवर्तक खर्च के रूप में लगभग 10 करोड़ है। इस योजना से बिहार के औरंगाबाद, गया और झारखंड के पलामू जिले की एक लाख चौबीस हजार हेक्टेयर (124000 हेक्टेयर) जमीन में सिंचाई होगी तथा डैम से 24 मेगावाट पन-बिजली का भी उत्पादन हो सकेगा। इससे वैसे पठारी इलाके में सिंचाई होगी, जहां पीने का भी पानी नहीं है। गरीबी-भूखमरी के कारण पूरा इलाका उग्रवाद से भयंकर रूप से ग्रसित है।

वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसके डैम (कुटकु डैम) में लोहे का गेट लगाकर जल का भंडारण करना है जिससे सिंचाई की स्थाई व्यवस्था हो सके। परन्तु वन विभाग झारखंड द्वारा केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का हवाला देते हुए इस कार्य पररोक लगा दी गई है। बिहार के बंटवारे के बाद यह योजना दो राज्यों की हो गई है, जिसका डैम, बराज और मुख्य नहर का कुछ भाग झारखंड में ओर मुख्य नहर एवं अधिकांश वितरणियां बिहार में है। वर्तमान में दोनों ही राज्य सरकारें इस महत्वपूर्ण सिंचाई योजना के शेष कार्यों को पूरा करने हेतु इच्छुक है। लेकिन आपित के कारण विवश है। इस योजना के पूर्ण होने से लगभग 2000 करोड़ रुपए के खरीफ और रबी फसलों का उत्पादन प्रतिवर्ष होगा।

मेरी सरकार से मांग होगी कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने कुटकु डैम में लोहे का फाटक लगाने पर जो प्रतिबंध लगा रखा है, उसे हटाया जाए जिससे दो राज्यों के लगभग 5 लाख परिवार किसान और खेतिहर मजदूर जो मूलतः कृषि पर निर्भर है, का जीवन यापन सुगम हो सके।

(xi) Need to include Dalit Christians and Muslims in the list of Scheduled Castes

SHRIMATI J. HELEN DAVIDSON (KANYAKUMARI): I would like to raise the issue for inclusion of Dalit Christians and Muslims in the list of Scheduled Caste.

Out of the total Christian population of 24 millions in our Country, the Christians of Scheduled Caste origin come to about 65 percent. Thus the Christians of Scheduled Caste origin who form more than half of Christian population in India, are not eligible for legal protection (Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities), Act 1989 because they chose to follow a religion of their choice, a fundamental right that is guaranteed in the Constitution of India- Articles 15, 25 and 21. Also, I bring to your kind notice that the Dalit Christians and Dalit Muslims have been denied SC status for the last fifty nine years of their constitutional rights and entitlement. As per National Commission for Religious and Linguistic Minorities non-inclusion of SC Christians and SC Muslims in the SC list is a discrimination based on Religion and goes against the articles 14, 15 and 25 of the Constitution of India. Religion must be de-linked from caste. The discriminatory Para 3 of the Constitutional Scheduled Caste Order 1950 can be deleted by appropriate provisions. But the Union Government has not taken any action on this report and millions of SC Christians and Muslims continue to suffer unjustly. The Scheduled Caste Hindus, Sikhs and Buddhists are given the Constitutional protection and other benefits whereas the Christians and Muslims of Scheduled Caste origin are denied of the same protection and benefits. Being a secular country, every community in the country must be treated equally, irrespective of religion.

I, therefore, kindly request you to take necessary steps for the inclusion of Dalit Christians and Muslims in the list of Scheduled Castes.

(xii) Need to rejuvenate health care system in the country

SHRI P.R. NATARAJAN (COMBATORE): The private sector investment in health calls for a serious debate. The most important reasons for the privatization drive is the apparent lack of resources for the social sector and so called inefficiency of public sector health services.

The recommendations of the 'Bhore Committee' has provided the blue print for India's health care system. The evaluation of the National Tuberculosis Programme, the suggestions for an integrated delivery of health services through multi-purpose workers and to some extent the community health workers schemes are some instances in this regard.

The advent of health care insurance in India for profit and further private sector investment in health care can have social consequences that are more serious. The proposition of the total budget for health care mismatches the World Health Organization (WHO) specifications the share of health services in total plan outlay steadily declined to 3.3 percent in the First Plan to 1.5 percent in the Ninth Plan. The annual report of Ministry of Health and Family Welfare states that the public expenditure on health sector has been a little over 1.5 percent while WHO recommends at least 5 percent of GDP.

The situation warrants effective intervention which certainly does not mean the handing over of the health services to the private sector or intervention by insurance. The people still depend on the health centres and hospitals in public sector and it is this faith that gives hope for its rejuvenation. Government should come forward with appropriate action in this regard.

(xiii)Need to provide grant under Sarva Siksha Abhiyan to Odisha Government as per the recommendations of 13th Finance Commission

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): 13th Finance Commission has recommended a total grant of Rs. 1016 crore for meeting the shortfall in Orissa's matching share towards Sarva Shiksha Abhiyan. The grant recommended by 13th Finance Commission is towards a part of the State share of SSA as per the Annual Work Plan and Budget approved for the year. Despite such a recommendation, the Government of India are staking claim to a portion of the grant as centre's share for financing the budgetary outlay towards SSA of Orissa. As a result of this, the Central share of SSA has decreased at the cost of increase in the State's share and thus the State Government is going to lose Rs. 121.55 crore out of the 13th Finance Commission grant during the current year.

It may be pointed out that in the context of State's inability to meet the matching contribution towards SSA, the 13th Finance Commission has recommended Rs. 1016 crore. If during the five-year period, the Government of India appropriates 65% of the same, it would be highly injudicious as this is not in tune with the recommendation of the 13th Finance Commission. This loss would come to Rs. 660.40 crore over the five year period. I, therefore, urge upon the Government to adhere to the recommendation of the 13 Finance Commission and grant the award to meet Orissa's share of Sarva Shiksha Abhiyan.

(xiv)Need to set up a Super Speciality Hospital at Piduguralla town in Guntur District, Andhra Pradesh

SHRI M. VENUGOPALA REDDY (NARASARAOPET): I would like to draw the kind attention of the August House towards the dire need for establishment of a Super Specialty Hospital at Piduguralla town, a prominent business centre of Guntur District, in my Parliamentary Constituency, Andhra Pradesh.

Around Piduguralla there are 15 to 20 Mandals having population of more than 9 lakhs. The main business activity of the area is export of lime-stone, chips and Powder, as it is situated on the State Highway i.e., Guntur-Nadikudi-Hyderabad. Since the Highway passes through the town it is causing frequent road accidents. For such road accidents and trauma cases, immediate Super Specialty treatment is required which is not available either at Piduguralla or nearby areas of 20 Mandals. As such if any such of the necessity arises, the people of these areas have to rush to Guntur, which is 150 Kms away from Piduguralla. At times, due to non-availability of required medical assistance in time, many people lose their valuable lives. In order to put an end to such unwanted and unforeseen occurrences/incidents, providing of super specialty treatment at Piduguralla is required by establishing a Super Specialty Hospital either at Piduguralla town or nearby places in between Piduguralla and Dachepalli.

I, therefore, request the Hon'ble Union Minister of Health and Family Welfare, through the Chair to kindly intervene in the matter and initiate necessary steps for establishment of Super Specialty hospital at Piduguralla or nearby places in between Piduguralla and Dachepalli.

(xv) Need to start operation of Iron Ore Mines of Steel Authority of India at Gua in West Singhbhum district, Jharkhand

श्री मधु कोड़ा (सिंहभूम): भारतीय इस्पात प्राधिकरण- रॉ मैटेरियल्स डिवीजीन की झारखंड राज्य के पश्चिम सिंहभूम जिला अवस्थित गुवा ऑयरन और माईन्स माह जून, 2011 से बंद है। गुवा ऑयरन और माईन्स में एक हजार से भी अधिक मजदूर हैं, जो बेकार हो गए हैं। प्रबंधन को प्रतिदिन करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। खान में लौह अयस्क का उत्पादन बंद होने से गुवा के लौह अयस्क आधारित इस्पात कारखाने को भी लौह अयस्क की कमी से शीघ्र ही सामना करना पड़ेगा, जिससे कारखाने के उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। गुवा लौह अयस्क खान को शीघ्र चालू कराने की सरकार से अपील करता हूं।

12.45 hrs.

JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) AMENDMENT BILL, 2011

MADAM SPEAKER: Now we take up item no. 19.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Madam, on behalf of my colleague Shrimati Krishna Tirath, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Madam, as the hon. Members are aware, the Juvenile Justice, Care and Protection of Children Act, 2000, which I would herein after refer to as the Act, came into force in April, 2001. It is the primary law in the country to provide justice and opportunities for growth and development to juveniles in conflict with law as well as children in need of care and protection.

The Act lays emphasis on rehabilitation and re-integration of such children into the society through various processes and instructions by adopting a child friendly approach in dealing with matters in the best interest of children. For this, the Act prescribes several alternatives, such as, adoption, sponsorship, foster care and institutional care.

Coming to the proposed amendment, I would draw the attention of the House to Sections 48 (2) and 58 of the Act which provide that a child in a Home set up under the Act, or any other child in need of care and protection, who is suffering from dangerous diseases such as leprosy, sexually transmitted diseases, Hepatitis B, open cases of Tuberculosis, etc., is of unsound mind, or is addicted to any narcotic drug or psychotropic substance shall be sent to a place recognised to be an approved place for the required treatment and shall be dealt with separately through various specialised referral services. The segregation, though for a

limited period and for the specific purpose of providing special care and treatment to the affected children, has been considered as discriminatory in nature as this would separate the child from others.

It is recognised that a child so segregated in keeping with these provisions of the Act may feel discriminated against and this may leave an indelible scar on his/her personality and psyche.

The Ministry of Health and Family Welfare has confirmed that leprosy is least communicable and is completely curable after a course of Multi Drug Therapy and that the risk of transmission of the infection to other persons in the community drops down significantly once the treatment is initiated.

The Ministry of Health and Family Welfare has also confirmed that there is no need to segregate children suffering from Hepatitis B, Tuberculosis, sexually transmitted diseases, mental disorders and drug addiction also.

Since in the opinion of experts, there is no need to deal with such children separately and segregate them, it is proposed to delete Section 48(2) and further it is proposed to amend Section 58 of the Act which provides for removal of a child from Special Home, Children's Home, Shelter Home or an Institution by deleting references to 'leprosy' and 'leper asylum'; replacing the terms of unsound mind with 'mentally ill person', 'drug addict' with 'addicted to alcohol or other drugs which lead to behavioural changes in a person' as these terms are in consonance with the Mental Health Act, 1987 and are also more socially acceptable.

Then, it is intended to replace the term 'mental hospital' by 'psychiatric hospital or psychiatric nursing home' to bring it in consonance again with the Mental Health Act 1987.

Also further, Madam, it is proposed to replace the term 'treatment centre for drug addicts' by 'Integrated Rehabilitation Centre for Addicts or similar centres maintained by State Governments for mentally ill persons, including the persons addicted to any narcotic drug or psychotropic substance'.

'Integrated Rehabilitation Centres for Addicts' have been provided for under the scheme 'Central Sector Scheme of Assistance for Prevention of Alcoholism and Substance (Drugs) Abuse and for Social Defence Services' of the Ministry of Social Justice and Empowerment. Unlike treatment centres where detoxification and counselling were the main interventions for addicts, the integrated Rehabilitation centres adopt a holistic approach to their rehabilitation. The additional components include whole person recovery which involves life skill training, vocational training support to families and aftercare.

The amendments now proposed in the Act are for the limited purpose of removing discriminatory references to children affected by such diseases, so that they can live life with dignity.

The Bill has been examined and recommended by the Parliamentary Standing Committee on HRD. It has been passed by the Rajya Sabha. I, while concluding, would like to say that I am sure that the hon. Members would agree that the proposed amendments are necessary to remove the stigma attached to children who suffer from such diseases. The children covered by the Act being in difficult circumstances, are amongst the most vulnerable as, Madam, you yourself referred to in the morning.

In conclusion, therefore, I would request hon. Members to consider the proposed amendment favourably as this would go a long way in retaining the self-worth and dignity of children affected by such diseases.

With these words, I commend the Bill to the House.

MADAM SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हि.प्र.): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। किशोर न्याय (बालकों की देखरेश और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2011 की जो बात सदन में आई है, मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वूर्ण विषय है, पूरे सदन को इसे बड़ी गंभीरता के साथ लेना चाहिए। यह विषय उन किशोर बालकों के साथ जुड़ा हुआ है, जिन्हें किसी छोटे-मोटे जुर्म के कारण जेल होती है। आज देश में जो परिस्थितियां हैं, उसके चलते वे हार्ड कोर क्रिमिनल्स बन कर जेल से वापस बाहर जाते हैं। क्या कारण है कि कानून और चाइल्ड केयर होम्स के होते हुए भी एक छोटे-मोटे जुर्म के अंतर्गत जिन बच्चों को उन घरों में भेजा जाता है, वे एक अपराधी बन कर बाहर जा रहे हैं? काश, मंत्री महोदया यहां व्यक्तिगत तौर पर होतीं, लेकिन उनके यहां उपस्थित न होने का कोई कारण हो सकता है, कोई अन्य जरूरी विषय हो सकता है। मुझे लगता है कि किसी भी देश के लिए इस देश के बच्चों एवं युवाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता और उन युवाओं एवं बच्चों के भविष्य को लेकर ये सदन भी इस विषय को उतनी ही गंभीरता से लेगा। जब मंत्री महोदया सदन में वापस आएंगी तो मैं जो प्रश्न आपके माध्यम से उनसे पूछूंगा, उन सब के उत्तर वे यहां देंगी।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं, अगर आप कुल आंकड़ों के ऊपर जाएं, मैं बिल के ऊपर भी आऊंगा, जो अमेंडमेंट यहां रखी गई है। लेकिन जो आंकड़ें हम सब के सामने हैं, वे अपने आपमें सब को आश्चर्य चिकत करने वाले हैं। The number of juveniles arrested in the year 2009. सात से 12 साल के 1133 बच्चे अरेस्ट किए गए, 16 से 18 साल के 21760 बच्चे अरेस्ट किए गए और 12 से 16 साल के लगभग 10741 बच्चे केवल एक वर्ष अरेस्ट किए गए। कुल मिला कर लगभग 36 से 40 हजार के लगभग ये बच्चे शायद बनते हैं। ये आंकड़ा अगर कुल मिला कर आप देखें तो सन् 2001 में 16509 बच्चे थे, वे सन् 2009 तक पहुंचते-पहुंचते 23926 हो गए। क्या इन बच्चों का जो अधिकार है, वह इन्हें इस देश में मिल पा रहा है।

जो एक्ट सन् 2000 में बना, क्या उस एक्ट के माध्यम से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स बाकी प्रदेशों में बन पाये हैं? अगर आप आंकड़े देखें तो इस देश में कई प्रदेश ऐसे हैं, जहां पर अभी तक बोर्ड्स का गठन भी नहीं हुआ है, जिलों की तो दूर की बात है।

सन् 2000 का एक्ट कहता है कि अरेस्ट करने के 24 घण्टे के अन्दर उन बच्चों को जुवेनाइल जिस्टिस बोर्ड के अन्तर्गत पुलिस अधिकारियों को पेश करना है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उनके सामने आंकड़े ऐसे हैं कि कितने बच्चों 24 घण्टे के अन्दर पेश किया गया और 24 घण्टे के बाद कितनों को पेश किया गया? क्या यह भी सच्चाई नहीं है कि जो एक्ट है, उसके अन्तर्गत कहा गया है कि

चाहे हमारे मीडिया के मित्र हों, चाहे वे इलैक्ट्रॉनिक-प्रिण्ट मीडिया हों, वह किसी भी बच्चे का न नाम छापेगा, न फोटो दिखाएगा, न उसके बारे में जानकारी देगा, लेकिन हमारे सामने बहुत सारे केसेज़ ऐसे आये। यहां पर एक तो प्रमुख केस गुड़गांव के यूरो इण्टरनेशनल स्कूल शूटिंग केस है, जहां पर कि इलैक्ट्रॉनिक मीडिया की बात और प्रिण्ट मीडिया की बात तो छोड़िये, उनके फोटोग्राफ्स तक दिखाये गये, उनकी जानकारी दी गई। क्या कार्रवाई उस विभाग के मंत्री ने, सरकार ने की? क्या हम उनको बड़े अपराधी के रूप में नहीं बनाने जा रहे। कोई छोटी चोरी के केस में जाता होगा, किसी के घर में दो वक्त की रोटी नहीं होती होगी, कहीं से ब्रैड चुराता होगा तो उसको पहले थाने के उस लॉक-अप में डाल देते हैं, जहां पर कोई कत्ल के केस में आया है। अगर हम ऐसा इस देश में कर रहे हैं तो उन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए नहीं, हम उनको एक अपराधी बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

आज जो एमेंडमेंट की बात कही गई है, वह माननीय मंत्री जी के माध्यम से आई है। अगर कोई लेप्रोसी का केस है, कोई हैपेटाइटिस बी का केस है, कोई टी.बी. का केस है, कोई मेंटल इलनैस की बात की जाती है, कोई एस.टी.डी. की बात कही जाती है तो उनको उपचार के लिए ले जाया जाता है, वह भी कब कहा गया, जब आशादीप फाउंडेशन के नाम से किसी ने कोर्ट में अर्जी दी कि आप इन रोगियों के साथ भेदभाव करते हैं, उनको बाकी बच्चों के साथ नहीं रहने देते, तब जाकर मंत्रालय कहीं पर जागा है और यह कहा है कि उनको इलाज के लिए भेजा जायेगा। लेकिन में आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जब उनका इलाज हो जाये, तब कृपा करके उनको वापस उसी स्थान पर लाया जाये, जल्द से जल्द लाया जाये, तािक वे बाकी बच्चों के साथ रह सकें। लेकिन आज भी जो शैल्टर होम्स हैं, उनकी हालत क्या है। जो आर्टिकल अखबारों के माध्यम से पता चला है, उसमें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो कहता है:

"National Crime Records Bureau figures show that the incidence of juvenile crime has gone up in almost all states, with Maharashtra topping the list. But as these battered children are sent to remand homes, more abuse and neglect is heaped on them."

जिस व्यक्ति की इस आर्टीकल में बात की गई है, मैं सारा पढ़कर तो नहीं बता सकता, लेकिन विनोद रैना जी ने राइट टू एजुकेशन एक्ट में अहम भूमिका निभाई। वे खुद कहते हैं कि जो बच्चे, चाहे दिल्ली की सड़कों पर घूमते हैं, जब इन घरों में, जो शैल्टर होम्स हैं, उनको भेजा जाता है तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनको गालियां निकाली जाती हैं। ऐसा लगता है कि पशुओं की तरह उनको रखा जाता है और यहां तक कि कनाट प्लेस में जो बाल सहयोग केन्द्र है, माननीय इन्दिरा गांधी जी ने जिसकी शुरूआत सन, 1954 में की थी, उसके ऊपर भी वह है।

वे कहते हैं कि अधिकतर बच्चे वहां से भाग जाते थे। इस लेख में यह भी लिखा गया है कि जितनी बच्चियां वहां पर आयी हैं और जो शब्द इस्तेमाल किये गये कि अच्छी लड़कियां यहां आती हैं और उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। इसके पीछे क्या कारण हैं?

12.59 hrs (Dr. Girija Vyas in the Chair)

अगर हम कारणों को नहीं जान पाएंगे तो मंत्री महोदय से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि केवल कानून बनाने से ही कुछ नहीं होगा, हम केवल यहां पर कानून बनाने नहीं आये हैं, बल्कि क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो पा रहा है, क्या उन शैल्टर होम्स में उनकी देख-रेख हो पा रही है? क्या यह सही नहीं कि जो छोटे-मोटे क्राइम के मामले में जेल में बच्चे आये थे, आज वे हार्ड कोर क्रिमिनल बनकर चले गये हैं।

13.00 hrs.

क्या जेल के हालात आपने देखे कि वहां क्या हालत है? क्या पंजाब की जेलों में और बाकी राज्य की जेलों में जहां पर ये बच्चे हैं, वहां बड़ी संख्या में पुलिस तादाद है, ऐसा क्यों है? क्या उनको मानिसक तौर पर त्रस्त नहीं किया जाता, यह नहीं दिखाया जाता कि वे बच्चे क्रिमिनल्स हैं? आखिर हमारी भूमिका क्या है? क्या आप शेल्टर होम्स में उने बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे? उनको अच्छी शिक्षा उपलब्ध करायें, एक अच्छे नागरिक के रूप में उनको वापस समाज में भेजें, तब हम मान सकते हैं कि जिसके लिए एक्ट बनाया गया है, उस एक्ट को सही रूप में हमारे प्रदेश और हर प्रदेश की सरकार उसे लागू कर पा रही है।

सभापित महोदया, बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां पर न तो इन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है -

"The Standing Committee observed that very crucial States like J&K, Jharkhand, Uttarakhand, Andaman & Nicobar, Chandigarh, Dadra Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshadweep have no homes for juveniles. North-Eastern States have very few observation homes. Besides, there are very few juvenile justice boards in certain States and those that are there lack in human resource leading to massive backlog of cases and extremely slow disposal of cases in judicial courts."

महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चार महीने के अंदर इन बच्चों को उस केस से, जो भी कानूनी तौर पर उनके ऊपर है, उसका निपटारा होना चाहिए। उसमें यह भी कहा गया है कि दो महीने और समय लिया जा सकता है, अगर उसमें गवाही किसी क्रिमिनल केस में, किसी ट्रांस-नेशनल आदमी की है, लेकिन इउसके बावजूद भी इस देश में लाखों केस पेंडिंग हैं। मैं माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आखिर मंत्रालय ने इस विषय में क्या किया? क्या केवल आप एक और संशोधन लाकर अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं? जो लाखों केसेज पेंडिंग हैं, जिनका चार महीने में निपटारा होना था, वे आज तक नहीं हो पाए हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया: सारे विषय मंत्री जी के हैं, वह पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर हैं।

श्री अनुराग सिंह टाकुर: एक आर्टिकल के रूप में लिखा है -

"Children are the most vulnerable group in any population. They can be exploited, ill-treated and directed into undesirable channels by anti-social elements. Children require the protective umbrella of society for better growth and development as they are not in a position to claim their entitlements. ... "

इन बच्चों के जो अधिकार हैं, वह उन्हें दिलाने के लिए हम आगे आएं। आप से पहले स्पीकर महोदया ने इसी चेयर से कहा था कि हम सबको प्रयास करने चाहिए कि जिन बच्चों को चाइल्ड लेबर में ढकेला जाता है, उनको बचाया जा सके और उनको अच्छी शिक्षा उपलब्ध करायी जा सके। इन रिहैंबिलिटेशन सेंटर्स में क्या हो रहा है? काश, स्पीकर महोदया, व्यक्तिगत तौर पर यहां उपस्थित होंती तो वह जानतीं कि इस देश की परिस्थिति क्या है? जिन चाइल्ड केयर होम्स की हमने बात कही है, आखिर ये बच्चे ज्यादातर जुर्म की स्थिति में क्यों आ रहे हैं? आज समाज में बदलाव आया है। आज जहां डायवोर्स के केसेज बहुत हो रहे हैं और बहुत सारे परिवारों में पारिवारिक परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। बच्चों को घरों में भी ऐसा माहौल देखने को मिलता है कि बच्चे कहीं न कहीं जुर्म करने में या गलत हाथों में चले जाते हैं। यही एक कारण है कि वे अंत में आकर जेलों में पाए जाते हैं। हमारा, आपका और सभी सदस्यों का यह धर्म बनता है कि हम इन बच्चों को शेल्टर होम्स में अच्छी से अच्छी सुविधायें दें और एक अच्छे नागरिक के रूप में उनको वापस समाज में भेजें। ...(व्यवधान) ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमें ऐसा करना है, क्योंकि यह उम्र उनके खेलने-कूदने की और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की है। इस समाज में, इस देश में हर नागरिक का वह अधिकार है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हं कि कम से कम चार महीने

के अंदर उनको जो जस्टिस मिलने की बात है, उनके अधिकार उन्हें मिलें, उनके केसेज का निपटारा हो और उन्हें वापस उनके घर भेजा जा सके।

जब तक उनके केसज का निपटारा चार महीने के अंदर नहीं होता तब तक उनको अच्छी से अच्छी सुविधा दी जानी चाहिए। मैडम, आज भी इस देश में इस विषय को लेकर बहुत सारी आवाज क्यों नहीं उठी? क्योंकि जो इन क्राइम्स में पाए जाते हैं वे अधिकतर बच्चे अति गरीब परिवारों से आते हैं। क्या गरीब की इस देश में कोई पुकार नहीं सुनेगा? क्या इस विषय को लेकर फिर एक और अन्ना हजारे को पैदा होना पड़ेगा या उससे पहले समाज प्रमान, देश जागेगा? क्या हम इन बच्चों को अधिकार दिल पाएंगे। जहां तक स्टेट्स की बात है तो मुझे लगतों है कि केन्द्र सरकार ज्यादा नहीं तो कम से कम प्रदेश सरकारों को जूवनाइल जस्टिस बोर्ड बनाने की बात कहे। उनके हर जिले में जूवनाइल होम्स बनाने की बात कहें तािक वहां पर किशोर बालकों के लिए जो घर बनाने की बात कही गई है वह बनाए जा सकें। अगर पैसे की कमी है तो केन्द्र सरकार भी पैसे दे और प्रदेश सरकार भी अपने बजट में प्रावधान करे तािक वहां पर उन बच्चों के लिए घर बना कर दिए जा सकें, बच्चों की सुविधाओं के लिए कोई कमी न हो।

में आप के माध्यम से दो-चार बातें और कहना चाहता हूं कि आप ने फिलहाल कहा है कि अगर कोई मीडिया के मित्र उन बच्चों के नाम और फोटो अखबार में छापते हैं या टीवी चैनल पर दिखाते हैं तो ऐक्ट में केवल पच्चीस हजार रूपये फाइन किया जाएगा। केवल पच्चीस हजार रूपये मात्र की सजा ज्यादा नहीं है। यही कारण है कि बच्चों के फोटोग्राफ और नाम छपते हैं। उनको समाज और मुहल्लों में अपराधी के रूप में दिखाया जाता है। इस कानून में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। जहां तक मैल्नूट्रिशंस की बात कही गई है, बच्चों की इलट्रिटमेंट की बात कही गयी है, जूवनाइल होम्स में उनके भेदभाव की बात कही गई है। आखिर हम उनमें बदलाव कैसे लाएंगे? हम अगर बजट में प्रावधान करेंगे कि उन बच्चों के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च किया जा सके। अगर यहां पर मंत्री महोदया होतीं तो मैं उनसे कहता कि ज्यादा से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाइए ताकि इन बच्चों के केसेज जो बहुत समय से लंबित हैं उनका जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। उनके लिए ज्यादा से ज्यादा शेल्टर होम्स बनाया जा सके। उनके लिए ज्यादा से ज्यादा धन उपलब्ध करवा कर दिया जा सके। जूवनाइल जस्टिस बोर्ड ज्यादा से ज्यादा प्रदेशों में बनाए जा सकें। जहां तक आपने संशोधन की बात कही है, अमेंडमेंटम की जो बात सेक्शन 58 में कही गई है मै उसके हित में हूं। उनके इलाज के लिए उनको भेजा जाना चाहिए, यह बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब उनका इलाज हो जाए तो जल्द से जल्द उनको वापस लाया जाए। उनको जेल में किसी क्रिमिनल्स के साथ, जो किसी का मर्डर कर के आया है उसके साथ न रखा जाए। उनके प्रति पुलिस के व्यवहार में बदलाव आए। इस देश की पुलिस भी

उन बालकों को उसी तरह से ट्रीट करती है जिस तरह से कोई किसी का कत्ल कर के आया है। उनको हथकड़ियां पहना कर ले जाते हैं। उन बच्चों पर मानसिक तौर पर क्या असर पड़ता होगा? यह भी आज हमें समझने की आवश्यकता है।

मैं आपके माध्यम से कुछ बातें सदन में रखना चाहता हूं। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, सब बातें मैं पढ़ कर नहीं बता सकता हूं। मेरे मित्रों ने बहुत सारे सुझाव लिख कर दिए हैं कि कानून बनाने के साथ-साथ उसको इम्प्लिमेंट भी किया जा सके। वर्ष 2000 में कानून बना और वर्ष 2005 या वर्ष 2007 में अमेन्डमेंट आई। उसमें किशोर बालक की उम्र 18 साल दिखाया गया है। यह बहुत अच्छा है। लेकिन आज कसाव जैसा आतंकवादी भी इस कानून के अंतर्गत संरक्षण पाने का प्रयास करता है। इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूं कि वह आतंकवादी जो छब्बीस ग्यारह के हमले में सैंकड़ों लोगों को मारता है, पूरे देश को भयभीत करता है वह जूवनाइल जिस्टिस एक्ट के अंतर्गत संरक्षण पाने का प्रयास करता है क्योंकि इसमें लिखा गया है कि एक सिर्टिफिकेट दिखाइए कि आप की उम्र 18 साल से कम है

सभापति महोदया : आपके दो स्पीकर अभी बोलने के लिए बाकी हैं।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। इसमें यह बदलाव लाना चाहिए कि मेडिकल तौर पर हम आज यह तय कर सकते हैं, टेस्ट कर यह पता लगाया जा सकता है कि किसकी उम्र कितनी है?

उस बारे में भी इसमें बदलाव करना चाहिए ताकि कसाब जैसे आतंकवादी इस कानून के अंतर्गत संरक्षण लेकर खुद बाहर नहीं चले जाएं।

मैंने पहले मीडिया की जो बात कही, वह कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें भी संशोधन लाना चाहिए। इस कानून को और सख्त करना चाहिए। यह कहा गया कि यदि किसी को मैंटल इलनैस है, शराब या ड्रग्स के कारण पीड़ित जो उसे इलाज के लिए ले जाना है। उसमें भेदभाव न हो। कोई कुष्ठ रोगी है, केवल उस कारण उसे बाहर भेज दिया जाता है। ऐसा पिछले कई वर्षों में लगातार हुआ है, इस समाज में भी रहा है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता बदलाव आया है।

मैं आपके माध्यम से केवल इतना कहना चाहता हूं कि कानून में छोटे से संशोधन के साथ-साथ बाकी संशोधन भी लाए जाएं तािक मीिडिया में बदलाव आए और कसाब जैसे आतंकवादी भी इस एक्ट या कानून के अंतर्गत लाभ न उठा पाएं। मैं अमैंडमैंट के पक्ष में कहता हुआ अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं।

MADAM CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet again at 2.15 p.m.

13.11 hrs

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.



14.19 hrs

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Nineteen Minutes past Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker in the Chair)

JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) AMENDMENT BILL, 2011 - CONTD.

खॉ. गिरिजा व्यास (चित्तौड़गढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं कि इस विषय पर बोलने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। दरअसल जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) अमैंडमैंट बिल, 2011, जिसे आज माननीय मंत्री जी ने पेश किया, मैं उसका समर्थन करती हूं। मैं मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद भी देती हूं। जैसे कि मंत्री जी ने कहा कि दिखने में बहुत छोटे अमैंडमैंट्स हैं, लेकिन बिटविन दी लाइन यदि पढ़ा जाये, तो ये अमैंडमैंट्स आगे आने वाले समय को निर्धारित करने की दिशा और दशा निर्देशित करते हैं। हालांकि कृष्णा जी यहां नहीं हैं, लेकिन मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी पवन कुमार बंसल जी के माध्यम से उन्हें भी धन्यवाद देना चाहती हूं। इस बिल की बहुत अपेक्षा थी, क्योंकि चाहे कोर्ट का आदेश हो या राज्य सभा की रिपोर्ट, जिसमें लैप्रेसी पर निर्णय दिया गया था, उसमें इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की गयी थी और एक तरह से निर्देशित किया गया था कि बच्चों के संबंध में कोई भी इलाका सैग्रिगेटेड नहीं होना चाहिए।

जहां तक जुवेनाइल जस्टिस, केयर एंड प्रोटेक्शन का सवाल है, इस एक्ट के पहले भी बच्चों को और विशेषकर बाल सुधार कैसे किए जाएं या जो बच्चे अपराधों में पड़ जाते हैं, उनको कैसे निकाला जाए, उसकी सोच इससे पहले से है। सबसे पहले यह विचार वर्ष 1850 में आया, जब 1919-20 की जेल कमेटी की रिपोर्ट पेश की गयी, उस समय भी यह उद्घोषित हुआ था कि बच्चों को और वयस्कों को अलग-अलग दृष्टि से कारावास में और उनसे संबंधित नियमों में नियोजित होना प्रिटेश। उसके बाद में चिल्ड्रेन एक्ट, 1960 आया, उसके बाद बाल न्याय एक्ट, 1986 आया और वर्तमाने कानून वर्ष 2000 में आया, जो निश्चित तौर पर इस देश को एक दशा और दिशा देता है। हम लोग बच्चों और शिशुओं के प्रति हमेशा से बहुत संवेदनशील रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं-कहीं पैराडाक्सेस भी जाते हैं। अगर हम इस एक्ट को बिटवीन द लाइन्स पढ़ें, तो मुझे लगता है कि इस एक्ट के आने के बाद भी जो हालत बाल सुधार गृहों या बालकों की होनी चाहिए, उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है। ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स को देखें, यह पहली बार हुआ है कि बिल से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स पर ज्यादा चर्च है, उसको विस्तार के साथ

सरकार ने पेश किया है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का इंटरवेंशन था और जैसा मैंने कहा कि इसमें राज्य सभा की रिपोर्ट का भी जिक्र है। इसमें इस बात को लेकर भी गंभीरता दिखाई गयी है कि कहीं पर भी बच्चों को किसी बीमारी, विशेषकर लेप्रसी, टीबी, किसी मानसिक रोग या अन्य ऐसे किसी रोग के संबंध में, जिसमें उनको दूसरों से अलग रखा जाता था, उन्हें अब अलग न करके, उनको एक हिस्सा बनाया जाए।

महोदय, इस एक्ट में तीन शब्द महत्वपूर्ण हैं - जस्टिस, केयर एंड प्रोटेकशन। लेकिन न्याय की प्रणाली कैसी हो, केयर कैसे किया जाए, प्रोटेक्शन कैसे हो, मुझे लगता है कि राज्य सरकारें इसे गंभीरता के साथ नहीं ले रही हैं। इसलिए मैं केन्द्र से अनुरोध करना चाहूंगी कि इसके लिए कोई कमेटी गठित करे। ताकि इस एक्ट में जिन तीन बातों पर महत्व दिया गया है, उनके साथ न्याय कर सकें। इस एक्ट में तीन बातों का प्रोहिबिशन है - पुलिस, जेल और कोर्ट। इसीलिए आप देखें कि इसमें जेल के लिए होम शब्द का प्रयोग है, कोर्ट के लिए बोर्ड शब्द का प्रयोग किया गया है। जिससे बच्चों को यह न लगे कि वे किसी जेल के अंतर्गत हैं या कोई पुलिस उन्हें देख रही है या किसी कोर्ट में उनके विषय का निर्धारण होना है। लेकिन मैं पूछना चाहुंगी देश में कितने जिले हैं जिनमें बोर्ड अब तक गठित नहीं हुए हैं। आंकड़े हमारे पास भी हैं, लेकिन जो बोर्ड्स गठित हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है। जस्टिस को उसमें बोर्ड में अध्यक्ष बनाया गया है। यदि हम इंटरनेशनल ट्रीटीज की बात करें, हम उनके हस्ताक्षरकर्ता हैं, चाहे वह ट्रीटी बीजिंग की हो या वह ट्रीटी रियाद में की गयी हो, उसमें प्रावधान है कि जुवेनाइल केसेज में दो महीने के अंदर केसेज का निर्धारण होना है, छः महीने में केस अपने डिसमिस हो जाएगा, यदि कोई उस पर कार्रवाई नहीं करता है। मंत्री महोदय यदि इस बात का पता लगाएं कि कितने केसेज छः महीने से पड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि 90 प्रतिशत केसेज छः महीने से अधिक हैं। इसलिए इन बोर्ड्स के संबंध में बहुत ही गंभीरता के साथ राज्य सरकारों को लाने के लिए केन्द्र को भी प्रयास करने होंगे। मैं यह बात स्पष्ट तौर से कहना चाहती हूं कि राज्य सरकारें, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल की हों, जुवेनाइल एक्ट के संबंध में जितनी संवेदनशील होनी चाहिए, उतनी नहीं हैं।



सभी केसेज़ छः माह से ऊपर हैं, जैसा मैंने पहले कहा। महोदय, यिद देखा जाए तो बच्चों के पास, खासकर पहले हम कारणों का जिक्र करें कि किस कारण ये क्राइम की तरफ धकेले जाते हैं या उसे करने को बाध्य होते हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण गरीबी है। भूभोक्षतः किम न करोति पापम्। भूख क्या पाप नहीं कराती। ऐसे अनेक कारण हैं, मैंने स्वयं जाकर इन सेंटर्स और शैल्टर होम्स में देखा है, जहां बच्चे ब्रैड या खाने की कोई चीज चुराते हुए पाए तो उन्हें भी उस जेल या ऐसे स्थानों पर ठूंस दिया गया, रख दिया गया। दूसरा कारण है अशिक्षा, तीसरा कारण है उनका अनाथ होना और अनाथालयों की कमी।

महोदय, मैं अपने इलाके के दो उदाहरण इस बारे में देना चाहूंगा। 15-16 साल का एक बच्चा मेरे पास लाया गया। कहा गया कि बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, लेकिन पढ़ता नहीं, कहीं काम करके अपना गुजारा करना चाहता है। मैंने उस बच्चे को स्कूल भेजा, लेकिन उसने मना कर दिया और शाम को मेरे घर अपनी दो अनब्याही बहनों के साथ आकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि आप इनका क्या करेंगी, मेरे वृद्ध पिता का क्या करेंगी, जो बिस्तर पर हैं और उनकी देखरेख मुझे करनी है। तब मुझे याद आया, एक बार नार्थ-ईस्ट के किसी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था, यह बात मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगी, कि नौ साल की उम्र में मैंने काम करना शुरू किया था। यदि मैं काम नहीं करता तो मेरा परिवार भी नहीं पलता और शायद मैं आज मुख्य मंत्री भी नहीं बनता।

एक बहुत बड़ा पैरोडॉक्स हमारे सामने खड़ा है कि जहां पर हम बाल श्रम को रोकना चाहते हैं, लेकिन उसका विकल्प हम क्या दे रहे हैं। बाल श्रमिकों के लिए स्कूल्स तो हमने बना दिए, लेकिन कितने ही स्कूल्स बंद हैं, कितने स्कूल्स को पैसा नहीं मिला है और कितने स्कूल्स में जाकर देखा गया कि वहां क्या पढ़ाई हो रही है, बाद में बच्चे क्या करते हैं। इस तरह उस बच्चे के सवाल से मैं निरुत्तर हो गई। लेकिन जब मैंने उस बच्चे से कहा कि इनकी देखरेख भी किसी तरह हम लोग कर लेंगे, तो उसने आत्म सम्मान के साथ प्रश्न किया कि मैं थोड़ा बहुत काम करके फिर पैसा लेना चाहूंगा। यह दूसरा पहलू मैं यहां रखना चाहती हूं।

दूसरा उदाहरण और मैं यहां देना चाहूंगी। मेरा इलाका अफीम ग्रोइंग क्षेत्र है। 16 साल का एक बच्चा जो अफीम को इधर से उधर लाने का काम करता था, वहां काफी बच्चों से इस तरह का कार्य कराया जाता है कि वे ट्रक से जाकर या अन्य किसी जिरए जाकर अफीम को दूसरी जगह ले जाते हैं, वह बच्चा पकड़ा गया। जब मैंने उससे कहा कि तुमने यह क्यों किया तो उसने कहा कि मेरे पास कमाने का और कोई साधन नहीं था।

एक और ऑप्शन होता है भीख मांगने का, अभी मेरे एक साथी उधर से जिक्र कर रहे थे कि महाराष्ट्र में बाल अपराधियों की या बच्चों द्वारा अपराध करने की संख्या सबसे ज्यादा है। वहां पर भी और

अन्य इलाकों में भी उनके द्वारा भीख मांगना और उन्हें भीख मांगने के लिए उत्साहित करना, उनके अंगों को काटकर भीख मांगने के लिए बाध्य करना एक तरीका है। इन सबको देखा जाए तो क्या हम ये जो तरीके हैं बाल श्रम के या अपराधों के इन्हें मानकर इन पर विचार करेंगे।

महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि यूपीए सरकार ने अनेक ऐसे कार्य किए हैं, जिनसे गरीबी हटी है, जिनके कारण हम आज यह बिल यहां लेकर आए हैं कि बच्चों को भी हम अलग-थलग नहीं रख सकते, उनके मन में अलगाववाद उत्पन्न नहीं करा सकते और उन्हें समाज से दूर नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों को कोई पीढ़ा न पहुंचाते हुए उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने के लिए मनरेगा जैसी योजना लाकर गरीबी उन्मूलन का प्रयास किया है। लेकिन क्या उन अनाथ बच्चों के लिए कुछ कर पाए जिनके न मां-बाप हैं और न ही उनका कोई आश्रय स्थल है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगी कि संवेनशील सरकार इस बारे में जरूर कुछ सोचेगी और राज्य सरकारें भी कि ऐसे बच्चों को पढ़ाने से लेकर, उन्हें आश्रय स्थल तक रखने के लिए हम केवल जुबानी खर्च बंद कर दें, कागजों पर बाल श्रमिक स्कूल्स की बातें करना बंद कर दें और कोई ठोस कदम कानून के रूप में, समेकित कानून के रूप में लेकर आएं, तो काफी कुछ होगा।

महोदय, इस बिल में सबसे बड़ी बात यह है कि जहां 48 (2) को हटाने से, जिसमें सैग्रीगेशन की बात कही गई है कि यदि ये बीमारियां हो जाएं, लैप्रेसी, टीबी या मानसिक रोग, तो उन्हें अलग रखने का प्रावधान था। मैं कह सकती हूं कि यह प्रावधान ऐसा था जिसे हम मानवीय दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं मान सकते, उस प्रावधान को हटाने की बात कही गई है। उसके लिए मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहती उसी के साथ-साथ उसमें जो 50 का नियम जोड़ा गया है, कि जिन बच्चों को रोग है, उन्हें स्वस्थ होने के लिए उन स्थानों पर भेजने के बाद, पुनः उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जाए, लेकिन उन्हें पुनर्वास के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाए। महोदय, यह शब्द पता नहीं कहां से आ गया, क्योंकि मैंने हिंदुस्तान का पूरा इलाका देख लिया, लेकिन मुझे अफसोस है कि मुझे एक भी पुनर्वास केन्द्र नजर नहीं आया। इसलिए पुनर्वास के लिए बच्चों को कहां भेजेंगे? यहां पलायन कर ले जा रहे बच्चों की ट्रैफिकिंग का जिक्र नहीं हसीलिए मैंने कहा कि यह बिल बिटविन द लाइन बहुत कुछ कह रहा है। ट्रैफिकिंग के जरिये बच्चों को <mark>र</mark>ेले जाया जा रहा है और हम और माननीय सी.पी.जोशी जी जिस इलाके से आते हैं, वहां से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से गुजरात के कपास के खेतों में ले जाने के लिए उनकी ट्रैफिकिंग होती है। वीमैन कमीशन की एक रिपोर्ट के अनुसार भी 80 परसेंट बच्चों में टीबी के कीटाणू पाये गये हैं। उनमें से कुछ का मर्डर हो गया, कुछ के साथ रेप हुआ, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके। ट्रैफिकिंग के एक भाग का जिक्र मैं अभी कर रही हूं, दूसरे का जिक्र जब महिलाओं की बात आयेगी, तब करुंगी। लेकिन ट्रैफिकिंग होने पर, उनका ध्यान रखने का, अगर हम साथ में जिक्र नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं। ट्रैफिकिंग पूरी तरह से बंद

होनी चाहिए, चाहे वह स्टेट टू स्टेट हो, चाहे वह इंटरनेशनल स्तर पर हो और खासतौर पर साउथ-एशिया में जो बच्चों को भेजा जा रहा है उसे भी बहुत गंभीरता से देखने और उस पर अलग से कानून बनाने की जरूरत है।

इसमें काउंसिलिंग की बात की गयी है। लेकिन साइक्लोजिकल ट्रीटमेंट के बगैर बच्चा ठीक नहीं हो सकता है। मैं नोएडा के पास एक बाल-आश्रम में गयी, वहां मैंने देखा कि कुछ बच्चों को जेल की तरह बंद करके रखा गया था, एक की दशा का बयान मैं यहां नहीं कर सकती हूं। पूरी टीम गयी थी और मीडिया ने भी बहुत अच्छी तरह से उसे दिखाया था। वहां पांच मिनट भी हम खड़े नहीं हो सके थे। कुछ बच्चों को इसलिए जेल में कैदी की तरह बंद करके रखा गया था क्योंकि कहा गया कि ये मानसिक रोगी हैं, पागल हैं और कुछ बच्चे बाहर से उन्हें छेड़ रहे थे। ये कानून उन बच्चों को प्रोटैक्ट करने के लिए बन रहा है, इसलिए मैं इस कानून को बनाने वालों को धन्यवाद देना चाहती हूं। हालांकि इसमें एड्स को शामिल नहीं किया गया है लेकिन बिहार में एक जगह एड्स से पीड़ित बच्चों को उन्हीं के साथ एक अलग कक्ष में रखा गया था, दूर से नौकर जाता और थाली को दूर से खिसका कर उन बच्चों को देता था ताकि वह उनसे छू न जाए। हमें इस स्टैग्मा को दूर करने का प्रयास अवेयरनेस से करना पड़ेगा। महोदय, इसके लिए हमें समाज, पुलिस और ऐसे होम्स को चलाने वालों में अवेयरनेस लानी पड़ेगी।

महोदय, मैंने यमराज के बारे में सुना जरूर है, देखा नहीं है लेकिन यदि मैं इन होम्स के कुछ लोगों का चित्र यहां खींचना चाहूं तो यमराज से कम चित्र नहीं होगा। किस तरह से वहां बच्चों को यातनाएं दी जाती है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि सरकार की मंशा तो ठीक है और देखने पर यह छोटा कानून है लेकिन इसका कार्यान्वयन बहुत गहरा और गंभीर है। इसलिए इस कानून के द्वारा उन यमराजों से भी बच्चों को मुक्ति मिल सकेगी। मैं सरकार से निवेदन करुंगी कि जब एम्प्लाएमेंट आदि हो तो उसमें भाई-भतीजावाद न होकर के केवल कुशल व्यक्तियों को जिनमें समाज को बदलने की चाहत हो, कुछ सोशल वर्क करने की लालसा हो, ऐसे व्यक्तियों को वहां पर रखा जाए।

आज बाल-सुधार गृह जेल से भी बदतर हालात में हैं। तीन तरह के बाल-सुधार गृह हमें मिलते हैं। एक सरकारी, दूसरे एनजीओज द्वारा चलाए जा रहे और तीसरे साधु-संतों द्वारा चलाए जा रहे बाल-सुधार गृह हैं, जो रजिस्टर्ड हैं या नहीं, मुझे नहीं पता।

गुजरात-पंजाब-यूपी का मामला पिछली बार आया, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर रजिस्टर्ड-अन-रजिस्टर्ड का पता नहीं चलता। जिस तरह से बच्चों को मानसिक तनाव देकर, मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, इसलिए आप रजिस्ट्रेशन का कानून भी इसमें डालने की कृपा करें। एनजीओज से भी मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है और सरकारी बाल-सुधार गृहों की हालत तो और भी चिंतनीय है।

महोदय, इसी कारण मैंने कहा है कि इन पर विचार करना आवश्यक है। मैं यह भी बताना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन्स के अनुसार तीन कमेटियां होनी चाहिए। पहली कमेटी ज्यूवेनाइल जस्टिस बोर्ड, दूसरी चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी और तीसरी स्पेशल पुलिस यूनिट है, जिनका सैंसेटाइज होना बहुत आवश्यक है, लेकिन इन तीनों के संबंध में इस बिल के सेलिएन्ट फीचर्स में या रूल्स में जरूर विचार किया जाएगा कि इन तीनों कमेटीज़ को एक साथ कैसे ले सकते हैं।

महोदय, मैं अमेंडमेंट का स्वागत इसलिए भी करना चाहती हूं, क्योंकि सरकार की प्रतिबद्धता बच्चों के प्रति संवेदनशील दिखाई दे रही है। धारा 48(2) और धारा 58 में स्पष्ट ज्यूवेनाइल को किन्हीं कारणों से, कम्पलशन से जो ज्युवेनाइल हाउसिज में रह रहे हैं, उनमें लैपरसी, मानसिक रुग्णता आदि के कारण उनके उपचार के लिए स्थानांतरित केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों में किया जाए। मैं इस बात का उत्तर आज निश्चित तौर पर चाहती हूं, क्योंकि मैं इससे कनेक्टेड हूं खास तौर से मानसिक रोग के संबंध में कितने ऐसे एसाइलम आइस्लम हैं, जो कि भारत में मौजूद हैं। आंध्र में एक बहुत अच्छा एसाइलम है। दिल्ली में एक एनजीओ चल रहा है। कितने ऐसे मानसिक गृह हैं, जहां आप उन्हें रखेंगे। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की बात कह रहे हैं, लेकिन वहां वही होगा कि वे जेल की सलाखों के पीछे या किसी कमरे में बंद हो कर रखे जाएंगे। इसी कारण मैंने मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट से भी इस बाबत जिक्र किया था कि उनका होना बहुत जरूरी है और मानसिक रुग्णता को केवल एक 1987 के एक्ट तक सीमित न रख कर उसे आगे के लिए बढाया जाए। अलग रखने की जो भेदभावपूर्ण नीति है, उस पर सरकार रोक लगाना चाहती है। यह सरकार का एक ऐसा कदम है, जिसे अत्यंत प्रशंसनीय कहा जा सकता है, क्योंकि सैग्रीगेशन से हम लोग मुख्य धारा से नहीं जुड़ सकते, इसीलिए धारा 48 में (2) को हटा दिया जाए, जिसे मैं निष्ठुर धारा कह सकती हूं और धारा 58 में भी संशोधन का प्रावधान जिसमें किसी विशेष बाल गृह या संस्था में भेजा जाए, केवल उस समय तक के लिए जब तक कि वह ठीक हो कर मुख्य धारा में न जुड़ जाए। ऐसा करना सरकार की संवेदनशीलता दर्शाता है, इसके लिए मैं सरकार की प्रशंसा करना चाहती हूं।

महोदय, उम्र को लेकर ज्यूवेनाइल एक्ट में, क्योंकि 18 साल तक की उम्र का जिक्र है। अभी मैं मानसिक रुग्णता के संबंध में जरूर बात कहना चाहंगी। आप किसी भी सड़क पर जहां लाइट पर गाड़ी रोकनी पड़ती है, आप अपनी खिड़की से देख सकते हैं कि 14-15 साल की बच्चियां जो आधी मानसिक रुग्णता की स्थिति में छोटे बच्चे को अपने से चिपटाए हुए कभी भीख मांगते हुए, कभी अपने बालों को खुजलाते हुए, कभी आधी अधनंगी स्थिति में आपको जरूर दिखाई दे जाएगी। मैं यह भी बताना चाहती हूं कि इस उम्र में उसे पता भी नहीं होता कि किसने उसने कब और कहां उसका रेप कर दिया, उसका बच्चा कब और कैसे पैदा हो गया। उसे इतना जरूर पता होता है कि उसका बच्चा पैदा हो गया है और उसे चिपटाना उसका धर्म है। अभी तक इस बारे में कोई कानून नहीं बना है। पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने इस बिल को रखा है, इसलिए मैं उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहती हूं कि आप अगले सत्र तक मेहरबानी करके मेंटल रुग्णता के संबंध में मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट से निश्चित तौर पर कड़े से कड़ा बिल ले कर आएं। मैंने एक बार रास्ते में इसी अवस्था में एक बच्ची को देखा, जो आधी नंगी थी। मैंने अपनी कार में बैठा कर उसे अपने आफिस ले आई। वह निश्चित तौर पर पूरी तरह से मानसिक रुग्णता की शिकार नहीं थी। थोड़ी देर में वह स्वस्थ हुई। उसने कहा कि मैं पागल नहीं हूं, लेकिन मैं दूसरे राज्य से आई हूं। मैं काम की दृष्टि से यहां आई, लेकिन मुझे बार-बार रेप किया गया। जिस संस्था के कारण मैं यहां आई थी, उस संस्था ने मुझे बाहर निकाल दिया और इस कारण मैं अर्द्ध मानसिक स्थिति में आ गई हूं। क्या केवल उसके लिए सड़क ही है कि वह सड़कों पर घूमते हुए फिर से रेप होने के लिए बाध्य हो जाए। हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हमें मानसिक रुग्णता के लिए उन्हें अलग-थलग नहीं रखना है। ऐसे बच्चों की कितनी संख्या है? आप बाल गृह में देख सकते हैं कि वहां लड़कों की संख्या ज्यादा है, लेकिन लड़िकयों को तो वहां कोई लाता ही नहीं है।

उनके संबंध में कोई विचार नहीं है। अलग से लड़कियों के गृह होंगे तो कितने सारे होंगे जिसमें कि छोटी छोटी बच्चियों को जो निकाल दी गई हों, जो मानसिक रोग से पीड़ित हों, जहां पर जिनका कोई रहने वाला नहीं हो, वो वहां पर रह जाएं, और फिर वे या तो भीख मांगती हैं या जैसा मैंने कहा कि वे अनचाही मां बनने के लिए बाध्य हो जाती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि पुनर्वास केन्द्र को बहुत मजबूत करने की जरूरत है। सरकार की मंशा है कि पुनर्वास केन्द्र से निक्किकर ये बच्चे जो किसी वजह से रुग्णता में हैं, वे उस रोग से निकलकर बाहर आएं और फिर मुख्यधारों के साथ जुड़ें। सरकार की मंशा तभी पूरी हो सकेगी जब हमारा सबका योगदान इस संबंध में होगा। इसलिए मैं सभी माननीय सांसदों से निवेदन करना चाहूंगी कि हम लोग जो इलैक्टेड लोग हैं, हम भी ये सोच लें कि कम से कम दो छोटे बच्चों की

परविरश या उन्हें स्कूल तक या उनके घर का खर्च हम लोग उठा लें तो शायद हम लोग इस पीड़ा से मुक्त हो सकें।

मैं इस संबंध में दो तीन गैप्स हैं, उनकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। एक तो सजा का प्रावधान है जो इसमें पूरी तरह से निर्देशित नहीं है। जो शैल्टर होम्स चलाने वाले हैं और जो मानते नहीं हैं, जो विलोपित की गई है और उनको नहीं मानें तो उस संबंध में सजा का प्रावधान ज्यादा होना चाहिए। दूसरे, इसमें फाइनेंशियल इम्पलीमेंटेशन जो होगा, वह हम कहां से करेंगे कि बच्चों को सड़क से लेकर आएंगे तो वह कैसे होगा, इस बात का ध्यान किया जाए और तीसरी बात और खासकर ट्रैफिकिंग के संबंध में है, जैसे कि मैंने कहा कि मेंटल हैल्थ के संबंध में कानून का आना बहुत जरूरी है।

मैं यूपीए सरकार को सर्वशिक्षा के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि सरकार ने शिक्षा को कमपलसरी किया और उसका निश्चित तौर पर फर्क तब पड़ेगा जबकि प्रतिबद्धता सब दिशाओं में होगी।

जनजाति और एससीएसटी के लिए अलग से योजनाएं हैं लेकिन कार्यान्वयन ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए इसको लाना जरूरी है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अलग से बनबाने की सिफारिश आप जरूर भेजें जिसमें सोशल जस्टिस, मैडिकल हैल्थ, होम, लेबर एंड वूमैन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री सम्मिलित रूप से जरूर हों क्योंकि पांचों का योगदान होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ निगरानी समिति होनी चाहिए। राज्य का विषय है, यह कहकर हम लोग नहीं बच सकते कि जुवैनाइल बोर्ड जो बनाना है, वह राज्य का विषय है। राज्य तो सुनते नहीं हैं। ऐसी स्थिति में निगरानी समिति केन्द्र से बनानी होगी। मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि सभी राज्य सरकारों को इस बात को गंभीरता से लेना होगा लेकिन कोई भी सरकार मुझे अब तक ऐसी नहीं दिखाई दी जो गंभीरता से इस बात को ले रही हो, केवल कैजुअली इसे लिया जाता है। इसलिए निगरानी समिति की जरुरत है।

में मेंटल हैल्थ को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हूं। मुझे एक 13 साल की बच्ची ने छोटी सी कविता बनाकर दी थी:

> "हमको भी समझो, हमको भी जानो, हम भी हैं इंसान, इतना तो मानो।"

इसलिए उन्हें इंसान का दर्जा मिल सके, उनको सेग्रीगेशन नहीं हो सके, इस दिशा में 5 पिलर्स जरूरी हैं। केवल सरकार पर छोड़कर ही हम बच्चों की रक्षा कर सकें, इस बात का जिम्मा नहीं लिया जा सकता। पांचवी बात है कि कानून का कड़ा होना चाहिए। सरकार कानून कड़ा बना रही है। इसके लिए सरकार

धन्यवाद की पात्र है। दूसरे, जो इम्पलीमेंटेशन एजेंसीज हैं, उनका संवेदनशील होना जरूरी है और तीसरे सिविल सोसायटी है। लेकिन अगर कोई प्रश्न पूछे कि सिविल सोसायटी ने कितने बच्चों को एडॉप्ट किया तो यह बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा जिसे मैं यहां पर नहीं उठाना चाहती। चौथा, अवैयरनैस कैम्पेन है और पांचवा मीडिया की भूमिका है। इसलिए मेरा कहना है कि यदि ये पांचों तत्व एक साथ मिलकर चलेंगे तब हम बच्चों के सेग्रीगेशन से भी और जो हमारा एक्ट है, उसको कठोरता के साथ ला पाएंगे और बच्चों के प्रति अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए उनके लिए हम एक नये भारत का निर्माण कर सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): उपाध्यक्ष महोदय, छोटे बच्चों को तो देखने वाली महिलाएं हैं। आपको इनकी भी बात कहनी चाहिए थी।

डॉ. गिरिजा व्यास: वह मैंने शैलेन्द्र जी के लिए छोड़ दिया है।



श्री शैलेन्द्र कुमार (कोशाम्बी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2011 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैंने अनुराग ठाकुर जी और गिरिजा जी का भाषण सुना, ये बहुत अनुभवी माननीय सांसद हैं और बहुत अच्छे विचार दिए हैं। हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में फादर्स डे मनाया जाता है, विश्व बाल दिवस भी मनाते हैं तािक पूरी दुनिया में बच्चों की स्थिति बेहतर हो। बच्चों को भी गर्व होता है कि आज हमारा दिवस है। मुझे गाना याद आ रहा है -

तुझे सूरज कहूं या चंदा,
तुझे दीप कहूं या तारा।
मेरा नाम करेगा रोशन,
जग में मेरा राजदुलारा।

हर मां-बाप की भी यही तमन्ना होती है।

महोदय, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और वर्ष 1988 में तीन वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बना। मेरे पास समाज कल्याण मंत्रालय था। मैंने बहुत नजदीक से बच्चों की जेल को देखा। यह समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित होती है। हमने बच्चों के अपराधों के बारे में गहन अध्ययन किया। उन्हें कैसे न्याय मिलता है और न्याय मिलने के बाद कैसे पुनर्वासित करते हैं, कैसे संरक्षित करते हैं, कैसे देखभाल करते हैं, हमें बड़े विस्तार से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। जेलों का बहुत बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश में यह स्थिति थी, चाहे किसी की भी सरकार हो, जेल की बाउंड्री नहीं होती, जेल किराए पर होते हैं इसलिए बच्चे भाग जाते थे और रात को पकड़े जाते थे। वहां स्थिति इतनी खराब थी और यही कारण है कि बाल अपराधों की संख्या बढ़ी। हम इन बच्चों को कहते हैं कि आप देश के भावीकरण आधार हैं। देश का बोझ इनके कंधों पर है। बहुत विभाग इसके लिए काम करते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित होते हैं। इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, राजीव गांधी शिशु गृह योजना, अभिनव योजना, जागरुकता विकास कार्यक्रम, परिवार परामर्श केंद्र, मातृत्व शिशु कल्याण कोष, अल्प आवास योजना, आंगनवाड़ी आदि केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिनमें अरबों रुपए खर्च होते हैं। माननीय नेता मुलायम जी ने गिरिजा जी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसमें कम से कम माताओं का योगदान होता है इसलिए उनकी बात आनी चाहिए। मेरा कहना है कि ये सब योजनाएं मिलती जुलती हैं। गिरिजा जी ने कहा कि ग्रुफ आफ मिनिस्टर्स की कमेटी बने क्योंकि यह चार-पांच विभागों से संबंधित मामला है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय हो, ऐसे तमाम मंत्रालय हैं जिनका संबंध बच्चों के विकास से सीधा जुड़ा हुआ है। हमें इसे गंभीरता से देखना होगा। आप शिक्षा के अधिकार को देखें जिसमें अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। आप देश की स्थिति देखें, प्राइमरी स्कूल में 13.5 करोड़ बच्चे हर साल आते हैं जबकि सिर्फ 5.3

करोड़ बच्चे ही अपर प्राइमरी तक पहुंचते हैं। 35 फीसदी स्कूलों में पेयजल और टाएलेट सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और यह लड़िकयों के झ्रपआउट की वजह है। देश में 1.16 लाख प्राइमरी स्कूल स्वीकृत हैं जिनमें 12530 अभी तक नहीं खुले हैं। इसी प्रकार 1.49 लाख अपर प्राइमरी स्कूल हैं जिनमें 15984 नहीं खुले हैं। देश में 14 फीसदी स्कूलों में कंप्यूटर लगे हैं। उत्तर प्रदेश में 3.59 फीसदी और बिहार में सिर्फ 0.6 फीसदी स्कूलों में ही यह सुविधा उपलब्ध है। माननीय मनमोहन सिंह जी ने स्वीकार किया है और कहा है कि आज भी देश में 45 लाख बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाने से वंचित हैं। मैंने आंकड़ा इसलिए रखा क्योंकि यही स्थिति बच्चों में है और कुपोषण के शिकार ज्यादा बच्चे हैं। दुनिया में 20 करोड़ बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। 31,000 शिक्षकों की आवश्यकता अनिवार्य शिक्षा देने के लिए हैं। इनमें 21 परसैन्ट बच्चों की मौत केवल कुपोषण से होती है। यही नहीं बच्चों को हम राष्ट्रपति पुरस्कार भी देते हैं। मुझे याद है, मैंने अभी एक कार्यक्रम 'कौन बनेगा करोड़पति' में देखा था कि उसमें एक लड़की आई थी, जिसने अपने मां-बाप की रक्षा करते हुए आतंकवादी को मार गिराया था, उसे पुरस्कार मिला था। हमारे देश में ऐसे तमाम बच्चे हैं, जिन्होंने वीरता की मिसाल कायम की है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि यदि हम इन्हें देश का भावी कर्णधार मानते हैं तो उनके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेग्यूच्ये में 80 प्रतिशत कुपोषित बच्चों के हिसाब देखा जाए तो इनकी सबसे ज्यादा संख्या भारतवर्ष में है।

इसी प्रकार से मैं दिल्ली में बच्चों की स्थित के बारे में बताना चाहता हूं कि यदि गौर से देखा जाए तो यहां से साठ बच्चे प्रति माह गायब होते हैं और इनमें ज्यादातर स्कूल न जाने बच्चे होते हैं। इनके लिए काम करने वाला एक एनजीओ है 'बचपन बचाओ', भारत सरकार तमाम एनजीओज के नाम पर पैसा देती है। लेकिन बच्चों के बीच में वे क्या काम कर रहे हैं, इसके बारे में जब सिविल सोसाइटी का निजी विधेयक आया था तो लोगों ने बड़े विस्तार से चर्चा भी की थी। लेकिन एनजीओज के बारे में मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन यह जरूर चाहूंगा कि उनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं कि 1 जून से 18 जुलाई, 2011 तक 331 बच्चे दिल्ली से गायब हुए हैं और इसी वर्ष 921 वे बच्चे गायब हुए हैं, जिनकी उम्र 12 से 15 वर्ष के बीच है। इनकी रिपोर्ट दर्ज होने पर केवल 315 बच्चों का पता लग पाया, बाकी बच्चों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। इनमें ज्यादातर दिल्ली के बार्डर जैसे नरेला, बवाना, खानपुर और साहिबाबाद आदि इलाकों के बच्चे हैं, ये इलाके औद्योगिक इलाके हैं। ये ऐसे इलाके हैं, जहां बच्चों से श्रम का काम भी कराया जाता है। जो बहुत सस्ती लेबर के रूप में मिल जाते हैं और मेरे ख्याल से इन्हें 15 या 20 रुपये दिन भर की मजदूरी के रूप में दिये जाते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि जब ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स की

कमेटी बने तो उसमें श्रम मंत्रालय को भी शामिल करना चाहिए, जैसे गृह मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और श्रम मंत्रालय आदि मंत्रालयों का एक ग्रुप बनना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 50 प्रतिशत दलित बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। 40 प्रतिशत बच्चे स्कूलों से गायब मिलते हैं। जब भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, वहां आप किसी भी प्राइमरी जूनियर विद्यालय को चैक कर लीजिए, वहां आपको बच्चों की संख्या बहुत कम मिलती है। 30 परसैन्ट बच्चों को अक्षर और गिनती तक का ज्ञान नहीं होता है। कभी-कभी जब खड़े होकर हम लोग इंटरव्यू लेते हैं तो बच्चों को उतना भी ज्ञान नहीं होता है। यह हमारे यहां की शिक्षा की व्यवस्था है। आज भी 52 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 63 परसैन्ट अनुसूचित जनजाति के बच्चों छठवीं कक्षा का भी मुंह नहीं देख पाते हैं। केन्द्र सरकार यहां 96 परसैन्ट बच्चों के एडिमशन का दावा ठोक रही है। लेकिन आज भी 25 परसैन्ट क्लासेज में बच्चे गायब मिलते हैं। यह हमारे आंकड़े बताते हैं और उच्च शिक्षा तक जाते-जाते ये एक या दो परसैन्ट रह जाते हैं। क्योंकि उनके यहां आर्थिक तंगी होती है, वे बैंकों से लोन भी नहीं ले सकते, वे अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते। उन्हें बैंक आसानी से लोन भी नहीं देता है, चूंकि उसमें बहुत फॉर्मेलिटीज हैं।

इसके अलावा में बाल मजदूरी की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभी प्रश्न काल में भी इस पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई है। देश में 1.2 करोड़ प्रति वर्ष बाल मजदूर पैदा हो रहे हैं, जिससे काले धन की कमाई भी होती है। इस तरह से कुल मिलाकर करीब छः करोड़ बाल मजदूरों की संख्या पूरे देश में है, जिन्हें 15 या 20 रुपये मजदूरी के मिलते हैं। हम यहां बहुत बातें करते हैं, लेकिन बाल अधिकार एक सपना बनकर रह गया है। लेकिन आज यह स्थिति है कि बहुत से बच्चों के मा-बाप नहीं है। उन्हें दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। ये बच्चे ढाबों, दुकानों, घरों या छोटी-छोटी फैक्टरियों में काम करके अपना जीवनयापन करते हैं। ऐसे बच्चों की संख्या बहुत है और बहुत से बच्चे बेचे भी जाते हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इसी पीठ से आज सवेरे माननीय अध्यक्ष महोदया ने कहा है कि अनिवार्य शिक्षा की तरफ हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए। लेकिन जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो बेरोजगार होते हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास आवास नहीं है, जिनके यहां सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है और खासकर जो रिमोट एरियाज, जंगल और पहाड़ के एरियाज हैं, यही कारण है कि नक्सलवाद की तरफ ये बच्चे बढ़ रहे हैं।



नक्सलवाद की तरफ भी युवक बढ़ते हैं और अपनी मांग की लड़ाई लड़ते हैं। नक्सलवाद को कहां से बढ़ावा मिला है? यह कैसे हुआ है? कई बार इस बारे में सदन में चर्चा हो चुकी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर विशेष ध्यान दे। कम से कम समाज कल्याण मंत्रालय के अलावा अन्य विभाग, जिनका इसमें सीधा संबंध है, दृढ़ता से ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर वहां पर बैठें और बैठ कर इसको गंभीरता से देखें। ये जो अमेंडमेंट बिल आया है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। बहन कृष्णा तीरथ जी आज यहां नहीं हैं, चूंकि बंसल जी बैठे हुए हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस सदन की जो भी भावना पक्ष या विपक्ष से आए, उसको मंत्री जी तक अवश्यक पहुंचाए ताकि इस पर कारगर कदम उठा सकें और इस बिल पर भी बल दे सकें और इसका अनुपालन सही तरीके से हो सके।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यहां पर बोल सकता हूँ?

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप बोल सकते हैं।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे किशोर न्याय और बालकों की देख-रेख और संरक्षण संशोधन विधेयक सन् 2011 पर बोलने का अवसर दिया। मैं बहुत ध्यान से भाई अनुराग जी, बहन गिरिजा व्यास जी और भाई शैलेन्द्र की बातों को सुन रहा था। मैं उन बातों को आगे बढ़ाते हुए कुछ सुझाव दूंगा और जो इस देश की सच्ची तस्वीर है, जिसको हम लोगों ने देखा और अनुभव किया है, उसमें सुधार की क्या आवश्यकता है, सदन के माध्यम से उस पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

महोदय, यह देश और समाज आज की इस बढ़ती हुई आर्थिक होड़ व्यवस्था में, जहां बालकों के कुपोषण, शोषण और बालकों के प्रति संरक्षण गंभीरता की बात है, वहीं कहीं न कहीं चिंता वाली बात है। परिवार समाज का आईना होता है और परिवार का भविष्य बालक और किशोर-किशोरियां होते हैं। आज यह चिंता का विषय है कि किन कारणों से समाज में वह वर्ग, जो इस देश का भविष्य तय करता है, वह समुदाय जिस पर इस देश का भविष्य देखा जा रहा है, लेकिन वहां यह गिरवाट और इतनी तेजी से बढ़ती हुई विषमता क्यों है? मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि गरीब परिवार का जो बच्चा होता है, उसका पहला ध्यान आवश्यक आश्यकताओं की पूर्ति के लिए जाता है। उस परिवार का भी और उसमें पैदा हुए बच्चों का भी यहीं ध्यान जाता है। लेकिन किन्हीं आर्थिक कारणों से वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। मैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं गरीब तबकों के बच्चों की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहुंगा। जहां उनको बाल श्रम रोजगार के नाम पर कहीं न कहीं उत्पीड़ित किया जाता है। यदि किसी किसान का बच्चा किसानी कर रहा है, बढ़ई का बच्चा बढ़इगिरी कर रहा है, किसी नाई का लड़का बारबरी कर रहा है या किसी बुनकर का बच्चा बुनकरी कर रहा है तो वह उस श्रेणी में नहीं आता है कि वहां उसका शोषण हो रहा है। शोषण तो वहां हो रहा है, जो उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा है। शोषण तो वहां हो रहा है, जहां उनको बहला-फुसला कर धोखा देकर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। ऐसे घरों में नौकरी करने के लिए विवश किया जा रहा है। जहां उनको न तो दैनिक आवश्यकता की मजदूरी मिल पाती है और न ही कोई सुविधाएं मिल पाती हैं। वे उत्पीड़ित हैं और उत्पीड़न के शिकार हो कर वे जेल जाते हैं। कहीं वे पुलिस से उत्पीड़ित होते हैं और कहीं उस जेल की व्यवस्था से पीड़ित होते हैं।

मान्यवर, इन पर ध्यान देने और सुधार की व्यवस्था करने की जरूरत है। साक्षरता आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। साक्षर होना और शिक्षित होने में अंतर है। वे गरीब बच्चे शिक्षित हो सकते हैं, साक्षर हो सकते हैं, स्कूल में जा सकते हैं, लेकिन क्या वे प्राथमिक के बाद माध्यमिक, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? अभी हमारे माननीय सांसद जी ने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो

देश के गांवों की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं पेशे से अध्यापक रहा हूँ, मुझे पूरा अनुभव है कि गांव का गरीब परिवार अपने बच्चे की पढ़ाई की एक ललक मन में रखता है। लेकिन अपनी आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद बच्चे को स्कूल तो भेजता है, साक्षर तो बनाता है लेकिन उस बच्चे को वह न तो अच्छी डिग्री दिला पाता है और न स्नातक बना पाता है। आज जरूरत है शिक्षित करने की।

15.00 hrs.

महोदय, मैं जिन जनपदों से आता हूं भदौही, जौनपुर, इलाहाबाद, मऊ में बुनकरी का काम होता है। चाहे वह कालीन उद्योग हो, चाहे हथकरघे का उद्योग हो, लोग उसमें लगे हैं और अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं, जो उन्हें बाल श्रम के नाम पर बदनाम कर रहे हैं। बाल श्रम का उपयोग तो होटलों में होता है, घरों में नौकरों के रूप में उनका उपयोग होता है, ढ़ाबों में नौकरों के रूप में उनका उपयोग होता है, जहां ध्यान दिया जाना चाहिए और यहां पर उन्हें व्यवस्था देने की आवश्यकता है।

महोदय, केंद्र सरकार के माध्यम से बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं की गयीं, एनजीओ बनाये गये, उन्हें संरक्षण की व्यवस्था दी गयी, लेकिन क्या उन्हें वे सुविधाएं मिल रही हैं, उन्हें संरक्षण में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या वे उन्हें मिल रही हैं? अगर देखा जाये तो जानवरों जैसी जिन्दगी वे जी रहे हैं। उन्हें उचित शिक्षा नहीं मिल रही है, उनमें कुपोषण बढ़ रहा है, उन्हें आपराधिक यंत्रणायें दी जा रही हैं। अभी गिरिजा व्यास जी ने किसी बच्ची की कहानी बतायी, वह किसी एक बच्ची की कहानी नहीं है। आज इस देश में अनेक ऐसी बच्चियां हैं, अनेक ऐसे बच्चे हैं, जो इस तरह की यातनाओं के शिकार हैं। वे घर से किसी कारण से, किसी पीड़ा से, किसी डर से शहर की तरफ पलायन करते हैं और ऐसे आपराधिक गिरोह में फंस जाते हैं या तो उनका शोषण होता है या फिर उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है या फिर डॉक्टर के यहां ले जाकर उनकी किडनी निकाल ली जाती है या उनके साथ अमानवीय कृत्य किये जाते हैं। उनके अंग-प्रत्यंग काटे जाते हैं और उसका भी व्यापार हो रहा है। निठारी कांड इसका बहुत ही जीता जागता उदाहरण रहा है। इस देश में ऐसी शर्मनाक घटनाएं बहुत सारी हुई हैं, जिन पर चिन्ता करने की जरूरत है।

महोदय, शिक्षा देश की सबसे बड़ी समस्या है और शिक्षा ही सबसे बड़ी आवश्यकता है। साक्षरता और शिक्षित करने के लिए वे नौनिहाल बच्चे, जिनके लिए खेलने और खाने का समय है, जिनके मन में कुछ बनने की ललक है, उनके परिवार के लोगों को उन्हें कुछ बनाने की इच्छा है, लेकिन उन गरीब बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति एवं गरीब के बच्चों के पास उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक व्यवस्था नहीं होती है। वे लोन के लिए जाते हैं तो उन्हें लोन नहीं मिलता है। वे शिक्षा

प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उनके मन में एक आपराधिक भाव हो सकता है और इसी से ही नक्सलवाद को बढ़ावा मिल रहा है। अपने अधिकारों की लड़ाई, मुख्यधारा से जुड़ने की उनकी ललक है, लेकिन वहां तक न पहुंच पाने की जो व्यवस्था है, यह दुर:व्यवस्था है और यही एक कारण बन रहा है।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज नक्सलवाद, उग्रवाद बढ़ रहा है, अगर उसके मूल में जाया जाये तो जो लोग केन्द्रीय धारा से कटे हैं, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। केन्द्रीय योजनाएं चलायी जा रही हैं, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन क्या उनका सीधा लाभ गांवों तक पहुंच रहा है, क्या उनका लाभ गरीब परिवारों तक पहुंच रहा है, क्या जिन्हें उसकी आवश्यकता है, वह उन तक पहुंच रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं अंत में कहना चाहूंगा कि जहां बहुत सारी योजनाएं समाज सुधार की, बच्चों के पुर्नवास की, बच्चों की शिक्षा की, बच्चों का कुपोषण दूर करने की योजनाएं चल रही हैं, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या सरकारी धन लेने वाले लोग, एनजीओ चलाने वाले लोग क्या उस व्यवस्था को सुचारू ढ़ंग से चला रहे हैं? वहां निगरानी की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि वे किशोर जो किसी न किसी कारण से फंस जाते हैं, फंसा दिये जाते हैं, आपराधिक यातनाओं के शिकार हो जाते हैं, उनके लिए एक समय सीमा निर्धारित हो और उतने समय के अन्तर्गत उन्हें उस सजा से मुक्ति दिलायी जाये।

महोदय, इसमें मानवता का भी ध्यान रखा जाये, वे बर्बरता का शिकार न बनें, सजा निर्धारित करते समय इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को विशेष सुविधा देने की जरूरत है। उनके परिवार में जो व्यवसाय हो रहा है, यदि वे उससे वंचित हो रहे हैं, अगर वह बाल श्रम की श्रेणी में आ रहा है तो क्या उस परिवार को कुछ पंशन देने की, कुछ अनुदान देने के बारे में व्यवस्था करने की बात सरकार सोच रही है? इस तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए। मैं विशेष रूप से समाज में फैली हुई बुराईयों, समाज में फैली हुई कुरीतियों, समाज में फैले हुए भय और आतंक के वातावरण को समाप्त करने के लिए जो कानून बन रहा है, कानून में जो संशोधन हो रहा है, मैं उसका तो समर्थन कर रहा हूं, लेकिन निगरानी समिति बननी चाहिए और उसका कड़ाई से अनुपालन हो। उन्हें सही ढ़ंग से न्याय मिल सके तािक उनका जीवन सही ढ़ंग से चल सके, वे मुख्यधारा में जुड़ सकें। आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि वर्तमान में जितने भी बिल संशोधन हो रहे हैं या प्रस्तावित हैं, वे उचित देख-रेख, संरक्षण और उपचार के सम्बन्ध तक ही सीमित हैं। मेरा यह सुझाव है कि इन्हें सरकारी संरक्षण होते हुए भी अन्य बच्चों की तरह विकास का अवसर मिलना चाहिए।

<u>15.05 hrs.</u>

(Shri Franciso Cosme Sardinha in the Chair)

उनका उपचार भी हो, उनको संरक्षण भी मिले और साथ ही साथ उनको शिक्षा भी दी जानी ज़रूरी है। इसके अलावा उन्हें खेल-कद की स्पर्द्धाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, जैसा कि विश्व के कई विकसित देशों में होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको प्रारम्भिक स्तर पर ही उच्च कोटि की तकनीकी शिक्षा भी दी जानी चाहिए। जिससे कि उनकी ऊर्जा का उपयोग देश और समाज के विकास में किया जा सके।

महोदय, दिन-प्रतिदिन बाल अपराधियों की संख्या में बढ़ोतरी नज़र आ रही है। सरकार को अपनी नीतियां ऐसी बनानी चाहिए, जिससे उसकी रोकथाम हो सके। असमाजिक तत्व उनको गुमराह न कर सके। यदि किशोरावस्था का बालक किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर क्राइम की जानकारी देता है तो उसे तुरंत ही गंभीरता से लिए जाने की ज़रूरत है। इस बारे में समुचित कानून बनाए जाने की ज़रूरत है। यदि कोई पुलिसकर्मी उनकी शिकायतों की अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की ज़रूरत है। शिकायतकर्ता की समुचित सुरक्षा एवं गोपनीयता सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है। इससे अन्य वर्गों में सुरक्षा की भावना पैदा होगी और वे देशद्रोही तत्वों के बारे में महत्वपूर्ण सूचना देने में नहीं हिचकिचाएंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश में दो बड़े अतिक्रमणों की सूचना, जैसे कि करगिल में घुसपैठ एवं मुम्बई पर हमले की पूर्व सूचना गडिरयों एवं मछुआरों ने ही दी थी।

महोदय, मैं अंत में कहना चाहता हूं कि किशोरावस्था की उम्र 8-14 साल की मानी जाती है। यह मानक सही है, लेकिन पुलिस इसे 18 वर्ष तक मानती है। लेकिन इस बिल में यह स्पष्ट होना चाहिए कि कितने वर्ष तक के बच्चों को किशोर माना जाए। सरकार सदन में इस बात को स्पष्ट करे। माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल जी ने आज माननीय श्रम मंत्री जी से इसका मानक जानना चाहा था। इसका एक मानक होना चाहिए, जो कि समूचे देश में लागू हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे देखा जाना चाहिए। यह देखा जाना

चाहिए कि विश्व के अन्य देशों में किशोरावस्था की उम्र के लिए क्या मानक अपनाए गए हैं? किशोरावस्था के अपराधियों के लिए अलग से आईटीआई बनाया जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह किशोरावस्था, विकलांग, मानसिक रोग से पीड़ित और बीपीएल से संबंधित है तो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और उसका इलाज मुफ्त में करवाए।

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak on the debate relating to the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2011.

First of all, I would like to appreciate the concern of the Government over the plight of the children kept in juvenile homes by bringing the amendment to the Section 58 of the Principle Act. This is a good initiative. But we need to go into the detail that why such things are happening, especially, to the juvenile prisoners.

In this regard, I would like to bring to the notice of the Government that many children have gone missing from many State-run children's homes in various States, strengthening the common belief that Government homes do not provide a child-friendly atmosphere and are fast turning unsafe for the residents.

Many cases of unnatural deaths of children have also been reported from these juvenile homes. The figures of children, boys and girls, missing from the care and protection shelters have raised serious doubts about their safety and security in these homes. I am very much concerned about the missing children. Shockingly, there is no information about them. Where are these children? It is feared that missing children are vulnerable to trafficking and child labour. These children could have fallen prey to flesh trade or organ-transplant rackets that are so prevalent in our country.

Most of the children's homes are in a pathetic condition. They are severely short-staffed, lack expert intervention and adequate extra-curricular activities. The children's homes are crowded and kids are forced to survive under inhuman conditions. They are served poor food, often undercooked. Children also have no access to medical aid or formal education.



We cannot have a situation where the State-run shelters are losing a large number of children, year after year.

It is also alleged that the officials of these homes are involved in massive corruption, siphoning off the money meant for the care and protection of children in distress. There is an urgent need to have an impartial investigation to look into these issues and to help improve the administration of juvenile homes across the country. Children who stay in these shelter homes are run away children, missing children, abandoned children, child labourers and crimes-committed children.

It is because of lack of proper care and protection at juvenile homes, the children therein becomes vulnerable to mental diseases. So I must thank and congratulate the Government for bringing out with this Bill at the right time.

The children of our country are the future leaders of our nation. But it is pity to note that 49 per cent of the world's malnourished kids live in India. Preventable malnourishment is still prevalent across the country despite schemes and plans implemented by the Government. According to UNICEF report, 50 per cent of kids under the age of five die of malnutrition. It is very shocking and surprising that we lose 2438 children dying every day for lack of food.

It is paining to note here that recently, according to a press report, a father killed his kid. The only crime committed by the kid was that he asked for *roti* from his father. This has happened in a State which we consider as one of the food bowl of India, Haryana. Why I say this, is just to bring to the notice of the Government the gravity of the situation that our children are facing in this nation even today.

Sir, every coin has got two sides. Similarly, in India, these are two sides. One is having food but not willing to consume it and another side is, one needs food but not available to him. In remote area, the situation is more grim and worst. Why we go to remote area? We can even see the children, who are begging for food under the nose of this august House.

Sir, when I was interacting with a foreign tourist some time back, he was of the opinion that in India, the human being especially the children are the cheapest

things available in this nation. So, we need to change this face of our nation as quickly as possible because the children are the future of this nation.

With this, I conclude my speech and support the Bill.

श्रीमती सुस्मिता बाउरी (विष्णुपुर): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे द जुवेनाइल जस्टिस, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन (अमेन्डमेन्ट) बिल, 2011 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। यह अमेंडमेंट जो लाया गया है, इसमें धारा 48 (2) और 58 में अमेन्डमेन्ट लाया जा रहा है। इसमें बताया गया है कि जिन बच्चों को लेप्रसी है, सेक्स्यली ट्रांसिमटेड डीजीज़ हैं या और भी दूसरे रोग हैं, उसके उपचार हेत् उसे किसी नर्सिंग होम या हॉस्पीटल में भेजा जाएगा। लेकिन मैं इस पर कहना चाहती हूं कि इन बच्चों को तो होम से उधर भेजा जाएगा, लेकिन उधर जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट होगा, वह कौन बियर करेगा? क्या उसके पैरेंट्स बियर करेंगे या सरकार करेगी? जिस बच्चे को वहां नहीं भेजा जाएगा तो उन्हें वहां नहीं भेजने वाले होम के अधिकारी को क्या कोई पनिशमेंट दिया जाएगा या नहीं, यह भी मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं। यह जो जुवेनाइल जस्टिस, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन बिल है, यह वर्ष 2000 में एन.डी.ए. की सरकार के समय लाया गया था। उस समय बहुत सोच-समझ कर यह बिल बनाया गया था कि बच्चों को केयर मिले। अभी बच्चे जो अपराध कर रहे हैं, जिसको होम में लाया जा रहा है, उस समय उनके केयर एण्ड प्रोटेक्शन की बात की गयी। लेकिन हम लोग अभी सही में क्या देख रहे हैं कि बच्चे को जुवेनाइल होम में केयर नहीं मिलता है। मुझे भी ऐसा लगता है। अभी गिरिजा जी और अनुराग जी ने इस विषय पर बोला था। मुझे भी लगता है कि केयरलेसनेस हो रहा है। बच्चे को जो जुवेनाइल होम में मिलनी चाहिए, चाहे पढ़ाई हो, पानी हो, साफ-स्थरे टॉयलेट हो, उसकी स्थिति आज ठीक नहीं है। कहीं-कहीं देखा गया है कि बच्चों को खुद सफाई करना पड़ रहा है। कभी कोई कुक नहीं आता है या कुक को असिस्ट करने के लिए, खाना पकाने के काम में भी इन बच्चों को लगाया जा रहा है। हम लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा आगे जाएगा, यह हमारा भविष्य है। लेकिन अगर इस तरह का व्यवहार हमारे बच्चों के साथ किया जाएगा तो यह ठीक नहीं है। हम सोचते हैं कि एक होस्टल टाइप का हो जहां उसे लगे कि वह क्रिमिनल नहीं है? हम लोग इधर पढ़ने के लिए आए हैं, ऐसा व्यवहार उसके साथ किया जाए, लेकिन वास्तविक रूप में उसके साथ ऐसा नहीं होता है। ये हम लोग बहुत सारे न्यूज में भी देखते हैं कि बच्चे होम से भागते हैं। सरकार को यह देखना पड़ेगा कि बच्चे वहां से क्यों भागते हैं। वहां उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। वहां जो अधिकारी होता है, वह उसके साथ मिसबिहेव करता है। वहां जो लड़कियां होती हैं, उनका रेप होता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं। इसलिए बहुत स्पष्ट बात मैं मंत्री जी से कहना नाहती हूं कि आप बिल बहुत अच्छा लाए हैं, मैं इस बिल का समर्थन करती हूं, जो दो धारा में अमेंडमेंट लाया जा रहा है, आपको पूरे बिल को बहुत अच्छे से लाना चाहिए। होम में जो-जो हो रहा है, इसकी अच्छे से मोनिटरिंग होनी चाहिए। आपने कानून बनाया, लेकिन उसका सही ढंग से प्रयोग

हो रहा है या नहीं, यह भी हमें और आपको देखना चाहिए। इसमें सांसदों की भूमिका भी होनी चाहिए। जहां-जहां ये होम है, हम लोग चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी यह डायरेक्शन है कि जुवेनाइल बोर्ड होना चाहिए। अभी हमारे वक्ता बोल रहे थे कि जुवेनाइल होम सारे देश में सब स्टेट्स में नहीं है, यह सब स्टेट्स में क्यों नहीं है, यह सब स्टेट्स में होना चाहिए। इसमें जो-जो प्रावधान है, वह भी इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पैसा देना चाहिए, उसका भी इसमें कोई जिक्र नहीं है कि यह पैसा कौन देगा। चाहे स्टेट हो या सेंटर हो, लेकिन पैसा तो देना है, नहीं तो काम नहीं होगा। बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हम लोगों को जो पैसा देना है, वह सेंटर से सही तरह से देना चाहिए। चाहे एनजीओज़ हों, क्योंकि ये बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाते हैं। अगर वहां कुछ वर्कशॉप हो, उसे कुछ बनाने के लिए मौका मिले और बाजार से बेचने के लिए कोई प्रक्रिया हो, ये सब होना चाहिए, क्योंकि उसने कुछ बनाया हुआ है और वह ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसे उसका कुछ पैसा मिले तो उसे थोड़ा इंटरस्ट होगा। जब आगे जाकर वह जुवेनाइल होम से बाहर जाएगा तो उसने वहां जो काम सीखा है, वह भविष्य में उसके काम आएगा। इसलिए इसे बहुत अच्छे से करना चाहिए। कानून है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए।

सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करती हूं कि सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि यह मेरे देश के बच्चे के भविष्य का मामला है। आज जो समाज के सरकमस्टांसेस हैं, जैसे हम लोग टी.वी. में देखते हैं। टी.वी. में हम लोग मां-बाप, बच्चे के साथ नहीं देख सकते हैं। ऐसी-ऐसी घटनाएं, टी.वी. में जो अश्लील एडवरटाइज़मेंट होती है, इन सब से हमारे बच्चे भी खराब होते जा रहे हैं। इसलिए इसे भी रोकना चाहिए। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करती हूं कि जैसे कोई क्राइम सीरियल आ रहा है, उसमें कैसे कोई किसी का मर्डर कर रहा है, सारी चीजें दिखाई जा रही हैं। ये चीजें सही नहीं हैं, इन चीजों को आपको बंद करना चाहिए। हमारे जो बच्चे जुवेनाइल कोर्ट में हैं, उनका कैस तीन या चार महीने में खत्म होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस पैंडिंग पड़े हैं। छ: महीने तक उसे खत्म करना है, ऐसा कानून में है, लेकिन ऐसा वास्तविकता में होता नहीं है। इसलिए मैं मंत्री जी से कहूंगी कि कितने पैंडिंग केसेस पड़े हैं, आप उन्हें खत्म कराइए। इसके लिए कोर्ट तो बनाना है। फास्ट ट्रेक कोर्ट के बारे में अनुराग जी ने बोला है, मैं भी कहती हूं कि आप इन केसेस को खत्म कराइए। जैसे बच्चा बाहर आएगा, उसे कोई अच्छे से एडोप्ट करे, जो अनाथ बच्चे की बात कही गई कि कोई एडोप्शन हो, कैसे भी हो, हमें बच्चे को आगे लाना है। हमें उसे सब कुछ देना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि ये जो क्राइम्स करते हैं, इनमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे गरीब एवं अशिक्षित होते हैं। हमने एक रिपोर्ट में देखा है कि 27 परसैंट बच्चे गरीब परिवार के होते हैं, क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिलता है। उसे एक रोटी के लिए भी

क्राइम करना पड़ता है, ये सब क्यों होगा। हम लोग जानते हैं कि 77 परसैंट लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिन्हें 20 रुपए में अपना गुजारा करना पड़ता है, ऐसी स्थिति है। हम लोग कानून तो ला रहे हैं, लेकिन इस कानून को सिर्फ बुक में नहीं रहना है, हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है। इधर आज कानून पास हो गया और हम लोग खुश हो गए कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हो गए, ऐसा नहीं है। हम लोगों पार्लियामेंट से भी होम में जाना चाहिए, वहां जाकर देखना चाहिए कि वहां वास्तविक स्थिति क्या है। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और इस बिल का समर्थन करती हूं।

SHRI MOHAN JENA (JAJPUR): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Juvenile Justice Care and Protection of Child (Amendment) Bill, 2001. The children are the gifts of God and a child symbolizes love, purity, innocence and impartiality.

Just like a seed a child contains immense possibilities and can bloom into a great personality. If we go through the pages of history, we will find many examples of great men who have excelled in life despite all odds, who have started their lives from very unfortunate and difficult circumstances. Thus, it is the circumstances and the social milieu which moulds a man's character by making it great or otherwise.

So, children are like buds who are awaiting to flower if properly cared for. But it is very unfortunate that despite the unprecedented development of civilization and growth of many lofty ideas about human lives and human rights, there are many innocent children who take birth on the pavements of the metropolitan cities and are forced to spend a life-time there. They are deprived from the cares of mother's arm, from nourishment, from good quality food, medicine and basic facilities and necessities of life. Education and security is a distant dream for them. People born with a golden spoon, belonging to affluent families, cannot even imagine the hardships of these street children.

Juvenile delinquency involves wrong doing by a child who is under age by the law in force. An effective control is needed to reduce crime in the society at all levels as the delinquent child of today may become a hardcore criminal tomorrow

The tough life situations compel them to adopt the principle of 'survival of the fittest'. They pick up negative traits and bad habits just for their livelihood. If they get derailed from the smooth track of life, who is responsible? Is it those unfortunate deprived innocent children or is it the society or the Government?

Against this backdrop, the move of our Ministry to amend the existing Juvenile Justice Act is a welcome step. But mere insertion of some new provisions in the old Act will not solve the problem unless the attitude of the law-

implementing agency changes. In this context, I would like to draw the attention of the Government to a published news item in the *Sunday Times of India* with the caption 'Shelterless at Home'. Even the Government-managed juvenile homes have become virtual hells for those unfortunate children. In many cases, police picks them up without verifying their credentials and dumps them in juvenile homes turning them into hardcore criminals later on. For example, three years ago the Mumbai Police picked up two small children from the streets on charges of begging which turned out to be false. According to Vinod Rana, the social activist, who chaired a shelter home for Delhi street children says, 'children are treated like cattle and are regularly beaten and abused'. Similarly, another social activist and member of the Mumbai Juvenile Justice Board, Mahua Nigudkar says, 'while the system of administering juvenile justice may be flawed with custodial care robbing a child of his liberty and freedom, it does not mean these homes should be shut down, forcing the children back into the streets. Instead there is a need to improve the quality of care and protection, these institutions offer.'

So, we have to re-look at the entire situation. The hon. High Court of Delhi, *vide* an interim Order, dated 4th February, 2009, in a PIL against the Union of India and others held 'there is an urgency and need for immediate steps to be taken both to remove and amend discriminatory legislation and to ensure that the patients suffering from leprosy enjoy equal status as other citizens.'

The Rajya Sabha Committee on Petitions also in its Report recommended that there is a need to amend the relevant provisions of the Act, so that the juvenile or the child is not subjected to segregation or discrimination. In view of those above recommendations, the Government is trying to bring in legislation with the amendments. But the present infrastructure in various juvenile homes, shelter homes and even in jails is abysmally lacking in facilities. The mindset of the police in general and the jail authorities in particular is absolutely negative in this regard. They do not share the concern or the enthusiasm of the Government, the Parliament or the social activists.

Juvenile Home, which is supposed to be a corrective step, acts on the contrary to transform petty offenders into hardcore criminals – more so when it involves juvenile delinquents. The circumstances warrant the Central Government to take serious note of the conditions prevailing in our jails and make the necessary interventions. It needs to be ensured that every agency involved in the investigation of any juvenile crime proceeds with due respect to the latter's rights failing which we would only pave the way for a future hardcore criminal. The authorities need to be both sensitive and responsive while dealing with any juvenile issue, as they are a voiceless and unorganized lot. Young delinquents have to be handled with great care and wisdom if good results are to be expected. Matters can improve only when the Police Department and other government officials wake up to this challenge and the judiciary ensures that the provisions of the Juvenile Justice Act are implemented in their letter and spirit.

With these few words, I conclude my speech.

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): सभापित महोदय, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल, 2011 का मैं समर्थन करता हूं। मैं सिर्फ दो-तीन सुझाव इस पर देना चाहूंगा। जो बाल अपराधी हैं या जो बच्चे गुनाह करते हैं, कोई जुर्म करते हैं, उसका मुख्य कारण एक तो हमारे देश की आबादी है और इसके साथ-साथ जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब हैं, मजबूरीवश उन्हें रोजी-रोटी के लिए शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है। आज यह स्थिति है कि शहरों में भी रोजगार के अवसर बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं हैं। जो मजबूरीवश पलायन करके शहरों में आते हैं, अधिकतर उन्हीं परिवारों के बच्चे ड्रग एडिक्ट होते हैं। उनके लिए जीविका का कोई साधन नहीं है, इसीलिए अधिकतर ये बच्चे ड्रग एडिक्ट होते हैं या अपराध की ओर जाते हैं।

महोदय, हम अच्छा कानून बनाते हैं, लेकिन सारे चिल्ड्रन होम्स राज्य सरकार की जूरीस्डिक्शन में आते हैं, राज्यों की यह जिम्मेदारी है। आप किसी भी चिल्ड्रन होम में जाकर विजेट करेंगे, जब उसकी स्थिति देखेंगे, तो कानून के तहत उनके ड्रग एडिक्ट होने पर या कोई अपराध करने के कारण उन्हें पकड़ते हैं, तो उन्हें सुधारने के लिए सुधार गृहों में भेजते हैं। लेकिन उन सुधार गृहों की जो स्थिति वह इतनी बद्तर है कि ये बच्चे वहां जाकर बड़े गुनाहगार बन जाते हैं। केवल कानून बनाने से ही यह मसला हल नहीं होगा। कानून के साथ-साथ जो चिल्ड्रन होम्स हैं, उनके सुधार की आवश्यकता है, वहां सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता है और उन बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाने की आवश्यकता है। यदि संस्कार सही नहीं होंगे, तो बच्चे भविष्य में बड़े अपराधी बनकर बाहर आते हैं या गुनाहगार बनकर बाहर आते हैं। एक शॉकिंग न्यूज इस प्रकार की है कि जो बड़े-बड़े गैंगस्टर्स बड़े शहरों में हैं, उनका ध्यान सरकार से भी ज्यादा उन चिल्ड्रन होम्स पर होता है। ...(व्यवधान) यह बहुत शॉकिंग बात है। सारे माफिया चिल्ड्न होम को घेरे हुए रहते हैं और जब कोई ऐसा बच्चा वहां जाता है, तो उस बच्चे को ही पहले घेर लेते हैं। उस बच्चे की ओर इन गैंगस्टर्स का पहला ध्यान जाता है और जब वह बच्चा सुधार गृह से बाहर निकलता है तो सीधा किसी गैंगस्टर या माफिया से जाकर मिलता है। जो छोट बच्चे अपराधी है, इनको सुधार गृह भेजकर या चिल्ड्रन होम्स भेजकर उनमें सुधार लाने का प्रयास होना चाहिए, उनको अच्छा नागरिक बनकर समाज में फिर वापस आना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं दिखती है। यह विधेयक तो हम पारित करेंगे, लेकिन मैं मंत्रालय से कहना चाहूंगा कि इसका एक सर्वे करने की आवश्यकता है कि जितने भी सुधार गृह या चिल्ड्रन होम्स देश में चलाए जा रहे हैं, उनमें से कितने बच्चे हैं जो उससे बाहर निकलने के बाद एक सामान्य नागरिक या सम्माननीय नागरिक के तौर पर जी रहे हैं।

कितने फिर अपराध की ओर बढ़ते हैं? इसलिए यदि यह प्रमाण हमको कम करना है तो केवल कानून बनाना ही आवश्यक नहीं है। कानून के साथ उनका सही पालन-पोषण होना चाहिए। उनको सही अन्न एवं दवाई मिलनी चाहिए। उनके संस्कार सही होने चाहिए। इन सारी बातों का अभाव इन चिल्ड्रेन होम्स में दिखाई देता है। ये बच्चे वहां पर कैदी की तरह जीवन बिताते हैं। वे वहां से ज्यादा बड़ा गुनहगार बन कर बाहर निकलते हैं। इसकी ओर सरकार का ध्यान जाना अत्यंत आवश्यक है। बस यही सुझाव मैं इसमें देना चाहता हूं।

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Mr. Chairman, Sir, I would like to thank you very much for giving me this opportunity to speak on the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2011.

Sir, in an effort to curb discrimination against minors suffering from communicable diseases, the Government is all set to amend an Act providing for the care and protection of the children. The Draft Bill to amend the Juvenile Justice Act seeks to prohibit authorities from sending minor children to mental asylums, and separate treatment for those suffering from diseases such as leprosy and tuberculosis. According to the amendments, instead of sending such children to mental asylums, the authorities will have to ensure proper treatment and that such person is not abandoned in the mental asylums/psychiatric nursing homes.

The Union Law Ministry, with which the amendment is under consideration, has advised the removal of Section 58 from the Juvenile Justice Act, 2000 which provided for a juvenile suffering from communicable diseases to be treated separately. It leads to stigma.

According to the new Draft, only communicable diseases have been omitted. But the unsoundness of mind, behavioural problems and drug addiction have been retained. This is in accordance with the existing Mental Health Act, 1987.

The amendments were mooted to keep the Act synchronous with the UN Charter of Human Rights. I appreciate the Ministry of Social Justice and the Law Ministry in taking up children's care in bringing down such amendments to the existing Juvenile Justice Act, 2000.

But here I would like to say that the aim and objective is not totally achieved. It is in accordance with the Indian Mental health Act, 1987. It is not so simple. Still the stigma is playing a major role in keeping them in the psychiatric nursing homes.

The unsoundness of mind, behavioural problems, alcohol and Substance Abuse must be treated and considered equal along with physical illness.

But the point is that the primary care doctors, general physicians do not have exposure and training in dealing with mental health problems. Because psychiatry is not an examination subject in the MBBS curriculum, they do not have enough knowledge in dealing with mental health problems. Children, adolescents and youth are facing a lot of psychological stress and mental health problems. So, the basic medical education, that is, MBBS should have psychiatry as an examination subject. As of date, almost all the psychological problems are treatable and curable. Hence, the Ministry of Social Justice and the Ministry of Health and Family Welfare should put in their efforts to bring psychiatry as an undergraduate examination subject. If it is done, then, all the doctors will be able to treat mental illness at an affordable cost for the huge population of this country. In all our neighbouring countries including Sri Lanka, psychiatry is an examination subject in MBBS.

Sir, I want to share my views with the hon. Minister and the hon. Members that alcohol should not be served or supplied to people below the age of 21 years at the bars or banquets. Second, enough fund must be allocated for treatment of alcoholism and drug abuse. Third, district level centres for treatment of alcoholism must be established. Fourth, a chapter on promoting mental health must be included in the school curriculum from ninth standard onwards. Lastly, enough training centres for counseling and rehabilitation should be established.

To conclude, I would like to say that this will be the first and firm step to fight the stigma against psychiatric illness and mental health problems.

SHRIMATI J. HELEN DAVIDSON (KANYAKUMARI): Sir, I would like to express my sincere thanks for giving me an opportunity to speak on the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2011, which is a very important Bill keeping in view the life and career of millions of innocent children of our country.

Sir, children require the protective umbrella of the society for their better growth and development. Being a mother, I can understand the need of the hour for the betterment of the child. I hope everybody will accept that mothers are more careful about children, mothers are always ahead in caring children.

The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 was enacted to provide juvenile justice system to juveniles and children who are in need of care and protection for their development. Certainly, I support this amendment Bill to amend the Original Act.

Due to poverty and illiteracy, children indulge in wrong-doings, which ultimately lead to committing a crime. As a result, they are punished. So we should understand the reason of the crime being made by the innocent, tenderaged children. If we go through the data and statistics, we can find that out of the total juvenile arrested, 27 per cent children are illiterate; 37 per cent of children are under primary education; 72 per cent of children come under the Below Poverty Line (BPL Family); 68 per cent children come under Middle Class Family; and 0.2 per cent children come under High Income Group. Sir, this clearly indicates that if you compare this with education and poverty, the maximum number of children committing crime can very much be understood. The children who are supposed to be with pen, pencil, and books, are carrying pistols, knives and becoming criminals. This is a very unfortunate thing and a matter of great concern for the entire society.

Another alarming thing is that adolescent girls are also involved in committing crimes. We should find out the mindset, and accordingly, the Juvenile Homes should function in such a way that these juvenile children recover and lead

a very healthy and free life. Juvenile Homes should function in a very effective manner. Proper care should be taken in this regard. There should be proper maintenance of their rooms, living environments with proper cleanliness and hygienic conditions. Proper food should be served for each and every juvenile children. Toilets in Juvenile Homes should be kept clean and hygienic. Pure drinking water for them is absolutely essential.

The amendments are connected to Section 48(2) and Section 58, which clearly speak of the provisions regarding juvenile houses or homes. Due to diseases like leprosy, AIDS, Hepatitis B, TB, and persons with unsound mind, they have to stay in rescue homes for a temporary period. They are staying there under compulsion. But instead of treating them, they are mentally tortured. They need mental care. These diseases are not contagious, but still children are kept differently, which will have a very adverse impact on their mindset. Children who are suffering from various problems and are being abused by the society and social system should be given proper protection and proper care. Hence, the amendment is required.

The Government should make a survey and prepare the data as to how many juveniles after committing the crime are staying in juvenile homes, as to how many juveniles have committed the crime again and as to how many have changed their mindset and leading a good life.

One more issue I wanted to raise. Sir, it has been observed that cases involving some adult criminals are settled but the cases of juveniles are kept pending. This gives a very bad signal and impression on the mindset of the juvenile. These children keep on going to the court for appearances. Also, during registering FIR, Police in many cases do not mention proper age of the child, as to who did the crime or offence. Instead of mentioning the proper age, the Police increases the age by some influence from the other side, which makes the offender as an adult. But in fact, he is actually a minor (juvenile). This aspect should be given extra care and noted accordingly.

Sir, I would like to raise another important aspect of this discussion. While the Act was made, three things were prohibited to be used keeping in view the mental impact on the children. These are Police, Court and Jail. A child should not think that he is in jail, he is with the Police and he is going to the Court. Hence, the Court is named as Board and the Jail is named as Home to give the impression to the Children that they are not in jail. I would like to raise a question that how many Boards are established in various States of our country? How many homes are made for the better telement of these juveniles? This is also a matter of concern.

After being punished for a crime and kept in juvenile home, if juvenile is being motivated and kept away from committing any crime again, then I think the purpose of this Act could be served and hence the discussion on this bill can be fruitful.

With these words, I extend my support to this Bill.

*SHRI P. LINGAM (TENKASI): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for giving me an opportunity to participate in the discussion on the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2011 and would like to put forth my views both on my own behalf and on behalf of my party, the Communist Party of India.

I support this Bill because it seeks to protect the interests and welfare of children hailing from poor background. When compared to the world standards, the growth opportunities and resource potential for their well being are much less in our country. According to a report brought out by the UN, orphaned children, maimed and disabled children, and disease afflicted children are more in India and at least more than 50 per cent of the world number is found in our country. It is a sad and hard reality that in India children are ignored and neglected. No child is born as a criminal. It is only the circumstances and the conditions in which a child is brought up that makes him or mars him. It is the social and familial situations that even lead the children to be afflicted with certain diseases. The leprosy that was prevalent in our country is being contained now. It is found still, but in a very reduced number. Leprosy is not a disease that comes of a curse or a sin. It has been found out that it is malnutrition and the resultant weakened nervous system that lead to leprosy. Similarly, AIDS is not alarming disease. Though it is not a communicable disease in the strictest sense of the term, it affects children because it is passed on to them and they have not acquired it on their own. It comes from the parents. Even the mental disorders in children are passed on to them from their parents due to their addiction to alcohol and other psychotropic substances.

We find many children in our country left to fend for themselves as orphans without education and proper medical care and food. I urge upon the Government to see that through this Amendment and similar measures we create an atmosphere for our children to be saved from the malaise and maladies. Even in hospitals, such

^{*} English translation of the speech originally delivered in Tamil

under-privileged children are denied of proper medical care. It is a great pity that such children affected with AIDS are treated as untouchables even by doctors in our hospitals. Right steps must be taken by the Government to see that those children get proper care socially, psychologically and medically. This Amendment Bill provides for specialized care for such children. I welcome the move. At the same time, I would like to point out that in our family system, with the parental care such children can be taken care of in a better manner whatever be the disease even if it is communicable, but unfortunately, the poor children even if they do not have communicable disease, they are sufficiently kept away. Hence I would like to point out that separate homes for children affected with communicable disease must not become a prison for them.

The special homes meant for the uncared for children affected with diseases must provide healthcare, education and other social needs like other socially well placed children so that they too can come up in life and compete with others and contribute to the society. These homes must function as a social protection fortress for the poor children who have been left to fend for themselves with diseases. We must also create an awareness in the society that such children are taken care of by a collective effort in addition to the care that is expected to be provided through this Amendment to those hapless children. I also urge upon the Government to see that adequate funds are apportioned to effectively implement the measures contemplated for the welfare of these children.

So, reiterating our view point that such of those children who have been left orphaned with diseases must have a cohesive social security and protection so that they may come up in life with conducive growth opportunities, let me conclude.

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): महोदय, आज किशोर न्याय संशोधन विधेयक, 2011 सदन में प्रस्तुत है। यह कानून बना था उन बालकों की देखरेख और संरक्षण के लिए जो अनाथ हैं या अपने अभिभावक की गरीबी के कारण सड़कों पर चले जाते हैं और अनाथ की तरह जिंदगी बिताते हुए धीरे-धीरे लोग उन्हें अपराध की दुनिया में ले जाते हैं। जब ऐसे बच्चे कोई अपराध कर बैठें, तो उन्हें सामान्य अपराधियों की श्रेणी में जेलों में बंद न किया जाए, उन्हें ऐसी जगह रखा जाए जहां उनके सुधार की संभावनाएं बनें। जब संसद के द्वारा यह कानून बना था, उस समय जो भूल हुई थी, आज उसके सुधार के लिए माननीय मंत्री जी यह बिल लाए हैं। ऐसे बच्चे जो बीमार हों, उन्हें अन्य से अलग नहीं करना चाहिए। आज इस सदन में जो विचार आए हैं, मैं समझता हूं कि यह संशोधन अतिआवश्यक इसलिए है कि जो बच्चे एक बार समाज से कटकर इस सुधार गृह में चले जाएं, फिर उन्हें अन्य लोगों के साथ न रखकर अलग कर दिया जाए, यह अपने आप में उनके साथ न्याय नहीं है। यह वे मानसिक रोगी हों या उन्हें नशे की आदत पड़ गयी हो, तो उन्हें ऐसी जगह पर रखा जाए, जहां उनका सुधार हो सके, जहां उनकी दवा हो, जहां उनके स्वास्थ्य की देखरेख हो। आखिर ये सुधार गृह आज बिगाड़ गृह क्यों बन गए हैं। मैं समझता हूं कि जहां ये बच्चे रखे जाते हैं, वहां का वातावरण ऐसा नहीं है जिसमें सुधार की कोई गुंजाइश हो। यह कानून जिस तरह के लोगों की अपेक्षा करता है इनके देखरेख के लिए, उस तरह की देखरेख के लिए लोग वहां नियुक्त नहीं होते हैं। एक माता-पिता के द्वारा जिस तरह से एक बिगड़े हुए बच्चे की हिफाजत की जाती है, उसी तरह उन स्थानों पर उसे आगे सुधार के रास्ते पर ले जाया जाता है, ताकि आज का बच्चा युवा होकर राष्ट्र के लिए कोई अपराधी न बने, अच्छा नागरिक बने। अपराध की दुनिया से उसे अलग करना ही इस सुधार गृह का मुख्य उद्देश्य है, लेकिन देश के पैमाने पर जो हो रहा है, उसके बारे में न्यायपालिका के भी न्याय-निर्णय आए हैं कि ये बाल सुधार गृह नहीं हैं, यहां हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। ये बच्चे कौन हैं? जिसकी समाज ने देखरेख करके उसे एक अच्छे इंसान के रूप में ढालने का प्रयास नहीं किया, ये हमारी विकृतियों के प्रोडक्ट हैं, समाज में जो गरीबी-अमीरी की खाई है जिसमें हमारे गरीब मां-बाप अपने बच्चे की हिफाजत नहीं कर पाते, वह बच्चा प्लेटफार्म पर भीख मांगता हुआ गिरहकट बनता है और फिर अपराधी बन जाता है। लेकिन उसे भी जीने का अधिकार है, वह भी एक परिवार का सदस्य है, उसे भी मां ने जन्म दिया था परिवार के एक बच्चे के रूप में, लेकिन भारत के संविधान में सभी को समान अवसर देने का जो सिद्धांत है, उसे अवसर नहीं मिलते, जिससे वह बच्चा भटक जाता है। ऐसे भटके हुए बच्चों को यह राष्ट्र गारन्टी देता है कि राज्यों के सहयोग से हम इन्हें सुधार गृह में रखेंगे और एक अच्छा नागरिक बनाएंगे। क्या मंत्री जी कभी विश्लेषण कराएंगे कि इन सुधार गृहों में आए हुए बच्चों को ऐसी शिक्षा दी गयी, जिससे वह उच्च शिक्षा पाकर वैज्ञानिक बने,

अफसर बने, भारत का बड़ा नागरिक बना हो। कम से कम इन सुधार गृहों की एक विश्लेषण और समीक्षा होनी चाहिए। हमारे सुधार गृहों में आने वाले बच्चे अपने जीवन में इन सुधार गृहों से निकलकर दुनिया में किस उंचाई तक, किस प्रतिभा को अर्जित कर कहां तक पहुंचे हैं। यदि हम यह समझ पाते हैं अपनी समीक्षा से कि यहां से निकला हुआ बच्चा एक ऐसे युवक के रूप में समाज में प्रवेश कर रहा है। जहां समाज में अपना योगदान करेगा है, भारत राष्ट्र का एक मजबूत नागरिक बनकर, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हम कितने ही कानून बना लें, हम कितने ही इन अनाथों को, इन गरीब बच्चों को गारंटी दे दें, मगर हम अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।

मैं एक बात और कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। इन सुधार गृहों की एक अच्छा व्यवस्था, अच्छा भवन हो, जहां रोशनी हो, पढ़ने की व्यवस्था हो, जहां उसे सीखने और सिखाने का प्रशिक्षण दे विक्री व्यवस्था हो, इस बात को मानकर कि आज का बच्चा कल भारत का अपराधी युवक नहीं बनेगा, बल्कि एक ऐसा राष्ट्रभक्त और भारतीय बनेगा, जो राष्ट्र की सेवा करने लायक बनेगा। यह जो हमारे बाल संरक्षण और हमारे बाल सुधार गृहों का देखरेख और संरक्षण का हमारा उद्देश्य है, तब जाकर पूरा होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जो ये संशोधन आए हैं, मुझे लगता है कि ये आज के दिन अपने आपमें अति आवश्यक थे। मैं इसके लिए सरकार और मंत्री जी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इन संशोधनों को लाकर जो विकृति थी इस कानून में, उसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): सभापित महोदय, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2011 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे कई साथियों ने अपनी बातें यहां रखी हैं। मैं मंत्री जी को इस बिल को पेश करने के लिए धन्यवाद देता हूं। समाज के उन बच्चों के साथ जुड़ा हुआ यह प्रश्न है, जिन्हें सर्वाधिक संवेदनशीलता की आवश्यकता है।

आज हमारे यहां जो संस्कृति का उदय हो रहा है, पाश्चात्य सभ्यता का हमारी संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। उसी के परिणामस्वरूप बिखरते परिवार, एकल होते परिवार की संस्कृति हम देख रहे हैं। पहले हमारे यहां संयुक्त परिवार की परम्परा थी। लेकिन उन परम्पराओं द्वारा पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करने के कारण हम छोटे-छोटे परिवारों में सिमटते चले जा रहे हैं। उसी का परिणाम है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे, जिनके मां-बाप नहीं होते हैं, परिवार में उनके चाचा-चाची, मामा-मामी, बुआ-फूफा उन्हें सहारा नहीं देते हैं। वह सहारा नहीं मिलने के कारण ऐसे बच्चे जब अनाथ होकर सड़कों पर भटकते हैं, तो संगठित आपराधिक गिरोहों के चंगुल में ये फंस जाते हैं। इस तरह अनजाने में ही ये अपराध के रास्ते पर चल पड़ते हैं।

कोई भी बच्चा पैदाइशी अपराधी नहीं होता है। जन्म से कोई भी बच्चा अपराध की दुनिया में नहीं आता है। जैसे पैदा होते ही कोई नेता नहीं होता है, वह अपने कर्मों के द्वारा समाज में स्थान बनाता है। ऐसे ही हर पैदा होने वाला बच्चा, जन्म से अपराधी नहीं होता है, बल्कि कुछ परिस्थितिजन्य स्थितियों के कारण वह अनजाने ही अपराध की दुनिया में ढकेल दिया जाता है।

इस बिल में किशोर न्याय बोर्ड की बात कही गई है। किशोर बालकों की देखरेख और संरक्षण के लिए हमारे देश में किशोर न्याय बोर्ड हैं, बाल कल्याण समितियां हैं, डिस्ट्रिक्ट किशोर पुलिस इकाइयां हैं, फिर बाल संरक्षण समितियों का भी गठन किया जाता है। माननीय मंत्री द्वारा जो यह बिल पेश किया गया है, इसमें संक्रामक रोगों से पीड़ित किशोरों के प्रति भेदभाव को खत्म करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत सरकार बच्चों की देखभाल और संरक्षण सम्बन्धी कानून में संशोधन करने के लिए यह बिल लाई है, हम इसका स्वागत करते हैं।

किशोर न्याय (बालकों को देखभाल और संरक्षण) अधिनियम में संशोधन संबंधी प्रारूप में प्रशासन को किशोर एवम् बच्चों को मानसिक रोग अस्पताल भेजने और कोड़ तथा क्षय रोग से पीड़ित इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए इलाज की अलग व्यवस्था करने से रोकने का प्रावधान रखा गया है। संशोधन के अनुसार मानसिक रूप से ग्रस्त जो बच्चे हैं, उन्हें अस्पताल भेजने के स्थान पर शासन को इनका इलाज कराना चाहिए। ऐसे बच्चों को अस्पताल में लावारिसों की तरह नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जो प्रारूप आया है, उसके

अनुसार यौन रोग संचारित, हैपिटाइटिस-बी, टीबी और ऐसी अन्य बीमारियों से ग्रस्त मानसिक रोगी किशोर या बच्चों के अलग इलाज सम्बन्धी जो धारा 2 है उसे हटाया जाएगा। अन्य बीमारियों से ग्रस्त नाबालिग रोगियों को अलग नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रशासन द्वारा उनका इलाज कराया जाएगा। किशोर न्याय अधिनियम की जो धारा 58 है, संशोधन संबंधी प्रस्ताव में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकार को अब यह महसूस हो रहा है कि विशेष गृह में रखा गया किशोर या बच्चा मानसिक रोगी या नशे का अभ्यस्त है। इस कारण से अगर उसके व्यवहार में बदलाव आ चुका है तो उसे मानसिक रोग अस्पताल या नर्सिंग होम भेजा जा सकता है।

सभापित महोदय, हमारे देश में टीवी और इंटरनैट की जो संस्कृति चल पड़ी है, उसके कारण भी बहुत सारी विकृतियां हमारे बच्चों में आ रही हैं। मेरे क्षेत्र की एक घटना है। 12 साल की एक बच्ची अपने गांव के छोटे-छोटे बच्चों के साथ जानवरों को चराने के लिए गई थी।

वहां पर 12 साल की विकलांग बच्ची के साथ रेप हुआ और अनजाने में ही वह बच्ची मां बन गयी। वह जब घिसटती हुई कलैक्ट्रेट ऑफिस के पास आई, जहां मैं भी मौजूद था तो वहां मौजूद सारे लोगों के दिल हिल गये। यह जो टीवी और पाश्चात्य संस्कृति का कल्चर हमारे देश में आ रहा है, उससे विकृति बढ़ रही है। मैं कहना चाहता हूं कि बाल-सुधार-गृहों में जो व्यवस्था होनी चाहिए, वह वहां नहीं है। उनके खाने-पीने और पहनने की व्यवस्था वहां ठीक नहीं है। वहां के प्रबंधक और कर्मचारियों में संवेदनशीलता का अभाव है। देश के जिन जिलों में बाल-सुधार गृह नहीं हैं वहां अच्छे व सक्षम एनजीओज के द्वारा यह काम कराया जाना चाहिए।

बालकों की देख-रेख के संबंध में जो बातें कही गयी हैं कि चार माह में केस का निस्तारण होगा। कैसे होगा? जब किशोर न्यायालय और बोर्ड नहीं बने हैं तो निस्तारण कैसे होगा? जुर्माने की जो राशि तय की गयी है वह भी बहुत कम है। इसके बारे में विचार करना चाहिए और अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि मानसिक रोगी निदान केन्द्र जिलों में नहीं हैं वहां उन्हें बनाया जाना चाहिए और ऐसे बच्चों के संपूर्ण पुनर्वास के बारे में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, संस्कार हो, सरकार को विचार करना चाहिए। साथ ही निगरानी समितियों का गठन करना चाहिए।

राज्य सरकारें और गैर सरकारी संगठनों के विचार भी इसमें जानने चाहिए थे और आपके द्वारा इस बारे में पहल की जानी चाहिए थी, क्योंकि इस अधिनियम का कार्यान्वयन ज्यादातर इन्हीं लोगों के हाथों में होता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जो स्थाई सिमति है, उसकी सिफारिशों पर भी विचार करते हुए आप पहल करेंगे तो मैं समझता हूं कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख के लिए यह जो बिल लाया गया है, यह अपने आपमें सार्थक होगा।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सर, मैं किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधन विधेयक, 2011 की ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपके अनुसार जो 40000 के करीब बच्चे बाल-सुधार-गृहों में हैं, जिन्हें होम कहा गया, घर कहा गया और अब उन्हें कंवर्ट किया जा रहा है नर्सिंग-होम, हैल्थ-होम और अब उन्हें मॉड्रनाइज किया जा रहा है। मैं दूर-दराज गांव के बच्चों की बात कहना चाहता हूं। जो कभी भी क्रिमीनल नहीं बनेंगे। लेकिन वे भूख-प्यास-पढ़ने और कपड़ों से पिछड़ते जा रहा हैं, उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं। उन बच्चों को फ्रस्ट्रेशन है। मैं एक घर में गया तो एक मां अपने तीन बच्चों को लेकर बैठी हुई है, मैंने पूछा, बहनजी आपके कितने बच्चे हैं तो उसने कहा कि मेरे चार बेटे हैं। मैंने पूछा कि चौथा कहां है? महोदय, वह घर के पीछे छिपा हुआ था क्योंकि वह 12 साल का बच्चा बिल्कुल नंगा था और उसे समझ थी कि घर में कोई आया है। बदिकरमत से वे गरीब हैं, उनकी बुरी हालत हैं। मेरे घर के नजदीक एक बाल-आश्रम और एक नारी-निकेतन है। लोग उन्हें खाने पर ले जाते हैं। आज कौनसा दिन है, माता का दिन है तो हम इन्हें केले खिलाएंगे। वे बच्चे महसूस करते हैं कि वे मांगने वाले बच्चों में से एक हैं। यह सब गलत है कि हम बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं। हम बच्चों को खुदा का नाम देते हैं, उन्हें खुदा का रूप बताते हैं लेकिन उन बच्चों की हालत आप देख नहीं सकते हैं। मेरे पास एक बच्चा आया कि मेरे मां-बाप मर गये हैं और मेरे तीन भाई-बहन हैं, उस बच्चे को इंसुलिन चाहिए थी। वह बच्चा एक फैक्टरी में काम करता था और अपने घर पैसे भेजता था

16.00 hrs.

वह बच्चा दूर-दराज एरिया का था। अगर वह इनसुलिन लगता है, तो उसके पास घर भेजने के लिए पैसे नहीं बचते हैं। जब वह अपने घर पैसा नहीं भेज पाएगा, तो अपने आप ही फ्रस्ट्रेटिड होगा। मैं उस बच्चे को शुगर के लिए इनसुलिन लगाते देख कर हैरान हो गया। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो, आपके मन में कुछ करने की सच में मंचा है तो ऐसे बच्चों को आइडेंटीफाई कीजिए। सभी बच्चों के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसा न हो कि केवल पागल बच्चों के लिए या फ्रस्ट्रेटिड बच्चों के लिए या दूग एडिट बच्चों के लिए या मानसिक रुग्णता के शिकार बच्चों के लिए ही कुछ किया जाएगा। आपको सभी बच्चों के लिए काम करना चाहिए। आप बच्चों को ऐसी स्थिति में पहुंचने से पहले ही सम्भालने की व्यवस्था कीजिए।

महोदय, मैं मीड डे मील के बारे में बताना चाहता हूं। पिछले छह महीनों से मेरे संसदीय क्षेत्र में मीड डे मील का राशन नहीं आया है। माँ-बाप बच्चों को खाने के इंतजाम के लिए स्कूल भेजते थे। उन माँ-बाप को अपने बच्चों के खाने का इंतजाम करना पड़ा। छह महीने का राशन स्कूलों में नहीं गया, इसकी जांच होनी चाहिए। इसी तरह आंगनवाड़ी की बात बताना चाहता हूं। कहा जाता है कि इतनी कैलरी बच्चों

को मिलनी चाहिए, इतना प्रोटीन बच्चों को मिलना चाहिए, मैं बताना चाहता हूं कि जितना सबस्टैंडर्ड, जितना घटिया राशन बाल आश्रम, नारी निकंतन, आंगनवाड़ी और मीड डे मील में दिया जाता है, ऐसा किसी दूसरी जगह नहीं है। आप कानून बनाओ। सरेआम मिनिस्टर्स से रास्ते में छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, हम भी जब जाते हैं, तो छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, मैं कहता हूं कि सबसे पहले इन बच्चों को देखो। इनके लिए अच्छा इंतजाम कीजिए या आप इनके पागल होने की इंतजार करेंगे या इन्हें जब एड्स हो जाएगी, तब इन्हें रखोगे। मैं कहना चाहता हूं कि आप इन्हें दूषित होने से पहले ही इनकी देखभाल कीजिए। जब बुराई पैदा होनी है, उससे पहले ही उसे दूर करने के उपाय अपना लो।

आप एजुकेशन सिस्टम की बात कहते हैं। गांवों में एक टीचर भी नहीं है। मेरे गांव में एक बच्चे के पढ़ने के लिए कमरा नहीं है, स्टाफ नहीं है। क्या इससे बच्चे फ्रस्ट्रेटिड नहीं होंगे, पागल नहीं होंगे। मेरी सामने वालों से भी विनती है कि जहां इनकी सरकारें हैं, उन्हें भी कहो। हम भी अपनी सरकार से कहेंगे, तभी बच्चों का भविष्य बिगड़ने से पहले ही सम्भाल सकते हैं और देश के विकास को सही रास्ते पर ला सकते हैं।

श्री नृपेन्द्र नाथ राय (कूच बिहार): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

16.04 hrs.

(Dr. M. Thambidurai in the Chair)

महोदय, बहुत सारे माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। आज जो बिल पेश हुआ है, यह बहुत अच्छा है। सरकार की सोच अच्छी है, लेकिन केवल सोचने से ही काम नहीं बनेगा। काम करने की मंशा होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि बोलना कम चाहिए, लेकिन काम ज्यादा करना चाहिए। आज सुबह चाइल्ड लेबर के बारे में मंत्री जी ने उत्तर दिया था।

माता के कोख से कोई अपराधी बनकर जन्म नहीं लेता। समाज से अपराधी बनाए जाते हैं। कारण क्या है कि देश में भुखमरी बहुत है। निरक्षरता बहुत है,, इसलिए बच्चों को जितनी ज्यादा शिक्षा दी जानी चाहिए, उतनी शिक्षा नहीं मिल पाती। मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढना-लिखना सीखें। लेकिन वे कुछ समय जाकर मां-बाप की फाइनेंशियल तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं और 1243 साल के बच्चे मां-बाप के लिए, परिवार की खातिर बाहर काम करने के लिए जाते हैं। जितनी फैक्टरीज में आप देखिए, वहां भी अंडर एज बच्चे काम करते हुए दिखाई देते हैं। स्टेशन, चाय की दुकान, होटल में भी 12-13 साल के बच्चे काम करते हुए मिलेंगे। कानून बनेगा लेकिन कानून यदि लागू नहीं होगा तो फायदा क्या होगा? कानून तो बन सकता है लेकिन उसको लागू होना चाहिए। पार्लियामेंट में ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट कमेटी की रिपोर्ट में सरकार से दरख्वास्त की गई कि क्या जिला स्तर पर जुवेनाइल बोर्ड बनाया जाना चाहिए? रिपोर्ट में दिया गया है कि जिले को छोड़ो, अनेक जगह देखा गया है कि जुवेनाइल बोर्ड नहीं बना। शायद बहुत सारे मैम्बर्स बोर्ड में बने हैं और वे जुवेनाइल होम देखने गये तो पाया कि वहां की हालत अच्छी नहीं है। अभी माननीय सदस्य लाल सिंह जी ने क्या कहा कि जुवेनाइल होम्स में बच्चों को जो खाना दिया जाता है, उसकी क्वॉलिटी बहुत घटिया है। जुवेनाइल होम्स के स्टॉफ के लिए भी रहने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ऑफिस नहीं है। इसलिए ह्यूमन डवलपमेंट रिसोर्स कमेटी ने, by laying the 219^{th} Report on the floor of the House on 25th February, 2011, सरकार से यह मांग की:

The Committee in its 219th Report on Demands for Grants 2010-11 had appreciated the targets set by the Ministry with an allocation of Rs. 300 crore mainly for setting up of Juvenile Justice Board, Child Welfare Committee, Special Juvenile Police Units Child Protection societies etc..."

इस्टीट्यूशनल सैट-अप के लिए 300 करोड़ रुपया मांगा गया है। जो राशि कमेटी द्वारा मांगी गई है, सरकार ने सैंक्शन नहीं की है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जुवेनाइल होम्स के बच्चों के लिए सारे देश में सारे जिलों में बोर्ड बनाना चाहिए और कमेटी द्वारा जितनी राशि मांगी गई है, यह राशि सैंक्शन करके आगामी बिल के बारे में सोचना चाहिए।

* SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): Respected Chairman Sir, I take the floor to whole heartedly support the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2011. Not only that, I also support the amendments of Section 48(2) and Section 58 (regarding the medical facilities). If you look at the figure of National Crime Report you will find that in 2010 in India 32,681 children have been sent to Homes out of which six percent are girls and 72% are illiterate and extremely poor. This is the reason why they are being easily lured into criminal activities by a section of anti-social people. When these little boys are caught red-handed by the police, they are sent to juvenile homes for reforms. Children Welfare Committees have also been set up for the purpose so that the children can be brought back to the mainstream of the society. But the conditions of the Homes are very pathetic. They are more like concentration They Government provides grants to maintain the Homes – enough money is earmarked for these institutions where all facilities like staff, teachers, doctors, etc. are supposedly available. But in reality, nothing is found. Food is terrible and the children do not get even two square meals a day. Moreover, they are made to toil hard. Therefore they try to run away and even commit suicides. Such news are frequently published in the newspapers. There is not even an iota of sensitivity or sympathy for these little children. Those who are in-charge of the Welfare Committees do not even care to look into these issues.

^{*} English translation of the speech originally delivered in Bengali

What I am saying is that, the law is good but there is slackness in the implementation part of it. No responsibility is fixed on anyone. Frequent inspections must take place to indentify the lacunae in the system. If responsibility is really fixed then the system may become better.

When the juvenile delinquents are arrested and sent to the court, they are made to line up along with other criminals and are also treated in a similar manner. The environment is not at all conducive for the children. Thus my suggestion is that court sessions should be held inside the Homes by inviting retired judge who happens to be a member of the Juvenile Board. They should also be released within 4 to 6 months after speedy trial. I also request the Government to arrange for stock taking of the situation. Why the court cases remain pending for so many years? Who are responsible for that? Try to fix the accountability. Only then the entire system can improve.

Thirdly, I want to tell you that there is no proper medical facility for the juvenile inmates of the Homes. The provisions under Section 58 which deal with children suffering from hepatitis, leprosy, aids and other ailments are very well-conceived and I entirely support the provision. There are doctors but they do not visit the Homes. If the patients are sent to nursing homes for treatment, who is going to bear the responsibility? This is a big question. The Central and State Governments must take care of these ill children because their legal guardians are too poor to bear the burden of medical expenditure.

Thus if inspections, enquiries are carried out regularly, if accountability is fixed, if the increase in the rate of crime and reasons behind such increase are kept track of by the Government, then the law can become very effective and farreaching. 511 Juvenile Justice Boards have been so far constituted and 493 Child Welfare Committees have been set up. These must be sufficiently empowered and made to work so that a better system prevails and justice gets back its sheen.

With these few words, I thank you and conclude my submission on the Bill.

DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Sir, I rise to support the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2011 with the hope that this will take care of the 'mentally ill' juveniles of our country.

While supporting this Bill, I have a few observations to make. The mental hospitals and nursing homes in our country are not in adequate number and particularly those hospitals in the public sector are in a very wretched condition. I cannot, being a doctor also, tell this House with much emphasis that sending our mentally ill juveniles to those places will help to get rid of their problems; rather they will be plunged into further problems. So, before sending them to those hospitals, the health of these hospitals should be taken care of first.

My second point is that due to the present socio-political economic milieu, mental illnesses are increasing all over the world. It is also engulfing the tender brain of our children. As a result of social unrest, uncertainty of livelihood and deterioration of social and moral values, including familial disharmony, children are falling victims of mental diseases. The present amendment has promises to deal with mentally ill children. But can we find any Bill which can prevent the development and spread of such illnesses? We must ponder over the present socio-economic system, which is producing such maladies.

Mental illness still remains a stigma in our society. The affected are treated as 'mad or pagal'. It should be preached strongly by the Government and all other agencies that medical science has remedies for this with medicines and proper care.

As mentioned by hon. Girija Vyas, mental patients are kept in jails due to provisions in the Mental Health Act, 1987. This is an old Act and requires complete revision. I also request this House and the Minister to take care of that. I will appeal that no such mentally ill patient, including the juvenile, should ever be sent to jails according to the provisions of this Act.

In West Bengal, there is a very old and famous hospital, Mankundu Mental Hospital at Hooghly district. If properly taken care of by the Central and the State Governments for its revival, lots of juvenile mentally ill patients and mentally

challenged adult patients will get benefit of this hospital. So, it should be taken care of properly.

Drugs for mental illness are very costly now-a-days. The Government should ensure that these drugs should be made cheaper and should be regularly supplied to the homes and hospitals.

Many of previous speakers have mentioned that the condition of the hospitals, particularly of the homes and shelters, is very bad. Violation of child rights, malnutrition and maltreatment are going on there. Many a time, not only the male inhabitants but the female wards also try to flee from these homes due to very unfriendly and unsocial practices within the homes. That should be sincerely prevented.

I would like to add two very new points, which are not mentioned in the House. In these homes also, the psychotropic drugs and substances, including alcohols are being supplied with the help of guards and the administration. They should not be supplied with these things and they should be kept away from such substances. That should be taken very seriously by the Government and by the administration.

At last, many of these patients, including the juveniles, after recovery, are not taken away by their relatives and parents due to the social stigma, due to their social segregations and economic backwardness. How can these problems be solved? Being a doctor I have faced it in the hospitals. That should be taken care by the Government through this Bill.

I support this Bill with the hope that it will take care of the juvenile ill patients.

श्रीमती अन्तू टण्डन (उन्नाव): सभापति महोदय, मैं जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटैक्शन ऑफ चिल्ड्रन) अमैन्डमैंट बिल, 2011 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। जो सैक्शन 58 (1) एंड (2) के तहत राज्य सभा से पारित हो चुका है। हमारे देश में लाखों बच्चे, जो अनाथ हैं, बेसहारा हैं, सड़कों पर रहते हैं, उनके लिए तथा उनके संरक्षण के लिए यह बिल लाया गया है। ये बच्चे किसी स्पेशल होम, ऑब्जर्वेशन होम, चिल्ड्रन होम, शैल्टर होम में या किसी संस्था में शरण तो पा रहे हैं। लेकिन मानसिक तौर पर बीमार रहने के कारण या उन्हें कोई शारीरिक बीमारी जैसे लेपरेसी, टी.बी., एचआईवी आदि है या उन्हें ड्रग्स या शराब की लत लग गई है, उनके लिए यह कानून बना है कि किसी कम्पिटैन्ट अथारिटी के आधार पर यदि कहा जाए तो उन्हें किसी अस्पताल, साइकाइट्रिक अस्पताल या नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया जाए। मैन्टल हैल्थ एक्ट, 1987 के द्वारा ऑलरेडी यह लागू हो चुका है और इस अमैन्डमैन्ट के तहत यह होता था। लेकिन इस अमैन्डमैन्ट के तहत इन्हें कम्पिटैन्ट अथारिटी के कहने के बाद वापस अपने सामान्य होम्स में लाने का भी प्रावधान बनाया गया है। हमने कई कहानियां सुनी हैं कि पहले बच्चे, बल्कि बड़े भी पागलखाने जाते हैं या वहां पहुंचाये जाते हैं, उनका उपचार होता है, सालों-साल गुजर जाते हैं और फिर वे वहां मर भी जाते हैं। लेकिन मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूं कि इस अमैन्डमैन्ट के तहत ये लोग कम से कम अपने सामान्य होम में वापस आ सकते हैं। उनके पुनर्वास के बारे में बात करना या उसके क्या प्रावधान हैं, उनके बारे में बात करना बेकार है, क्योंकि हमारे जो पूर्व सदस्य हैं और जो वक्ता हैं, उन्होंने यह बात साफ कर दी है कि हमारे पास पुनर्वास का कोई भी खास प्रावधान नहीं है। इस अमेंडमेंट पर चर्चा करते समय मैं कुछ बिंदुओं पर आपका और मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। ये पांच बिंदु हैं, मैं उन पांच बिंदुओं में से बोलूंगी। पहला आज यह अमेंडमेंट खास तौर से शराब और ड्रग्स की लत में गिरफ्त जो बच्चें है, उनके भविष्य को सुधारने के लिए ध्यान में रख कर बनाया गया है। परंतु ऐसा होता क्यों है? समाज में वे बच्चे जिनका कोई सहारा नहीं बहुत आसानी से अपने गम और तकलीफ को दूर करने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए इन नेशों का सहारा लेते हैं। बच्चों को ड्रग्स पहुंचाने वाले, बेचने वाले, देने वाले, ये बहुत बड़े जुल्मी हैं और इनके लिए कानून भी बने हुए हैं। मेरा मानना है कि इस समस्या को रोकने के लिए सरकार को कानून और मजबूत बनाने होंगे। मुझे मालूम है कि कानून हैं, पर फिर भी खास कर शहरों की पिछड़ी गलियों में बेधड़क ड्रग्स का खेल बच्चों के साथ चल रहा है और इन हालातों में उनके साथ जो दुष्कर्म होते हैं उससे भी लोग पीछे नहीं हटते हैं। इसके बारे में हम सब लोग जानते हैं।

सभापित महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि ड्रग्स से जो बच्चे प्रभावित होते हैं, इन तरीकों की जो स्थितयां पैदा होती हैं, उनके रोकथाम के लिए कुछ कानूनों में हमें शायद और

सख्ती करनी पड़ेगी। बल्कि सख्ती से ज्यादा सजा का प्रावधान और मजबूत बनाना पड़ेगा क्योंकि यह हमारे देश के भविष्य की बात है।

दूसरा बिंदु है कि उन बच्चों की खातिर, जिनके लिए कानून बनते हैं परंतु सही मायने में उपयुक्त कारगर संस्थाएं, शेल्टर होम्स आदि पर्याप्त मात्रा में हमारे देश में नहीं हैं। अगर हैं तो इस भ्रष्ट कलयुग में इनकी देख-रेख पर कई सवाल उठ सकते हैं। सरकार से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में इस तरह के बच्चों के नाम और अधिक बजट आवंटित किया जाए और जो गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थाए या एनजीओस हैं, उनमें निगरानी बहुत मजबूत करनी पड़ेगी और दण्ड के कुछ प्रावधान भी करने पड़ेंगे, जहां पर इस तरह के दुष्कर्म होते हैं। इनकी जो कार्य प्रणाली है, इनमें जो अपराधी बच्चे निकल कर आते हैं और गलत काम करते हैं, उनकी देख-रेख में ये लोग कटौती करते हैं। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और ऊपर से इनके ऊपर कोई सख्त कार्यवाही नहीं हो रही है। इन बच्चों के संस्थाण के लिए हमारी सरकार ने सेक्शन 62, जो इसी कानून के तहत बनाया है, वह चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के गठन की बात करता है। इस सेक्शन में राज्य सरकार का सही मायने में यह दायित्व होता है कि वह चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बना कर वहां पर ऐसे अधिकारी और स्टाफ की नियुक्ति करे कि इस तरह के बच्चों के मुद्दों को वे डील कर सकें। जिन्हें केयर और प्रोटेक्शन की जरूर है, देखभाल की जरूरत है, सिर्फ कानून की जरूरत नहीं है। ये यूनिट ऐसे बच्चों के लिए आश्रमों को स्थापित करती है, ऐसे बच्चों की देखरेख करती है, इस बात का ध्यान देती है कि इनका पुनर्वास जल्दी और अच्छी तरह से हो सके। लेकिन जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा यह कहीं पर भी नहीं हो रहा है।

आज आपके माध्यम से मैं राज्य सरकारों से कहना चाहती हूँ कि इस फेडरल सिस्टम में यह अनिवार्य है कि हम देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें और इस सेक्शन के तहत जो हमें यूनिट्स बनानी चिहए, उस पर पूरा ध्यान देकर बनाने का काम करें तो शायद इससे हम लोग यहां संसद में बैठ कर चिंतामुक्त हो सकते हैं, अगर राज्य सरकार अपना काम सही ढंग से करें।

तीसरा मेरा मुद्दा है कि आज सुबह प्रश्न काल में मीना सिंह जी ने जैसे कहा था कि कई बार हम जब सड़क से गुजरते हैं तो अपनी गाड़ी के बंद शीशों से हर चौराहे पर हम बच्चों को भीख मांगते हुए या साथ में छोटी-मोटी चीज़ें बेचते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनके ऊपर दया आती हैं मदद करने की इच्छा भी होती है पर एक औरत और एक माँ होने के नाते में संसद से पूछती हूँ कि क्या ऐसा अगर अपने बच्चों के साथ हो तो हम बर्दाश्त कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कितनों की मदद कर पाते हैं।

सभापित महोदया, आज आपके माध्यम से मैं सरकार से, मंत्री महोदया से, इस सदन से आग्रह करना चाहती हूँ कि इस मुद्दे पर, जिस पर हमारे देश के बच्चों का और हमारे देश का भविष्य लगा हुआ है,

उस पर हम लोग ज्यादा तवज्जो दें। मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन इस मुद्दे पर भी हम लोगों को गहराई से चिंतन करना चाहिए और हमें कानून भी इस तरीके के बनाने चाहिए। सब जानते हैं कि भीख मांगना अपराध है और बच्चे जब कुछ बेचते हैं तो दया आती है, पर यह सोच कर कि ये कम से कम मेहनत कर के कमाई कर रहे हैं, एक बार को मन चुप हो जाता है। लेकिन उसके फौरन बाद चाइल्ड लेबर की बात हमारे दिमाग आ जाती है।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इन बच्चों से यह काम कराने वाले ज्यादा बड़े गुनाहगार हैं। इस सब पर आज सुबह नवीन जिन्दल जी ने भी अपनी बात रखी थी और इस चर्चा में कुछ बहुत अच्छी बातें अनुराग ठाकुर जी ने भी अपने वक्तव्य में कही थीं। जो चैप्टर 2 आइटम 24 के अन्तर्गत कानुन है, उसे हम लोग असल में बहुत हल्का-फुल्का जुर्म समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और यही हमारे देश के साथ एक सबसे बड़ा रहे हैं और इस कानून को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। आज सुबह प्रश्नकाल में जब चाइल्ड लेबर पर चर्चा हो रही थी तो मेरे ज़हन में एक बात आयी कि अगर बच्चों को जुर्म से दूर रखना है तो राइट-टू-कम्प्लसरी एजुकेशन के एक्ट के माध्यम से हम छह से चौदह साल तक के बच्चों को तो पढ़ाई के मामले में या शिक्षा के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, उन्हें बढावा दे सकते हैं। उससे ज्यादा जरूरी यह हो जाता है कि 14 साल से 18 वर्ष तक के बच्चों पर हम ध्यान दें क्योंकि यह उम्र ऐसी होती है जिसमें जुर्म की तरफ वे ज्यादा जा सकते हैं। इन 14 से 18 साल के बच्चों के लिए शिक्षा के साथ-साथ वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करना जरूरी है। सभी ने वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में कहा, लेकिन यह बात भी सही है कि वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ अगर थोड़ी सी कमाई हो जाती है तो इन बच्चों का ध्यान हम जुर्म की तरफ से हटाकर सही और सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। जब चर्चा हो रही थी तो इसी बारे में हमारे श्रावस्ती के सांसद डॉ. विनय कुमार पाण्डेय जी का एक बहुत ही अच्छा सुझाव आया, जिसे मैं कहना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि जो हमारे नवोदय विद्यालय बन रहे हैं, उन्हीं के आधार पर अगर ऐसे रेजीडेंशियल अकोमडेशन हम लोगों के बच्चों के लिए हों, जो 14 से 18 साल तक के बच्चे हों, जिन्हें वहां पर सही मायने में वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाये और उनके रहने, खाने आदि का सारा इंतजाम हो, सामान्य शेलटर होम की तरह नहीं बल्कि पर एक रेजीडेंशियल हॉस्टल की तरह हों।

महोदय, मेरा चौथा मुद्दा सैक्शन 63 का है और उसे मैं पढ़ना चाहती हूं। यह जुवेनाइल पुलिस यूनिट के बारे में है:-

"In order to enable the police officers, who frequently or exclusively deal with juveniles or are primarily engaged in the prevention of juvenile crime or handling of the juveniles or children under this Act,

to perform their functions more effectively, they shall be specially instructed and trained."

स्पेशियली इंस्ट्रिक्टिड एंड ट्रेंड हमारे पुलिस वाले नहीं हैं, परन्तु दुःख इस बात का है कि शायद इस कानून के हिसाब से इसका पालन नहीं हो रहा है। पुलिस अगर इस मामले में सही कार्य करने लगे तो हम लोगों के बहुत सारे दुःख दूर हो सकते हैं। इसके लिए मैं आज सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं, हो सकता है कि राज्य सरकार के काम में हम ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन कोई एक स्पेशल चिट्ठी लिख सकते हैं, एक गाइड लाइन भेज सकते हैं और ऐसा करने के लिए कह सकते हैं।

महोदय, मेरा एक प्वाइंट और है, I would like to finish the point because I was not given the opportunity earlier, which I was told that I would be given. माननीया गिरिजा व्यास जी ने भी स्पेशल कमेटी बनाने की बात की है, स्पेशल कमेटी इस चीज के ऊपर निगरानी रखे, इस बात के लिए मैं गिरिजा व्यास जी के साथ अपने आप को सम्बद्ध करती हूं। मैं अपना पांचवां और आखिरी प्वाइंट रेज़ करना चाहती हूं, जिसे अनुराग टाकुर जी ने भी रेज़ किया था। जुवेनाइल कोर्ट्स में हमारे बच्चों के जुर्म की जो सुनवाई होती है, अनुमान लगाया गया है कि हमारी इन कोर्ट्स की पेंडेंसी वर्ष 2007 के डेटा के हिसाब से करीब 34, 527 है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरों के मुताबिक वर्ष 2009 में 23,926 जुवेनाइल क्राइम्स संज्ञान में आये थे। वर्ष 1999 में यानी सिर्फ दस साल पहले सिर्फ 8,888 ही थे। केवल वर्ष 2009 में 33, 642 जुवेनाइल्स अलग-अलग मामलों में पकड़े गये, जिसमें से 14, 553 यानी केवल 43.2 परसेंट वर्ष 2010 में अभी तक उन्हें इंसाफ की प्रतीक्षा है। जहां तक अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की बात है, वहां पर मुकदमों का निपटारा 100 फीसदी हुआ है। दूसरी तरफ कई ऐसे मैट्रो शहर हैं, जैसे मुम्बई है, दिल्ली है, दिल्ली में अभी भी 5,000 मुकदमें लंबित हैं।

महोदय, वर्ष 1986 में शीला बरसे मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि यदि शिकायत या एफआईआर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे के खिलाफ होती है और उसमें सजा का प्रावधान 7 वर्ष से कम होता है तो इसकी तहकीकात तीन माह के अन्दर पूरी कर देनी चाहिए। नहीं तो मुकदमा खत्म माना जाना चाहिए। इसी प्रकार से यदि तीन महीने में चार्जशीट दाखिल की जाती है तो इस पर फैसला अगले छः महीने के भीतर आ जाना चाहिए। आरोपी बच्चों के मुकदमों को ज्यादा तवज्ज़ह देने की आवश्यकता है



ताकि जल्द से जल्द इनके मामले सुलझाए जा सकें। इसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि एडीशनल बैंच का प्रावधान इस पैंडेन्सी को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए।

अंत में, मैं सरकार को इस संशोधन विधेयक को सदन में लाने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं और इसका समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदय, आपने मुझे किशोर न्याय संशोधन विधेयक, 2011 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

महोदय, यह विधेयक कई वर्षों से आता और जाता रहा है, लेकिन सुधार कब और कैसे होगा, यह अभी तक हमें समझ में नहीं आया है। सभी माननीय सांसदों ने अपने विचारों और तकलीफों को व्यक्त किया है कि बच्चों का सुधार कैसे किया जाए। बच्चे देश के कर्णधार होते हैं, बच्चे देश का भविष्य होते हैं। बच्चों में ऐसा गुण देखा जाता है कि वे भगवान का रूप होते हैं। लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि लोग बच्चों से इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं? बच्चे तो वैसे होते हैं, जैसे कि वट वृक्ष का बीज होता है, जो बड़ा होने पर इतना वृहद होता है कि कई हजार वर्षों तक बना रहता है। उसी तरह से बच्चों के दिल में जो भावना होती है और आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है, वह इतनी बड़ी होती है कि लोग उसका हजारों वर्षों तक गुणगान करते रहते हैं। जैसे कि हमारे डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी, जो कि दलित परिवार से थे। उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन वह इस तरह से बनकर उभरे कि वे आज पूज्यनीय हैं और हम लोग आज उन्हीं की बदौलत खड़े होकर दो शब्द बोल रहे हैं।

महोदय, आज जब हम बच्चों में वह रूप देखना चाहते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है? जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं और देखते हैं कि गरीब और अनाथ बच्चे किस तरह से रह रहे हैं। उनका रहन-सहन और पहनावा देखकर बहुत दर्द होता है। बच्चों के लिए जो सुधारगृह बने हुए हैं, वे सुधारगृह नहीं हैं, बिल्कि बिगाङगृह हैं। यदि किसी गलती में वे सुधारगृह जाते हैं तो वे वहां जाकर और बिगड़ जाते हैं और वे अपराध नक्सलवाद और माओवाद की तरफ चले जाते हैं। सिगरेट पीना इत्यादि सभी तरह की बुराइयां वहां से उनमें आती है। हम क्या सुधार कर सकते हैं? हम इन बच्चों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? यही बच्चे आगे चलकर जवाहर लाल नेहरू जी, आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी बनेंगे या हमारी सुषमा स्वराज जी की तरह हमारी लड़कियां आएंगी। आज लड़कियों को भी कितना दबाया जाता है। इस बारे में बहुत से लोग कहते हैं। हमें पेपर में भी पढ़ने को मिलता है कि जब लड़कियां पढ़ने के लिए जाती हैं तो कितने शरारती लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। हमारे बिहार में लड़कियां अच्छे से स्कूल जा रही हैं। पहले उनके पास ड्रेस नहीं होती थी। उनके मां-बाप उन्हें ड्रेस नहीं दिला पाते थे। आज हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और उप-मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी ने लड़कियों के लिए साइकिल योजना चलाई है। गरीब बच्चों को ड्रेस देने की योजना चलाई है, जिसके कारण आज बच्चे स्कूल जा रही हैं। उनमें पढ़ने की उत्सुकता जगी है। जब उसको अच्छी देख-रेख मिलती है तो बच्चे पढ़ने के लिए स्वतंत्रता से आगे

बढ़ते हैं। आज बहुत सी एनजीओ इस पर काम कर रही हैं, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि क्या खूबियां हैं और क्या खामियां हैं। यदि खामियां नहीं होतीं तो आज शायद श्री अन्ना हजारे को सड़क पर नहीं उतरना पड़ता। हर लाइन में भ्रष्ट लोग भरे हुए हैं। इन भ्रष्टचारियों का तो कोई अंत ही नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी वह इस चीज पर ध्यान दे और बच्चों के भविष्य को सुधारने का काम करे। यहां तो बच्चे कुपोषण के भी शिकार हैं। बच्चे को रोटी नहीं मिलती। कभी-कभी तो ऐसा महसूस होता है कि आम लोगों के घर में अगर बच्चे काम करने आते तो लगता है कि उन्हें पूरी तरह से भोजन मिल जाता। हम देखते हैं कि बच्चे की जो परिस्थिति है, वह सुधारने योग्य है। वह कल होकर क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, यह हम लोग जानते हैं। अब हमारी साध्वी ऋतंभरा जी को ही लीजिए। वे अनाथ बच्चों को पाल रही हैं। कभी-कभी टेलीविज़न में आपको देखने को मिलेगा कि वे उन्हें इस रूप में पाल रही हैं जैसे लास्च हैं। कभी-कभी टेलीविज़न में आपको देखने को मिलेगा कि वे उन्हें इस रूप में पाल रही हैं जैसे लास्च हैं। क्यान को पाल रही हैं। साध्वी ऋतंभरा जी, जो हमारी दीदी हैं, उनका विचार और उनका ज्ञान देखकर और बच्चों के प्रति प्रेम देखकर मुझे लगता है कि उस तरह के सुधार गृह बने। बिगाड़ गृह को सुधार गृह में परिवर्तित करें, यह मैं अपनी सरकार से अनुरोध करती हूं।

श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका): सभापति महोदय, किशोर न्याय (संशोधन) विधेयक, 2011 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। किशोर न्याय एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। बच्चे जो हमारे भविष्य हैं, हम अपने सुनहरे ख्वाब उन बच्चों के माध्यम से बुनते हैं। आज वे बच्चे अपराध की दुनिया में लिप्त हो रहे हैं और आज हम उन्हीं की चर्चा करने जा रहे हैं। किशोर अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति कैसे शुरू हुई, इस पर एक बड़ी लम्बी बहस का विषय है। लेकिन मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि एकल परिवार, हमारी यह पूंजीवादी व्यवस्था और यह वर्ग भेद- इन तीनों के कारण ही आज बाल अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हम नए कानून बनाते जाएंगे और अपराध भी नए-नए तरीके से बढते जाएंगे। इसके लिए हमें इसके पीछे की पृष्ठभूमि की ओर भी थोड़ा देखना होगा। नई व्यवस्था ने हमें ये परेशानियां दी हैं। हमारी पुरानी पृष्ठभूमि थी, जिसमें परंपरागत ढंग से कृषि प्रधान देश भारत के घर-घर में परंपरागत तरीके से खेती होती थी। पूरा परिवार, औरत-मर्द खेती के काम में लगे होते थे। बच्चे भी काम करते थे। पाठशाला से आते थे और थोड़ा बहुत काम करके मां-बाप की मदद करते थे। लेकिन वक्त के साथ-साथ पूंजीवादी व्यवस्था आ गई। कृषि उत्पादन घटता गया। प्रकृति की भी मार हुई। धीरे-धीरे कृषि उत्पादन खत्म हो गया। किसान मजदूर बन गया। उसके बच्चे सड़क पर आ गए। एक यह व्यवस्था हुई। दूसरे, हमारे यहां हर गांव-शहर में कई छोटे-छोटे कुटीर उद्योग चलते थे। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में कालीन का बहुत अच्छा कारोबार होता था। उसमें बहुत हुनर वाले लोग लगे हुए थे। पूरा का पूरा परिवार उसमें लगा होता था। लेकिन बाल मजदूरी के नाम पर उसको बंद कर दिया गया। बाल मजदूरी के नाम पर उन बच्चों को हटा दिया गया लेकिन वे बच्चे करेंगे क्या, इसकी व्यवस्था नहीं की गयी।

महोदय, मैं बांका क्षेत्र से आती हूं। हमारे क्षेत्र में रेशम, तसर के बड़े अच्छे कपड़े बनते हैं और बहुत हुनरमंद लोग हैं। इसमें 80000 अंसारी लोग हैं जो इस कारोबार को करते हैं। उनके पास संसाधनों की कमी है। उनके पास हुनर तो बहुत है, पर संसाधन नहीं हैं। उनके बच्चे सड़क पर पड़े हैं। अब ये सारे बच्चे किस ओर जाएंगे? जैसा अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जब हम सड़क पर जाते हैं तो बच्चे फेरी वाले के रूप में सामान बेचते नज़र आते हैं। कभी चेहरे को रंग कर नटों की तरह करतब करते हुए दिखाई देते हैं, भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। यह जो गांव से पलायन हो रहा है, यह उसी का परिणाम है क्योंकि हमने गांवों को सुरक्षित नहीं रखा। गांव से छोटे-छोटे बच्चे आते हैं। वे मिलों में, कारखानों मे, गैस की फैक्ट्री में, बीड़ी के गोदामों में काम करते हैं। लड़कियां गुमराह कर दी जाती हैं। वे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर कर दी जाती हैं और चकलाघरों में पहुंचा दी जाती हैं। यह ऐसा कटु सत्य है जिसे हम सब जानते हैं। जिसके कारण ये अपराध धीरे-धीरे बढ़ते जाते हैं।

पेट की भूख से लाचार होकर बच्चा कोई छोटा अपराध करता है तो उसे लॉकअप में डाल दिया जाता है और बाद में उसे बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। वहां पर उसका किस तरीके से शोषण होता है, कैसे यौन शोषण होता है। बाल सुधार गृह की छिव कैसी है, अभी हमारे कई माननीय सदस्यों ने उनके बारे में कहा। वहां पर बच्चों के साथ में क्या-क्या होता है। जो भोले-भाले बच्चे होते हैं, वे छोटा सा जुर्म करके जाते हैं। वहां जाने के बाद जब वे वहां से निकलते हैं तो एक अच्छी आपराधिक प्रवृत्ति लेकर आते हैं, मास्टर बन कर आते हैं। उन्होंने अभी तक जो नहीं सीखा, वे सारी चीजें बाल सुधार गृह से सीख कर आते हैं।

सभापित महोदय, इस विधेयक में बहुत सारी अच्छी बातें की गईं। जैसे चिकित्स की बात है, मैं उसका बहुत समर्थन करती हूं। यह बात मुझे बहुत उचित लगी है। सन् 2000 में जो विधेयक बना, अभी तक जुवेनाइल बोर्ड की स्थापना राज्य में नहीं की गई है, सब जगह जुवेनाइल बोर्ड की स्थापना की जाए। दूसरा, पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की जाए और वे पुनर्वास केन्द्र ऐसे होने चाहिए, जहां बच्चों को घरेलू वातावरण मिल सके। उनके खान-पान की सुविधा का ध्यान रखा जाए। उन्हें उचित वातावरण दिया जाए। उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए, वहां से जब वे निकल कर बाजार में आते हैं, उन्हें अगर परिवार एवं समाज नहीं अपनाता है तो वह शिक्षा उनके जीवन में काम आ सके, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। तीसरा, अभी हमारी माननीय सांसद, श्री गिरिजा व्यास जी ने बोर्ड की स्थापना के लिए कहा है, मैं उससे अपने आपको सम्बद्ध करती हूं। इस तरह के बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

सभापति महोदय: श्रीमती पुतुल कुमारी जी के विषय के साथ श्री धनश्याम जी भी अपने को सम्बद्ध करते हैं।

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): सभापित महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आज किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आपका तहेदिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।

सभापित महोदय, इस बिल में जो धारा संशोधित करने के लिए प्रस्ताव है, धारा 58, उसके अंदर बाल गृह में बिहेवियर चेंज इन चिल्ड्रन का उल्लेख किया गया है। दुर्भाग्य से आज देश के अंदर जो बाल गृह है, उसके आंकलन करने की कही भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, जिससे हम उसके बिहेवियर चेंज का आंकलन कर सकते हैं। दूसरा 58 (2) के अंदर जो बात की गई है, राज्य सरकारों द्वारा पोषित, इसी प्रकार के केन्द्रों में भेजने के लिए, इन बाल गृहों की स्थिति के बारे में मेरे से पूर्वाक्ताओं ने भी काफी बात की है। उनकी संख्या के बारे में भी बहुत बात की है।

सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग अगर इस पीढ़ी को मौका नहीं देंगे तो आने वाले समय में हम लोग जो इस देश का स्वरूप देखना चाहते हैं, वह नहीं होगा। मैं चंद पंक्तियों में यह बात बताना चाहता हूं - "यह नन्हीं कोपलें खिलने से पहले टूट जाएंगी, यह सच है देश के ये भला क्या काम आएंगी।" अगर हम लोग बाल गृह के अंदर अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाए और वहां भेजने के लिए समाज ने जो परिस्थितियां पैदा की हैं, उन परिस्थितियों को नहीं रोक पाएंगे तो हम लोग आने वाले समय के अंदर एक अच्छे देश के अंदर इनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। दुर्माग्य से इस सदन में कई कारणों की चर्चा हुई है, एक कारण यह है कि आज बच्चा शिक्षा की ओर क्यों नहीं जा रहा है। इसकी तरफ भी हमें देखना चाहिए। आज हम दौड़ में हैं, नामांकन बढ़ाने के लिए भाग रहे हैं, परन्तु उस शिक्षा के अंदर आज गुणवंत्ता नहीं है, इस तरफ कोई नहीं देख रहा है। अगर हम लोग उन बच्चों की शिक्षा के अंदर गुणवंत्ता नहीं लाएंगे और उस गुणवंत्ता से उनके खुद के जीवनयापन को नहीं जोड़ेंगे, अगर ऐसे अवसर शिक्षा के माध्यम से उन्हें नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हकीकत यह है कि नीचले स्तर पर आज शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय है। हम सब लोग नामांकन बढ़ाने के लिए दौड़ रहे हैं। इसलिए हम लोगों को इस मूल जड़ की तरफ देखना चाहिए कि कैसे बच्चों स्कूलों में जाएं, कैसे शिक्षा से जुड़ें और अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा से कैसे जुड़ें। आज चंद लाइनें कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं - "अगर अनदेखी यूं होती रही, सच में नई पीढ़ी विषैली दुनिया में ये अपनी बुनिया जी नहीं पाएंगे।" धन्यवाद, जयहिन्द।

सभापति महोदय: श्रीमती पुतुल कुमारी जी के विषय के साथ श्री धनश्याम जी भी अपने को सम्बद्ध करते हैं।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Mr. Chairman, Sir, I thank all the hon. Members – Shri Anurag Singh Thakur, Dr. Girija Vyas, Shri Shailendra Kumar, Shri Gorakhnath Pandey, Shri Kaushalendra Kumar, Shri Thamaraiselvan, Shrimati Susmita Bauri, Shri Mohan Jena, Shri Anant Geete, Dr. Venugopal, Shrimati J. Helen Davidson, Shri P. Lingam, Shri Jagdanand Singh, Shri Virendra Kumar, Shri Lal Singh, Shri Nripendra Nath Roy, Shri Prasanta Kumar Majumdar, Shri Tarun Mandal, Shrimati Anu Tandaon, Shrimati Rama Devi, Shrimati Putul Kumari and Shri Harish Choudhary – who have participated in this very important discussion.

As many as 22 hon. Members have participated in this discussion which has been a very keen one on a subject which is of national importance. They have all expressed their deep concern for the care, protection and welfare of children.

Various issues have been referred to. But I would first like to bring to the notice of the hon. Members that before I try to touch upon some of those issues, I, with your permission, would like to mention that the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 is essentially directed towards two categories of children – the juveniles in conflict with law as well as children in need of care and protection. If we have a cursory reading of the Act, these two categories are clearly described therein. This Act, therefore, lays emphasis, as I said earlier while recommending the discussion on this Bill, on rehabilitation and re-integration of such children into the society through various processes and instructions by adopting a child friendly approach in dealing with matters in the best interest of the children.

Children, as we all are aware, constitute 40 per cent of the population of our country. Over this period, perhaps on many matters on which the children need care and attention, our society has not been sensitized towards them. All the

concerned persons, whether they be the guardians, the individuals or the concerned departments, have perhaps not in the past shown that concern, shown that feeling of empathy for the children. Coupled with the fact, there has not been adequate data available to these agencies that led to a situation where we have not been able to do what we intended to do for the children and what we must do for the children, the most vulnerable sections of our society.

Sir, the required policy and legislative framework being in place particularly when we have a markedly moved with a paradigm shift in governance from a welfare-based approach to a right-based one; and in this case, before I advert to what has been done – because that was a question which was raised –by this Government, I would briefly like to refer, though there should not be any need, to some of the legal provisions in the Act or the Rules which take care of good many of the concerns which have been expressed and given vent to by the hon. Members.

Section 34 of the Act, prescribes setting up of the children's home provides for the standards of care which have to be maintained by any institution, whether it be the juvenile homes or the children's homes or shelter homes. Section 35 prescribes for the inspection thereof. There is a provision in the Rules to constitute State, District or the City level Inspection Committees. Then Boards, about the functioning of which Members speaking today have said that the process has to be quickened as there is a backlog of matters pending before such Boards, despite the fact that we have that outer limit of deciding those matters within a period of four months. The Selection Committee for the purposes of such Boards consists of a retired judge of a High Court as Chairperson besides other eminent citizens.

Without being misunderstood let me say at this stage that the law is a Central law; it was the law intended to cover the categories of children that I have just mentioned but essentially; as the hon. Members have themselves said and others would agree with me, it is for the State Governments to implement the same. The requirement of any action under the entire law is that of the State

Governments. When I say so, I do not for a moment wish to apportion any blame on anyone on this matter. Rather I would like to emphasise that we all together have to work, understanding our responsibilities towards the children whom we consider to be the future of our country.

There have been repeated references to the need to take care of the health of the children who are covered by the provisions of this law.

It is, in this respect, that I would like to mention that there is rule 45 which, in detail, prescribes for the medical care of the children covered by this Act. I would like to refer to only two of them.

There can be and is required to be a tie up with the local PHCs, Government hospitals, medical colleges and other hospitals. There is also a provision for the setting up of a system for referral of cases to report deteriorating health or serious cases, to the nearest hospital, etc.

Rightly, there was a reference to the children suffering from AIDS. I would like say that it was precisely keeping all this in mind that the present amendments were introduced. Section 48, sub-section 2, to which I referred in the morning, has been deleted precisely for this purpose. Wherever we felt that the words or the terms that have so far been used, referring to certain diseases or mental orientation of the children which could lead to a stigma and do lead to a stigma in society, have been removed by amending Section 58.

I must admit, that the Act – and share with you all – does not cover all the children; and it cannot possibly cover all the children. This is a much wider question which stares at our face and at the society today that when we talk of building a bright future for our country, when we talk of demographic dividend, in the years to come, what is the state of the childhood of our children? For that, there have been many valid suggestions by various hon. Members, emphasising upon the need of convergence between the policies and between the schemes of various Ministries, whether those be relating to health, education or sports, etc. including particularly the Ministry of Social Justice and Empowerment. I can

assure the hon. Members that the suggestions which refer to various other Ministries, I would certainly convey them to the concerned Ministries.

I would then like to come to the most important initiative. I agree entirely with all the hon. Members and more particularly Shri Anurag Thakur and Dr. Girija Vyas who made passionate speeches today showing their anguish and deep concern for the children that the Ministry of Social Justice and Empowerment has, in the year 2009-10 tried to create an umbrella scheme, bringing therein the earlier schemes like the Programme for Juvenile Justice, the Scheme for Integrated Programme, that is, the Integrated Programme for Street Children and the Scheme for Assistance to *Shishu* Grehas, to promote in-country adoption. Instead of that, an Integrated Child Protection Scheme has been launched; in that, for the current year, there has been an allocation of Rs.270 crore by the Government of India.

There is no specific data available, as such about the children who are covered by the provisions of the Act – maybe, many of them remain uncovered thereby, in the absence of the transmission of adequate data thereon by the different States. No Centralized data is presently available as I mentioned a little while earlier, but one can hasten to say that perhaps there are 76,000 children presently being assisted by the scheme of the Government of India.

17.00 hrs.

This is a rough figure, in thousands, which I have given. These children have been assisted by the Government of India through 1,199 homes. This Scheme provides for institutional care. To do so financial assistance is being provided to various agencies of the State Governments. For a new home for 50 children, construction grant of Rs.52 lakh is provided under this Integrated Child Protection Scheme. Besides this, a recurring grant of Rs.20 lakh per annum is provided which includes the salaries of 14 members of the staff.

A question was raised as to how to take care of the children who leave these institutes after attaining the age of 18 years. I would like to say that under

this Scheme after-care services are provided even for the children who leave these places after attaining the age of 18 years.

As far as the non-institutional care is concerned, under this scheme there are mechanisms such as adoption, foster care, sponsorship and also open shelters in urban and semi-urban areas, etc. for care and rehabilitation of these children. We are confident that these will emerge to play a major and a very significant role in the care and protection of children with little or no family care. Sir, 143 specialised adoption agencies and 104 open shelters are already functioning under this Scheme.

There is one very important aspect which is to provide an outreach emergency service and for that under this Scheme a Child Line 1098, a dedicated telephone outreach helpline for children has been established. Presently, 164 cities and districts across the country are covered and the plan would be that the entire country be covered so that any child in distress, any child who needs the help of the agencies could be taken care of.

Almost all the hon. Members while participating in today's discussion talked of the large number of missing children. They have said that the children are just reported to have been missing from their places and perhaps no record is there. I admit; perhaps, we do not really have such a sound system whereby a centralised data of every child who is missing from anywhere in the entire country is maintained. Nevertheless, under this Integrated Child Protection Scheme, there is a provision to set up the child tracking system.

श्री शैलेन्द्र कुमार: तमाम सर्वे करने वाली एजैंसियों ने आंकड़े दिए हैं।

श्री पवन कुमार बंसल: मैं उसी बात पर कहना चाहता हूं और आखिर में उसी बात पर अपनी बात भी समाप्त करना चाहूंगा। आप सबने जो कुछ कहा, मैं शायद उतना विस्तारपूर्वक जिक्र नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं, मैंने शुरू में कहा था और आप उस बात को बहुत जोर के साथ कहेंगे अगर केन्द्र की तरफ से कोई ऐसा कानून बने which seems to be impinging upon the federal system as such. वहां आप कहेंगे और मैं भी कहूंगा कि जो अधिकार प्रान्तों के हैं, वे प्रान्तों के पास

रहने चाहिए। हां, अगर कहीं, किसी जगह केन्द्र सरकार की जरूरत चाहिए, केन्द्र सरकार उसी बात के लिए, जैसे मैंने इस प्रोग्राम का जिक्र किया, वह इसके लिए आगे बढ़कर आई है। व्यवस्था है बच्चों की पढ़ाई का जो जिक्र किया गया था कि चिन्ड्रन होम्स में उनकी पढ़ाई हो।

इसके साथ-साथ स्किल डेवलपमैंट के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग का इंतजाम किया जाये। इसी संदर्भ में नैशनल वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत जो व्यवस्था है, हम चाहेंगे कि वह उन पर भी लागू हो।

आपने शिक्षा का जिक्र था। यह बहुत विशाल विषय है, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। इस समय यहां एचआरडी मंत्री उपस्थित हैं। उस चीज पर कितने कानून आ चुके हैं, लेकिन जो शिक्षा के अधिकार का कानून है, उसमें छः साल से लेकर चौदह साल तक्कि बच्चों के लिए प्रावधान है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में, जैसे एक बार इन्होंने कहा था कि उसमें प्री स्कूल एजुकेशन के लिए भी प्रावधान किया जायेगा। मैं फिर वही बात कहना चाहता हूं कि यह बिल काफी सीमित है। ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार: इसलिए कहा गया था कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाइये। होम मिनिस्टर, मानव संसाधन मंत्री और लेबर मिनिस्टर आदि का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनायें। । ...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : मैंने एक चीज पहले कही थी कि जो-जो विचार आये हैं, वे अलग-अलग जगह भेजे जायेंगे। यहां जीओएम का जिक्र नहीं किया जा सकता। ...(व्यवधान) मैंने कहा था कि एक कन्वर्जन की उसके लिए जरूरत है। ...(व्यवधान) हम सभी को ...(व्यवधान)

श्रीमती मीना सिंह (आरा): बिहार को जो पैसा दिया जाता है, उससे बिहार का क्या होगा? ...(व्यवधान) श्री पवन कुमार बंसल: मैं बिहार सरकार से पता करके ...(व्यवधान) माननीय सदस्या, मैं आपको कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार से उस बारे में ज्यादा जानकारी लेकर आपको भेज सकूंगा। ...(व्यवधान) जैसे मैंने कहा था कि इस स्कीम के तहत हमारा विश्वास है कि ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

श्री पवन कुमार बंसल: सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से वही बात दोहराना चाहता हूं कि अलग-अलग प्रांतों के जो विषय हैं, वे प्रांतों की सरकार के अधीन आते हैं। केन्द्र सरकार की जो स्कीम है, कानून के जिस्ये एक मसौदा तैयार किया गया था, उसके बाद रूल्स के जिस्ये किया गया था कि इस ढंग से करना है। एक बात का जिक्र हुआ था कि अगर कोई किसी तरीके का उल्लंघन करता है, अगर कोई उन चीजों का ध्यान नहीं करता है या जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं निभाता, उसके लिए कुछ हो। माननीय

^{*} Not recorded.

गिरिजा व्यास जी ने वह बात बहुत बल के साथ उठायी थी, उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। मैं तीन-चार प्रावधानों का बहुत जल्दी से जिक्र करना चाहूंगा कि इसमें धारा 23 है, जो कहती है — Punishment for cruelty to juvenile child. उसके लिए कोई भी जिम्मेदार हो, उन सभी का जिक्र है। मैं इसे पूरा नहीं पढूंगा। उसे छः महीने की सजा और जुर्माना किया जा सकता है। ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार: यह नियम तो सही है, लेकिन व्यवस्था गड़बड़ है। ...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: वे 24, 25, 26 और 27 धाराएं हैं। इनके जरिये अलग-अलग बात, जैसे बैगिंग, इनटॉक्सीकेटेड लिकर और नारकोटिक ड्रग्स और साइक्रोट्रोपिक सब्सटैंस देने के लिए या बच्चे का शोषण करने के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं। शायद उन पर हमारा पहले ध्यान नहीं गया था। वे इसमें हैं।

मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि आपने इसमें जो विचार दिये हैं, वे सचमुच बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण हैं। पूरे समाज की एक जिम्मेदारी है। आज एक इतनी अच्छी चर्चा के जिरये हमने उन बातों पर जोर देकर उनको हम एक फोकस में लेकर आये हैं। हम सभी को मिलकर बेशक केन्द्र सरकार हो या प्रांतीय सरकारें हों, बेशक समाज का कहीं हो, उसके बिना जैसे फैमिलिय (familial) इश्यू वगैरह का जिक्र किया गया था, बहुत बच्चे पारिवारिक, माहौल जिस हिसाब से बिगड़ रहे हैं, वहां की कुछ समस्याओं के कारण भी बच्चों पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है, उन सभी बातों के लिए, जिनको हम अपना भविष्य कहते हैं, अच्छा भविष्य हम कैसे बनाये, हम सभी को मिलकर काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि यह बिल पास किया जाए।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to amend the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill." *The motion was adopted.*

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

17.11 hrs

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION (AMENDMENT) BILL, 2011

MR. CHAIRMAN: Now, we will take up Item No.19A.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI KAPIL SIBAL): I beg to move:

"That the Bill to amend the National Council for Teacher Education Act, 1993, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The National Council for Teacher Education Act, 1993, came into force sometimes in July 1995 and the intent of the Act was to ensure that the teachers who teach our young children, acquire qualification so that quality education can be imparted to our children.

Sir, I just want to refer to some provisions of this Act. Section 2, subsection (1) defines teacher education under this Act. It says:

"Teacher education means programmes of education, research or training of persons for equipping them to teach at pre-primary, secondary and senior secondary stages in schools and includes non-formal education, part-time education, adult education and correspondence education."

So, it is clear from the definition of education that this applies to preprimary, primary, secondary and senior secondary stages at schools.

Then, I would like to invite the attention of this hon. House to Section 12, sub-section (c) which says:

"It is the duty of the Council to coordinate and monitor teacher education and its development in the country."

Sub-section (d) says:

"lay down guidelines in respect of minimum qualifications for a person to be employed as a teacher in schools or in recognized institutions."

Then, sub-section (m) says:

"take all necessary steps to prevent commercialization of teacher education."

जब इस एक्ट में सभी प्रावधान थे कि यह स्कूल्स पर लागू हो और अध्यापकों की क्या मिनिमम क्वालीफिकेशन्स होनी चाहिए, इसके द्वारा तय की जाएंगी, इस बीच सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय 12 फरवरी, 2008 को आ गया। इस निर्णय में यह कहा गया कि यह एक्ट केवल टेक्नीकल इंस्टीट्यूशन्स पर लागू होगा, यह स्कूल्स पर लागू नहीं है। इसलिए एक्ट के द्वारा जो मिनिमम क्वालीफिकेशन्स, जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाई हैं, जो स्कूल्स पर लागू हो सकती हैं, वे लागू नहीं होंगी। वर्ष 1993 का यह एक्ट 1995 से चल रहा है, सभी राज्यों ने इसको अपनाया है और और वर्ष 2008 में सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट आ गया।

उसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि वहां भारत सरकार रिस्पाँडेंट थी ही नहीं।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): क्या आपने बहस की थी?

श्री कपिल सिब्बल: जी नहीं, रिस्पाँडेंट सरकार थी ही नहीं, केन्द्र सरकार को नोटिस ही नहीं दिया गया और फैसला हो गया।

श्री निशि**ं** दुबे (गोड्डा): फिर रिस्पाँडेंट कौन थे?

श्री कपिल सिब्बल: मैं बताता हूं। रिस्पाँडेंट था इसमें, बेसिक एजुकेशन बोर्ड, उत्तर प्रदेश बनाम उपेन्द्र राय।

श्री निशिकांत दुबे: जज कौन था?

श्री कपिल सिब्बल: यह कहना ठीक नहीं होगा कि कौन जज था।

MR.CHAIRMAN: It is not necessary to bring in the name of the Judge here.

श्री किपल सिब्बल: जज हमारा आदर करें या न करें, हम फिर भी उनका आदर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ 22 में यह कहा, मैं कोट करता हू:-

"It may be mentioned that the word institution is defined in Section 2(e) of the Act to mean an institution which offers training in teachers' education. Thus NCT Act does not deal with ordinary educational institutions like primary schools."

मैंने तो आपको पढ़कर बता दिया। It deals with primary schools, upper primary schools, all other schools. तो हमने सोचा कि एक संशोधन लाया जाए कि यह चर्चा दोबारा कोर्ट्स में कभी न जाए और बात क्लियर हो जाए। इसी वजह से हम यह संशोधन आपके सामने लाए हैं। So, what we have done and I want to inform the distinguished Members through you. हमने सेक्शन वन में सब क्लाज़ चार का एडिशन कर दिया है। उसमें कहा है,

"Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act shall apply to institutions, students and teachers of the institutions, schools imparting pre-primary, primary, upper primary, secondary or senior secondary education and colleges providing senior secondary or intermediate education irrespective of the fact by whatever names they may be called and teachers for schools and colleges referred to in sub-clause.(c)"

ताकि आने वाले दिनों में कोई भी न्यायाधीश को यह सोचना न पड़े कि क्या यह स्कूल्स पर लागू है या नहीं या बाकी संस्थाओं पर लागू है या नहीं। इसलिए अब यह बात हमने क्लियर कर दी है। साथ-साथ सेक्शन टू में, क्योंकि कई म्यूनिसिपल कार्पोरेशन के भी स्कूल्स हैं। कल कोई न्यायाधीश या न्यायालय कह सकता है कि चलिए अपर प्राइमरी स्कूल्स और स्कूल्स तो हैं ही, लेकिन म्यूनिसिपल स्कूल्स पर लागू नहीं है। कल यह भी हो सकता है इसलिए हमने वह भी क्लियर कर दिया है। इसमें लोकल अथोरिटीज को भी डिफाइन कर दिया है।

By putting section 2(e)(a).

"Local authority means Municipal Corporation, Municipal Committee, Municipal Council, Zila Parishad, District Board and other Panchayats."

जो भी स्कूल्स ये संस्थाएं चलाती हैं, सब न्यूनतम योग्यताएं होंगी, वे एनसीटी द्वारा तय की जाएंगी। स्कूल को भी हमने डिफाइन कर दिया।

"School means any recognized school imparting pre-primary, primary, upper primary, secondary or senior secondary education or a college imparting senior secondary education and includes a school established and owned and controlled by the Central Government or the State Government or a local authority, a school receiving aid or grants to meet whole or part of its expenses from the Central Government or the State Government or a local authority or a school not receiving any aid or grant to meet whole or part of its expenses

from the Central Government, the State Government or a local authority."

The idea being we have covered every possible school run by any institution in this country, may it be a local authority, unaided school, aided school or partially aided school. So, we have clarified that. साथ-साथ हमने सेक्शन 12-ए का एडिशन करके यह कह दिया है.

"For the purposes of maintaining standard of education in schools, the Council may by regulation determine the qualification of persons for being recruited as teachers in any pre-primary, primary, upper primary, secondary, senior secondary or intermediate school or college by whatever name called established, run, aided or recognized by the Central Government or a State Government or a local or other authority."

तो हमने यह सब स्पष्ट कर दिया है, लेकिन एक बात हमारे सामने यह भी हो सकती है कि किसी अध्यापक की नियुक्ति हुई हो, एनसीटी, राज्य के द्वारा वह पढ़ा रहा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह बाहर हो जाए। उसके लिए हमने प्रोवाइजो लगा दिया कि जिन अध्यापकों की ऐसी नियुक्ति हुई है, उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाएगा, ताकि उनकी भी नौकरी सेफ है।

लगभग ये बातें हमने इस संशोधन में रखी है कि किस बिल पर बहस हो रही है? I commend these amendments to this hon. House. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill to amend the National Council for Teacher Education Act, 1993, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."



श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): सभापति महोदय, मैं अपनी सीट पर नहीं बैठा हूं, इसलिए मुझे यहां से बोलने की इजाजत दी जाए।

MR. CHAIRMAN: All right.

श्री वीरेन्द्र कश्यप: माननीय सभापित जी, जो यह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् संशोधन विधेयक, 2010, जो अभी माननीय मंत्री महोदय ने कुछ संशोधन लेकर यहां पेश किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि कई वर्षों से यह बिल एक्ट बना हुआ है और यह सारे देश और प्रदेशों में इम्प्लीमेंट हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यापक परिषद् अधिनियम, 1993 की जो देश में स्थापना हुई, वह अध्यापक की शिक्षा प्रणाली को योजनाबद्ध और समन्वित तरीके से, उनके विकास के लिए, उक्त प्रणाली में मापदंडों और स्तरों के विनियमन और रखरखाव करने की दृष्टि से हुई थी। यह कार्य इतने वर्षों तक चलता रहा और जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा कि 1995 से यह कार्य ठीक प्रकार से चल रहा था परन्तु यूपी का जो एजुकेशन बोर्ड है उसका 2008 में केस लगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रुलिंग और कुछ डिसीजन दे दिया, तब हम लोगों ने समझा कि इस एक्ट में कुछ किमयां हैं। उन किमयों को दूर करने के लिए आप यह अमेंडमेंट यहां आज लाए हैं। बड़ी अच्छी बात है और मुझे इस बात की खुशी है कि यह राज्य सभा में पारित भी हो गया है। यह 16 अप्रैल 2010 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था और 25 अगस्त 2011 में राज्य सभा ने पारित करके आज हमारे पास भेजा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज इस बात की जरुरत है कि हमारा जो भविष्य है यानी हमारे बच्चे हैं।...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार: सर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यह बिल जिस पर बहस हो रही है, इसकी प्रति किसी भी सदस्य को नहीं मिली है। यहां पर तमाम मैम्बर्स बैठे हुए हैं। कंप्यूजन पैदा हो रहा है।

MR. CHAIRMAN: It has been already circulated. I think you will receive it.

श्री वीरेन्द्र कश्यप: सभापित महोदय, आज के पिएप्रिक्ष्य में इस अमेंडमेंट को लाना बिल्कुल सामियक है और हाउस में इस पर डिस्कशन के बाद हम लोग इसे पारित करने के लिए यहां बैठे हैं और माननीय मंत्री महोदय का भी यही आशय है कि हम इसे पारित कर दें। इसमें दो सैक्शन्स हैं उनमें यह अमेंडमेंट्स लाए गये हैं। यह बात ठीक है कि हम उस सदी में हैं जब साइंस और टैक्नोलॉजी एडवांस हो गये हैं। एक जमाना था जब गुरूओं का जमाना था लेकिन आज टीचर कैसा होना चाहिए, इस बात की जरूरत है और उसके लिए पाठ्यक्रम कैसा हो, इस बात की भी जरूरत है। परन्तु में समझता हूं कि इसमें जो हमारा एनसीटी एक्ट है उसमें स्कूल की परिभाषा भी नहीं थी, मैं समझता हूं कि उस वजह से जो हमारी

एचआरडी की स्टेंडिंग कमेटी है, उसने भी कहा कि इसमें परिभाषा डालनी चाहिए। उस कमेटी ने कहा कि :-

"The Committee observes that nowhere in the Act the term 'school' has been defined. The Committee takes note of the opinion of the Legislative Department that the term 'school' will be construed in the generic sense. The Committee, however, is of the view that in the light of different categories of school – Government, aided, unaided, minority – there needs to be a specific definition of the term 'school' in the Act. The Committee accordingly recommends this."

आपने कह दिया कि आपने सारी इंस्टीट्यूशन को डिफाइन कर दिया है। हिंदुस्तान में स्कूल कई किरम के हैं। आज हम कई किरम की शिक्षा दे रहे हैं। गरीब लोगों को अलग और अमीर लोगों को अलग किरम की शिक्षा दी जा रही है। शहर के लोगों को अलग और गांव के लोगों को अलग शिक्षा दी जा रही है। यह बात ठीक है कि जब हमारा संविधान बना, उसमें कुछ डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स लिए और हमने कहा कि छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कम्प्लसरी एजुकेशन होनी चाहिए। हम आजार्द इतने वर्षों बाद वर्ष 2009 में वह बिल लाए। आपके माध्यम से वह बिल पेश हुआ, पारित हुआ और इम्प्लीमेंट हुआ। हमें यह बिल लाने में 60 साल का समय लग गया। शिक्षा के लिए हमारे देश में कमेटियां बनीं, कमीशन बनें। बेसिक बात यह थी कि हम सभी को शिक्षा देना चाहते थे। हिंदुस्तान में गरीबी बहुत ज्यादा है। हम उन बच्चों को भी शिक्षा देना चाहते हैं, जिनके पास दो समय का खाना भी नहीं है। मैं स्वयं टीचर रहा हं। मुझे याद है, जब हम प्रार्थना सभा में जाते थे तो कई बच्चे चक्कर खा कर गिर जाते थे। उनसे पूछने पर पता चलता था कि उन्होंने कल शाम से खाना नहीं खाया है। मैं अपने एचआरडी मिनिस्टर को कहना चाहता हूं कि आरटीई एक्ट लाए हैं, हमने उनका स्वागत किया है। यह अच्छी बात है कि हम फ्री और कम्प्लसरी एजुकेशन अपने बच्चों को दे रहे हैं। मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं, जिनकी आवश्यकता है। आपने कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि टीचर की क्या बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसकी जरूरत इसलिए है, क्योंकि आज टीचर अन-क्वालिफाइड है। उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं है। मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं। असम में 61 प्रतिशत नियुक्त अध्यापक अनट्रेंड हैं। अरूणाचल प्रदेश में 75 प्रतिशत, नागालैंड में 71 प्रतिशत, मेघालय में 70 प्रतिशत, बिहार में 49 प्रतिशत और त्रिपुरा में 57 प्रतिशत, झारखंड में 45 प्रतिशत और जम्मू-कश्मीर में भी 45 प्रतिशत है और दूसरे राज्यों में भी कुछ हद तक ऐसा ही है। इसका कारण क्या हो सकता है कि एजुकेशन देने वाले टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। इसका बेसिक कारण यह है कि हम टीचर्स को हम सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, उन्हें सही ढंग से ट्रीट नहीं कर रहे हैं।

आज हमने एक नया सिस्टम पैदा कर लिया है और कंट्रेक्ट पर काम कराते हैं। आज टीचर हम टीचर्स को कंट्रेक्ट बेसिस पर रख रहे हैं। इस सिस्टम के बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि क्या यह सिस्टम सही है या नहीं। आज लो पेड टीचर्स रख रहे हैं। उनकी मजबूरी है, वे क्या पढ़ाएंगे? जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहा है, वह बीस-पच्चीस हजार रुपया रेग्यूलर टीचर ले रहा है। हम टीचर की जो परिभाषा दे रहे हैं कि विद्यार्थी मित्र टीचर हो, लेकिन उन्हें सुविधाएं नहीं देंगे, तो कैसे वे देश का भविष्य बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। अगर हम अपना स्टैंडर्ड लो करेंगे और इस ज़माने में जबिक कम्पीटिशन का समय है और बच्चे चाहते हैं कि हमारे मार्क्स 90, 95, 98 प्रतिशत आएं। बच्चे आज 100 प्रतिशत मार्क्स लेना चाहते हैं, लेकिन वे पूरे मार्क्स कैसे लें?

परंतु लेंगे कैसे? When we have no qualified teachers, then, it means that we have no trained teachers. It requires that the basic qualification for teachers should be there. इस तरह से ये सारी बातें हैं और हम देख रहे हैं कि जो सारे देश में लगभग 7.72 लाख अध्यापक हैं, ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: can continue afterwards. Now, we are taking up the Half-an-Hour Discussion. We will continue it tomorrow.

... (Interruptions)

17.31 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION Demand and supply of power

MR. CHAIRMAN: Now, we are taking up Half-an-Hour Discussion. Shri Jagdanand Singh.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Order, please. Now, Half-an-Hour Discussion to start. Shri Jagdanand Singh, you mention it very briefly. This is Half-an-Hour Discussion. We have to complete it at Six of the Clock in the evening. Therefore, I would request the hon. Members to cooperate. You can ask it precisely. The hon. Minister has to reply.

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सभापित जी, सदन में एक प्रश्न उठा था कि राष्ट्रीय पैमाने पर बिजली की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर है। इस मांग और आपूर्ति के अंतर में जहां तक बिहार का सवाल है वह राष्ट्रीय पैमाने से बहुत अधिक है और माननीय सदस्यों ने इच्छा व्यक्त की थी जिसके अनुसार हम सब को इस बात को रखने की सदन में अनुमित मिली है। मैं देश की सरकार और वर्तमान ऊर्जा मंत्री जी की तारीफ करना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने अपने समय में काफी प्रयास किया है। इस राष्ट्र का सिनेरियो आज यह है कि जहां 1947 में 1362 मेगावॉट बिजली पैदा होती थी, वहीं इस समय वर्ष 2011 में 1,56000 मेगावॉट बिजली पैदा होती है लेकिन 1,56000 मेगावॉट बिजली का उत्पादन हमारी मांग के अनुसार नहीं है क्योंकि इस आधार पर इस देश के सामान्य नागरिकों की बिजली की खपत प्रति व्यक्ति केवल 778 यूनिट है जो कि दुनिया में मुझे लगता है कि भारत का प्रति व्यक्ति खपत सबसे कम है और हमारे विशेषज्ञों ने कहा है कि संसाधन की जो भी कमी हो, आज भारत जहां खड़ा है और जहां इसकी आवश्यकता है, 4.5 लाख मेगावॉट बिजली से कम इस राष्ट्र को आज नहीं चाहिए। यह जो हमारी मांग है, वह आपूर्ति के आधार पर है, मांग के आधार पर आपूर्ति नहीं हो रही है।

बिजली तकनीकी रूप से विकसित समाज की अनिवार्य जरूरत है और प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में पारस्परिक संबंध है। भारत दुनिया में सबसे कम प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वाला देश है और इसी आधार पर दुनिया में आज भारत एक महाशक्ति नहीं बन पा रहा है। आज के दिन 2003 के एनर्जी एक्ट के आधार पर पॉवर रिफार्म्स भारतीय अर्थ व्यवस्था की मुख्य समस्या है। मैं इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि हमारे बिजली मंत्री जी ट्रांसिमशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कॉमर्शियल लॉसेज को

मिलाकर जो कभी 36 फीसदी हुआ करता था, वहां आज केवल 27 फीसदी पर ये लेकर आए हैं. यह तारीफ की बात है। लेकिन वहां पर यदि हम 27 प्रतिशत बिजली के लॉसेज को मानें जो दुनिया में सामान्य माना जाता है तो इसे 15 प्रतिशत से कम होना चाहिए। अर्थात जो बिलिंग हो रही है,उसमें से 27 प्रतिशत लॉसिस हो रहे हैं लेकिन रेवेन्यू रिटर्न नहीं हो पा रहा है। जहां तक पूरे देश के सीनेरियो की बात है, 1,56,000 मेगावाट से केवल 45 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में बिजली दे पा रहे हैं। आज भी देश में 55 प्रतिशत घर अंधेरे में डूबे हुए हैं जो प्रायः गरीबों के घर हैं। आप प्रयास कर रहे हैं, आपने रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन का प्रयास किया है। निश्चित रूप से डिमांड और सप्लाई की जो बात है, मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि क्या यह उचित है कि आपूर्ति मानता हूं कि क्या यह उचित है कि आपूर्ति नाम आधारित जो भी खपत हो रही है, उसे डिमांड स्वीकार कर लिया। 2008-09 के मुताबिक ऊर्जा का डेफिसिट 11.1 परसेंट था, आप उसे घटाकर 2009-10 में 10 प्रतिशत के आसपास लाए। 2010-11 में 8.5 प्रतिशत और इस वर्ष 6.6 प्रतिशत पर लाए। विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 62,000 मेगावाट था और अचीवमेंट 40,000 मेगावाट है, जो 10वीं योजना से 180 प्रतिशत अधिक है। मैं इसके लिए तारीफ करना चाहूंगा। लेकिन जब हम बिहार की बात कहते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा का 6.6 परसेंट डेफिसिट है वहीं व्यस्त समय में 9.2 परसेंट है। बिहार में ऊर्जा की कमी है, मांग और आपूर्ति में अंतर 21 फीसदी है। अर्थात साढ़े तीन गुना से अधिक राष्ट्रीय औसत है और व्यस्त समय में अंतर 30 प्रतिशत है। यही सवाल उस दिन किया गया था जिसका उत्तर शायद बिहार के साथी और अन्य लोग बात ग्रहण नहीं कर पाए कि बिहार में अंतर 6.6 परसेंट की जगह 21 परसेंट हो, 9.2 की जगह 30 प्रतिशत यानी तीन गुना डेफिसिट हो तो भारत सरकार की इस बारे में क्या राय बनती है? जहां तक राष्ट्रीय स्तर पर 2012 तक 1000 यूनिट प्रति व्यक्ति खपत का कार्यक्रम है अर्थात एक साल बाद 1000 यूनिट प्रति व्यक्ति टार्गेट है। अब इन लक्ष्यों में बिहार की स्थिति तलाशते हैं तो हमें परेशानी होती है, इस परेशानी की चर्चा हम सब आपके सामने करना चाहते हैं। आपकी उपलब्धियों में बिहार की स्थिति क्या है? इन उपलब्धियों में बिहार को शामिल होना है या नहीं? राष्ट्रीय पैमाने पर बिहार का संकट ध्यान में रहेगा या नहीं?

मैं बिहार की रूलिंग पार्टी का सदस्य नहीं हूं लेकिन भारत का नागरिक हूं, बिहार में रहता हूं। दिल्ली में रहने में बिजली की खूबी और गांव में जाने पर बिजली की परेशानी सब झेलते हैं। यह पोलिटिकल मामला नहीं है। यह राष्ट्र की समृद्धि का विषय है और इसमें हिस्सेदारी भी है। आप समझ सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति है? इसका अपना उत्पादन 500 मेगावाट से भी कम है। 1800 मेगावाट सेंटर एलोकेशन्स हैं लेकिन 1000 मेगावाट से 1500 मेगावाट तक उपलब्ध होता है और इसके आधार पर

प्रति व्यक्ति खपत 122 यूनिट है। आप महसूस करेंगे कि शायद इस आधार पर बिहार के गांवों में झोपड़ियों में रहने वालों को बिजली नहीं मिलती होगी।

MR. CHAIRMAN: Kindly put your question.

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): आप कृपया इसे एक सवाल मत मानिए, हम ऊर्जा मंत्री जी के सामने भारत के सबसे बड़े समस्याग्रस्त इलाके की बात तर्क के आधार पर कह रहे हैं। मैं फालतू समय नहीं लूंगा। यह ठीक है कि बिहार में लॉस काफी है लेकिन आप कल्पना नहीं करेंगे, आप बताएं कि क्या पिछले तीन-चार वर्षों में 27 लाख बीपीएल परिवार के लोगों को बिजली देने का काम किया है? लेकिन जो आपका लक्ष्य था, वह आप दे नहीं पाये, आपने केवल 17लाख परिवार के लोगों को बिजली दी। लेकिन 21 हजार गांवों को आपने बिजली दी। लेकिन आज बिजली की कमी का क्या नतीजा है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री से कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा जिन गांवों को बिजली दी गई है, उन गांवों में से एक भी गांव में एक बल्ब भी नहीं जल रहा है। बिजली की कमी के कारण जो आपकी इलैक्ट्रिफिकेशन की पालिसी थी, जो आपका इंस्टीट्यूशन था, यह उसकी गलतियों का परिण्या है कि जो छोटे-छोटे 21 हजार ट्रांसफार्मर्स लगे थे, उनमें शत-प्रतिशत ट्रांसफार्मर्स जल गये हैं, वहां एक भी ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहा है। इसका कारण क्या है? हमारे 21 हजार गांवों के 27 लाख परिवारों में से 17 लाख परिवारों को आपने बिजली दी, यदि वहां सारे घरों में बिजली जलती रहती तो नतीजा यह होता कि आज हमारी मांग दोगुनी हो जाती। इसलिए मैंने बिहार की मांग के बारे मे कहा कि जो आपने रखा है, वह मांग नहीं है, आपूर्ति के आधार पर हमारी संकुचित खपत का आपके सामने नतीजा है।

सभापित महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय औसत जहां 778 है और कुछ ऐसे भी राज्य हैं, जहां 1655 यूनिट्स बिजली प्रति व्यक्ति की खपत है। वहीं हमारी खपत 122 यूनिट है। झारखंड राज्य जो हमसे अलग हुआ, वहां प्रति व्यक्ति 800 यूनिट की खपत है और बिहार केवल 14 प्रतिशत पर खड़ा है। हम राष्ट्रीय औसत के 15 प्रतिशत पर खड़े हैं। हमारे पूर्वी क्षेत्र में जो खपत है, उसमें केवल 25 प्रतिशत पर हम खड़े हैं। मैं मूल बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्वी क्षेत्र में बिजली की कमी नहीं है। बिहार पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा है और वही मेरा मुख्य सवाल था। हमारे देश में जो बिजली है, उसका 28 प्रतिशत यानी 42995 मेगावाट उत्तरी क्षेत्र में लगा है। पश्चिमी क्षेत्र में देश का 31 प्रतिशत यानी 48148 मेगावाट बिजली लगी है। दक्षिणी क्षेत्र में देश की पूरी बिजली का 25 प्रतिशत यानी 39 हजार मेगावाट बिजली लगी है और पूर्वी क्षेत्र में केवल 26 हजार मेगावाट

बिजली लगी है। अर्थात पूरे देश में लगी बिजली का 17 प्रतिशत हमारे यहां है। लेकिन 17 फीसदी पर हमारा आपसे विवाद नहीं है। हमारा विवाद कहां हैं।

MR. CHAIRMAN: We have to complete this discussion within half-an-hour and the Minister also has to reply. So, please wind up now.

श्री जगदानंद सिंह: महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो मूल चीज है, माननीय मंत्री जी उसे दिमाग में रखें। जब पूरे भारत की 17 फीसदी बिजली केवल हमारे पूर्वी क्षेत्र में लगी है, तब वहां से 25 प्रतिशत बिजली यानी 30 हजार मिलियन यूनिट्स उत्तर, दक्षिण और पश्चिम के क्षेत्रों में क्यों जा रही हैं? इसी 30 हजार मिलियन यूनिट्स पर हमारा आपसे सवाल है। हमारी बिजली सबसे कम है और उस बिजली में से 25 फीसदी हमारे क्षेत्र से बाहर जा रही है और बिहार को 12 हजार मिलियन यूनिट्स की जगह केवल 10 हजार मिलियन यूनिट्स मिल रहे हैं। यह आपके गणित के हिसाब से है। आज की वर्तमान स्थिति में यदि 1800 मिलियन यूनिट्स अतिरिक्त बिहार को बिजली मिलती तो शायद उससे भी बिहार का कुछ काम चल जाता, हमारे यहां भी खेती हो जाती। आपने जिन घरों में बिजली लगाई है, उन घरों में रोशनी हो जाती। 30 हजार मिलियन यूनिटस में से कटौती करके आप केवल दो हजार मिलियन यूनिटस बिहार को दे दीजिए। हम बड़ी बातों पर नहीं जा रहे हैं कि कोयले की कमी के कारण थर्मल पावर स्टेशंस नहीं लग रहे हैं या हमें पनबिजली घरों के लिए स्वीकृति नहीं मिल रही है। केवल 30 हजार मिलियन यूनिट्स बिजली, जो पूर्वी क्षेत्र से बाहर के राज्यों में जा रही है, उसमें केवल दो हजार मिलियन यूनिटस यदि काटकर बिहार को इस सिद्धांत के आधार पर दे दें कि बिहार देश में न्यूनतम खपत वाला राज्य है। निश्चित रूप से कटौती के आपके बैकग्राउंड्स होते हैं, यूनिट्स की शट डाउन्स होती हैं। कोयले की आपूर्ति से बिजली घर बंद होते हैं। हम कहना चाहते हैं कि आपने हमें जो 1700-1800 मेगावाट का एलोकेशन किया है, हमारी आपसे सिम्पल मांग है कि कृपा करके आप उसमें से कटौती मत किया कीजिए। मात्र इसलिए कि इस मुल्क का सबसे कम प्रति व्यक्ति खपत वाला राज्य बिहार है। आपसे एक अपेक्षा कर सकता है, मुझे क्षमा करेंगे कि आज के दिन 116 यूनिट आप पूरे देश में लगा रहे हैं, लेकिन बिहार में एक भी बिजली घर नहीं लगने जा रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 40 हजार मेगावाट के लिए बिजलीघर बने हैं, उसमें से केवल 500 मेगावाट का बिजली घर बिहार में लगा है। मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि कृपा कर के ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing more will go on record.

(Interruptions) ...*

MR. CHAIRMAN: Mr. Hussain, you may put only question and do not take much time of the House. You know the rules and regulations of Half-an-Hour Discussion. The initiator takes ten minutes and the other hon. Members put only questions. We have to finish it by 6 o'clock and the hon. Minister has to reply also. So, please put question only.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): सभापित जी, जब दिनांक 05.08.2011 को यहां प्रश्न पूछा गया था, जिस पर कहा गया था कि बिहार के अंदर, बिहार के सांसदों में बहुत असंतोष था विद्युत की कमी पूरे देश के अंदर है ... (व्यवधान) और पूरे दस करोड़ पैंतीस लाख लोग बिहार में रहते हैं, वे भी भारतवासी हैं। सबसे ज्यादा अंधेरा बिहार के अंदर है। जब बिहार विभाजित नहीं था तब पूरे देश को बिजली देने का काम बिहार ने किया था। विभाजन होने के बाद बहुत कम बिजली हमारे पास बची है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार तरक्की कर रहा है। हमें यहां बिहार की आवाज को बार-बार उठाना पड़ता है क्योंकि मंत्रिमण्डल में भी अंधेरा है। वहां पर कोई भी बिहारी चिराग नहीं जल रहा है। इसलिए सारी उम्मीद मंत्री जी से है। मैं आपके जिरए प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि बिहार के बंटवारे के बाद, बिहार को जो हक मिलना चाहिए था वह क्यों नहीं मिला? आज तीन हजार मेगावाट से ज्यादा की हमारी खपत है और आप हमें 1800 मेगावाट देते हैं। जिसमें ऐसी जगह से बिजली देते हैं, जहां पॉवर स्टेशन खराब ही रहे। हमें कभी भी हजार मेगावाट से ज्यादा बिजली नहीं मिल पाती है। पहला प्रश्न है कि क्या मंत्री जी आज यह घोषणा करेंगे कि बिहार का जो कोटा है वह पूरा मिलेगा या नहीं मिलेगा? दूसरा प्रश्न यह है कि ... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You can put only one question.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: महोदय, दूसरा प्रश्न नहीं है बल्कि उसी का बी पार्ट है। आधे घंटे की चर्चा है और जो बातें जगदानंद बाबू ने कह दी है मैं उनको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को उससे सम्बद्ध कर रहा हूँ। लेकिन बिहार में इतना दर्द है कि अगर आप उसको एक ही प्रश्न में लेंगे तो दिक्कत होगी। मैं आपके माध्यम से उसका जो बी पार्ट है वहीं कह रहा हूँ कि जब अरूणाचल प्रदेश के सुबनसीरी पॉवर प्रोजेक्ट से हम लोगों को बिजली मिलनी थी और बिहार सरकार ने एग्रीमेंट भी किया था। आखिर क्या कारण है कि बिहार को जो बिजली मिलनी थी वह नार्थन ग्रिड को दे दी गई, बिहार को क्यों नहीं दी गई। यह बी पार्ट है। सभापति जी, बिहार में जो बिजली प्रोजेक्ट लग रहे हैं, जो अभी वर्तमान में है उसमें कोयला ...(व्यवधान) सभापति जी, प्रश्न काल में भी इससे ज्यादा समय मिल जाता है।

_

^{*} Not recorded.

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister has to reply also. Please understand that. श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: सभापित जी, आप मुझे एक 1 मिनट 35 सैकेंड का समय दे मैं उसी में अपनी बात खत्म कर दूंगा।

...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Do not disturb him. Quickly let him answer.

... (Interruptions)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: मैं आपके माध्यम से सी-पार्ट पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी से बिहार के सांसद मिले थे और यह वचन मिला था कि जो पॉवर स्टेशन वहां लगेगा, उससे उत्पादित बिजली से 50 परसेंट वहां के लिए मिलेगा, आपने यह नीति भी बनायी है। हुआ में अभी कमीशन नहीं हुआ है, वहां की 50 परसेंट पॉवर आप बिहार को क्यों नहीं दे रहे हैं? यह सी-पार्ट है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Do not ask 'A' 'B' 'C'; ask only one question.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: महोदय, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं।...(व्यवधान) महोदय, मेरे साथ अन्याय नहीं हो सकता। यह बिहार का सवाल है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Bishnu Pada Ray.

... (Interruptions)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: महोदय, मेरा एक पार्ट शेष है, यह जो राजीव गांधी विद्युतीकरण है, बिहार में सिर्फ साइन बोर्ड बचा है, ट्रांसफॉर्मर गायब, तार गायब, वित्तीय एवं रेवेन्यू विलेज के नाम पर...(व्यवधान) महोदय, मुझे इसे पूरा कर लेने दीजिये।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Bishnu Pada Ray.

... (Interruptions)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में वे ट्रांसफॉर्मर बदले जायेंगे या नहीं?अभी वहां पर 16 और 40 केवीए के ट्रांसफॉर्मर हैं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You have to cooperate with the Chair. It is a Half an Hour discussion. Another 10 minutes are left only; otherwise the Minister cannot reply.

... (Interruptions)

श्री सेयद शाहनवाज़ हुसैन : जब आपने मेरा नाम पुकारा था तो में बैठ गया था।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: If the Members are not cooperating, the Minister cannot reply to your questions that you have raised.

Shri Bishnu Pada Ray.

... (*Interruptions*)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: महोदय, इतने समय में मैं पूरा कर देता। जो गांव के लोग हैं, अमीर, गरीब लोगों के बीच में एपीएल, बीपीएल का झगड़ा हो रहा है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Kindly understand it; you are a senior Member. Cooperate with the Chair.

... (Interruptions)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: महोदया, मेरी एक लाइन रह गयी है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing else will go on record.

(Interruptions) ...*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: एपीएल, बीपीएल को नहीं मिल रहा है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record.

(Interruptions) ... *

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: महोदय, बिहार का सवाल है।...(<u>व्यवधान</u>) महोदय, मेरे सवाल का डी पार्ट बच गया है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You know the rules and regulations. Only one minute you had to take to put questions but you have taken five minutes. And you still are going on explaining this. How to run the House? You tell me.

... (Interruptions)

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): महोदय, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में असेम्बली नहीं है। हमारे द्वीपसमूह में करीब-करीब चार हजार ऐसे परिवार हैं, जो फॉरेस्ट एन्क्रोचमेंट में 50-60 साल से बैठे हैं। उनके घरों में बिजली नहीं है, उनके बच्चों ने कभी बिजली नहीं देखी है। हाई कोर्ट ने कहा ने कि बुनियादी सुविधा जैसे बिजली, पानी आदि देना है। मैं केंद्र सरकार से मांग करूंगा की शहर में 24 घंटे बिजली मिलती है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में जो लोग फॉरेस्ट एन्क्रोचमेंट में बैठे हैं, क्या उन्हें बिजली मुहैया करायी जायेगी? हमारे द्वीपसमूह में कुछ गांव हैं, जैसे सोलबे, सागर द्वीप आदि रेवेन्यू गांव में सात से दस घंटे बिजली मिलती है, क्या आप रेवेन्यू गांव में 24 घंटे बिजली देंगे। ये मेरे दो सवाल हैं। जय हिन्द।

_

^{*} Not recorded.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, आपने मुझे आधे घंटे की चर्चा में प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। विद्युत की समस्या देश की समस्या है। आम लोगों की लाइफ लाईन बिजली है, विद्युत है। मैं उत्तर प्रदेश की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां की 20 करोड़ की आबादी है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। वहां पर पुराने तमाम थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, चाहे वे कोयले से, गैस से, पानी से या एटॉमिक जो भी विद्युत उत्पादन हो रहा है, वे पुराने हैं। क्या उनकी मरम्मत के लिए केंद्र सरकार कोई व्यवस्था कर रही है, क्या उनके लिए केंद्र सरकार कोई स्पेशल पैकेज दे रही है? मेरी दूसरी बात यह है कि जो दादरी प्रोजेक्ट गाजियाबाद में है, क्या उसे गैस देकर उसे चालू कराने की आपके पास कोई योजना है? उसे केंद्र सरकार गैस देगी या नहीं। यदि वह प्रोजेक्ट चालू हो जाता है तो पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों को भी हम बिजली दे सकते हैं। मेरे इन दो प्रश्नों का जवाब माननीय मंत्री जी दें।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: महोदय, जब आपने मेरा नाम पुकारा था तो मैं बैठ गया था। ...(व्यवधान)

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): सभापित महोदय, राजस्थान में 330 मेगावाट की तीन, धौनपुर विस्तार, कोटा एवं छाबड़ा और एक हजार मेगावाट की केशोरायपान गैस परियोजना शुरू करने वाले हैं, उसकी क्या सिचुऐशन है। मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Now, hon. Minister will reply.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. Let the hon. Minister to reply.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, please reply.

... (Interruptions)

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): सभापित महोदय, मैं श्री जगदानंद सिंह जी का आभारी हूं...(व्यवधान) जिन माननीय सदस्यों के प्रश्न छूट गए हैं, वे मुझे लिखित में दे दें। मैं उनका पूर्ण समाधान करूंगा, क्योंकि बिजली ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record, except hon. Ministers' reply.

(Interruptions) ...*

MR. CHAIRMAN: Please take your seats. Let the hon. Minister to reply.

... (Interruptions)

श्री सुशीलकुमार शिंदे: महोदय, मैं सम्मानीय सदस्य श्री जगदानंद सिंह जी का बहुत आभारी हूं...(व्यवधान) मैं सबकी तरफ आऊंगा। पहले बिहार पर फिर उत्तर प्रदेश पर...(व्यवधान) मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने यह मसला सदन में उठाया।

महोदय, बिहार में दिक्कतें तो बहुत हैं और इसे देखकर दुखः भी होता है कि वहां बिजली की कमी है, उत्तर प्रदेश में भी कमी है। मुझे भी बुरा लगता है। लेकिन हम यह न भूलें, जो लोग सरकार में भी हैं, वह आज इस तरह बातें करते हैं...(व्यवधान)

महोदय, बिजली भारतीय संविधान की कन्करन्ट लिस्ट में है और हर राज्य को बिजली निर्माण का काम करना चाहिए। भारत सरकार केवल सप्लीमेंटरी काम करती है। सरकार में रहने वाले लोगों को भी यह बात पता है। जगदानंद जी ने जो बात कही है कि बिहार नैग़लैक्टिड रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि 95 प्रतिशत बिजली, 1 हजार 727 से 1773 मेगावाट सेन्ट्रल जनरेशन स्टेशन से ही बिहार में जाती है। 9वीं, 10वीं और 11वीं योजना में एक मेगावाट बिजली का निर्माण भी वहां नहीं हुआ। बिहार में केवल 50-60 मेगावाट बिजली का निर्माण होता है। मेरे पास तो पूरा रिकार्ड है। जब राज्य अपने लोगों को बिजली देने का प्रयास नहीं करते हैं तो भारत सरकार सब कुछ कैसे कर सकती है।...(व्यवधान) इसको कन्करन्ट लिस्ट में इसीलिए रखा गया है...(व्यवधान) अभी मुझे बोलने दीजिए।

महोदय, मैं जगदानंद जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी भी साइड रखी और सरकार का भी उन्होंने अभिनंदन किया।

18.00 hrs.

उन्होंने यह भी कहा कि आज इस देश में जो बिजली निर्माण का काम हो रहा है, उसे मैं करेक्ट करना चाहता हूं।



^{*} Not recorded.

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, please wait for a minute.

Now, it is six o' clock. After the hon. Minister's reply, there are three Members to raise their Matters of Urgent Public Importance. If the House agrees, we can extend the time of the House till these are over.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: The time of the House is extended till 'Zero Hour' is completed.

Now, Mr. Minister, you can continue your reply.

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): इस देश में 1,80,000 मेगावाट बिजली के उत्पादन की कैपेसिटी है। मैं केवल थोड़े से मालूमात देना चाहता हूं।

सभापित महोदय, दसवीं पंचवर्षीय योजना में टारगेट था 42000 मेगावाट और केवल पांच सालों में 21,000 मेगावाट एडीशन हुआ है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में चार गुना ज्यादा टारगेट दिया गया। उस समय इस देश में कारखाने भी नहीं थे। केवल भेल की एक कंपनी हमारे पास थी। सब ऑर्डर बाहर जाते थे। कहां बनाएं? अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखें। जब हमने स्वतंत्रता हासिल की तो 1362 मेगावाट बिजली हमारे देश में थी। आज 180000 मेगावाट की बिजली हम अपने देश में निर्माण कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, दसवीं पंचवर्षीय योजना में यह 21000 मेगावाट हो गयी। अभी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के पूरे होने में छः-सात महीने बाकी हैं। आपने 62000 मेगावाट की बात कही, जो मिड टर्म अप्रेज़ल का हमें टारगेट दिया गया ...(व्यवधान) आप रहे, हम रहे, चाहे कोई रहे, यह नहीं कर सकता।

सभापित महोदय, अगर आपने नौंवी और दसवीं पंचवर्षीय योजना को लेकर कर गिनती की तो आज उससे भी ज्यादा बिजली निर्माण हो गयी है। यह कोई आसान बात नहीं है। आज 40000 मेगावाट से अधिक को एडीशनल बिजली तैयार हो गयी है। केवल एक साल में 15,795 मेगावाट की बिजली सिंक्रोनाइज्ड हो गयी है और 12160 मेगावाट की बिजली एक्चुअल कमीशन में हो गयी है। मुझे बताइए अभी तक किस साल में इतना काम इस देश में किसी ने किया था? हम प्रयास कर रहे हैं। आपने जो फिगर दिए, वह कम है। मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन, जो उन्होंने कहा कि हमारे पास बिजली की कमी थी। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि हमारा पीक लोड और पीक शॉर्टेज कितना था। एक वक्त था, जब मैं आया था, तब इसका पीक शॉर्टेज 14 प्रतिशत था और आज यह नौ प्रतिशत आ गया है। उस वक्त एनर्जी शॉर्टेज जो लगभग 10 प्रतिशत थी, वह अब पांच प्रतिशत पर आ गई है। बिजली निर्माण के बिना इस तरह की कमी नहीं हो सकती है, यह भी मैं आपके ख्याल में लाऊंगा।

सभापित महोदय, यूपीए सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया है। इस देश में 115000 देहातों और उनके मजरों में एक बिजली का बल्ब भी नहीं जलता था। इस सरकार ने यह निर्णय ले लिया। मेरे पास वह फिगर्स भी हैं कि पहले किस प्रकार की योजना थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में एक लाख घरों तक बिजली पहुंचाने की जो योजना थी, उसमें क्या हुआ? उसमें यह हुआ कि केवल उस गांव तक कनेक्शन पहुंचाने का काम हुआ। लेकिन, यूपीए सरकार ने राज़ीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 90 प्रतिशत सब्सिडी दी है, 10 प्रतिशत राज्य सरकारों को वहन करना पड़ेगा।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): उत्तर प्रदेश में केवल दो जिलों को छोड़कर कहीं नहीं गयी है। ...(व्यवधान)

श्री सुशीलकुमार शिंदे: मैं आपकी जानकारी के लिए यह सब बता रहा हूं। हमने ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में बिजली निर्माण और बिजली देने का काम किया है।

हम जो बिजली देने का काम कर रहे हैं तो पहले गांव में बिजली ग्राम पंचायत और स्कूल में आनी चाहिए, बीपीएल के श्रेणी के लोगों को देनी चाहिए। गांव में दस प्रतिशत घरों में बिजली आनी चाहिए, ग्राम पंचायत को उस तरह का सर्टिफिकेट देना चाहिए, तभी हम मानते हैं कि उस गांव में बिजली गई है, नहीं तो नहीं मानते हैं, क्योंकि अभी तक खाली एक खम्भा लगाने का काम वहां करते थे। अभी हमारे पास जो रिवाइज्ड फीगर्स हैं, वह एक लाख दस हजार का लक्ष्य 📇 उसमें से हमने 98 हजार गांव इलैक्ट्रिफाइ किए है और जो थोड़ा सा पीरियड रह गया है, उसमें बचे गांवें ये कर देंगे। हमने मजरों के लिए तीन सौ के ऊपर लोक संख्या का प्रमाण माना था, इस सदन में भी यह मांग आ गई थी कि पापूलेशन के सौ के ऊपर लेना चाहिए। हमने यह बताया है और प्लानिंग कमीशन के सामने भी रखा है कि हमारी यह मांग है, यह योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना में कंटीन्यू रहनी चाहिए। हमें शुरुआत में पांच हजार करोड़ की पूंजी मिली थी, दसवीं पंचवर्षीय योजना के दो साल रह गए थे। उसके बाद हमें ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 28हजार की पूंजी मिल गई। ये सब खर्चे हो रहे हैं। ...(व्यवधान) मैं बिहार के बारे में भी बोल रहा हूं। आप मेरी बात सुनेंगे तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में भी मैं ठीक तरह से बोलूंगा।...(व्यवधान) मैंने आप सब को बोला है कि आप लिखित में दे दें, मैं आपको उसका उत्तर लिखित में भेज दूंगा। अभी सुनने का थोड़ा कोआपरेशन करें। देश के लिए ये सब काम हम कर रहे हैं। यह कोई मेरे घर का काम नहीं है, अपने देश के लिए हम कर रहे हैं। यह जो अभी ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, यह बात सही है कि जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिहार के आ गए थे, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण में, बिजली योजना में मैन इसका इंटेंशन यह है कि हर घर में दो बल्ब की बिजली देना इस योजना के अंदर आता है। जिस बिजली पर आप इस्त्री भी

चलाएं, पानी भी गर्म करें, अन्य भी कुछ काम करें, ये होगा तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा। तब भी बिहार एक स्पेशल केस है।...(व्यवधान) डीपीआर उनसे मांगे हैं। ये जलने वाले जो भी केस हैं, डीपीआर दे दो, अभी तक डीपीआर नहीं आए हैं।...(व्यवधान) आप जाकर बोलो। ...(व्यवधान) जो थोड़ा सा पैसा बचने वाला था, हमने यह सोचा था कि हमारा थोड़ा सा पैसा बच जाएगा तो हम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण का और भी थोड़ा सा एक्सटेंशन कर देंगे, इस प्रकार की बातें हम कर रहे थे। कई सदस्यों की यह मांग थी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट नहीं आए हैं, क्योंकि हमने इस पर पहला निर्णय ले लिया था कि हमारा जो इंटरनेशनल बार्डर है, वहां हम पहला लगाएंगे। दूसरी बात हमने यह की कि जहां हमारे नक्सलाइट एरियाज़ हैं, वहां प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद थोड़ा सा देखेंगे। अभी हमने जो छ: हजार करोड़ के लिए एक स्पेशल,...(व्यवधान) MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the reply of the hon. Minister.

(Interruptions) ... *

श्री सुशीलकुमार शिंदे: आप पहले मेरी पूरी बात सुन लें। छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु आदि 32 डिस्ट्रिक्ट इनमें से अभी ले लिए हैं। उसके लिए छ: हजार करोड़ की पूंजी अभी हम खर्च कर रहे हैं।

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, you please address the Chair.

श्री सुशीलकुमार शिंदे: सभापित जी, यह बात सही है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना यू.पी.ए. सरकार एक प्रमुख योजना है। आपने यह योजना तो ले ली, आपने कुटीर योजना ले ली, लेकिन इस देश में कुछ काम नहीं हुआ। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना भारत सरकार का इतना बड़ा हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, हम इसमें इतना पैसा दे रहे हैं और यही नहीं...(व्यवधान) जहां बिजली की बात जो अभी कह रहे थे, 27 परसेंट तक हम यहां डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज़ लाये हैं। इसे हम 15 तक करना चाहते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने 51 हजार करोड़ रुपये की पूंजी दे दी है और ए.पी.डी.आर.पी. योजना के अन्तर्गत हमने इस देश में इस योजना की दो योजनाएं, ए. और बी. हैं। ए योजना में तो हर जगह आई.टी. एनेबल्ड हमने योजना लगाई है, यह लगाने के बाद कहीं अगर बिजली की चोरी होती है तो वह मालूम हो

^{*} Not recorded.

जायेगा। स्काडा का भी यूनिट लगा है। मेरे पास उसकी फीगर्स हैं, लेकिन मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा। मैं इतना ही कहूंगा...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान: यू.पी. वाले का तो डी.पी.आर. भी बना हुआ है।...(व्यवधान)

श्री सुशीलकुमार शिंदे: अभी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आप लोग क्या बोल रहे हैं।

सभापति जी, अभी दादरी का जो सवाल है...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record, except the Minister's reply.

(Interruptions) ... *

श्री सुशीलकुमार शिंदे: सभापित जी, जो दादरी का सवाल उठाया है, उसमें अभी गैस उपलब्ध नहीं है। जैसे ही गैस मिल जायेगी, ये सभी चीजें हमने रिकमेण्ड करके रखी हैं, और भी रिकमेण्ड कर रहे हैं। मैं सम्माननीय सदस्यों को कहूंगा कि आप...(व्यवधान)

श्री विष्णु पद राय: सभापति जी, अंडमान आपके अंडर में है, अंडमान का आप कब करेंगे? ...(व्यवधान)

श्री सुशीलकुमार शिंदे: ठीक है। मैं अण्डमान का भी बोलूंगा। अण्डमान तो सब डीजल पर चलता है। ...(व्यवधान) अरे भाई, ठहरिये न, एक-एक का जवाब होने दीजिए। अभी सभापति जी ने बोला है। अण्डमान तो डीजल पर चलता है। जो भी आपका कहना है, वह वहां से पूछ लेंगे और वह करैक्ट कर दिया जायेगा। ...(व्यवधान) देखिये, यू.पी. की भी वही हालत है कि आपने बिजली निर्माण का काम नहीं किया है।...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान: क्यों नहीं किया है। हम 6300 से 8000 मैगावाट पर गये हैं। आप कोयला नहीं दे रहे हैं। अभी तक आपने कुछ नहीं दिया है। जो भी किया है, यू.पी. की सरकार ने किया है, आपने कुछ नहीं किया है।...(व्यवधान)

श्री सुशीलकुमार शिंदे: ऐसा नहीं करें, बैठिये न। सभापति महोदय, मैंने सम्माननीय सदस्यों को कल भी कहा था...(व्यवधान) शाहनवाज़ जी, ऐसा नहीं चलेगा, इस तरह नहीं चलेगा। ...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : हमारे यहां डिमांड सप्लाई का गैप है।...(व्यवधान)

श्री सुशीलकुमार शिंदे: इस तरह से नहीं चलेगा, मैं बोलता हूं।

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, you address the Chair.

...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record, except the Minister's reply.

_

^{*} Not recorded.

(Interruptions) ...*

श्री सुशीलकुमार शिंदे: जो डिमांड है और सप्लाई है...(<u>व्यवधान</u>) उसमें मैं बोलता हूं, आप सुनते नहीं तो मैं क्या करूं। जो डिमांड और सप्लाई है, मैंने फीगर बताई कि देश में एनर्जी कितनी शॉर्टेज है और पीक शॉर्टेज कितनी है। हमारे यू.पी. के जो सम्मानीय सदस्य हैं, मैं यू.पी. के बारे में कह रहा हूं कि उनका जो कुछ मामला है, मैं उनके साथ बैठूंगा और जो आपका कहना है, मैं उस सब का छुटकारा करके दूंगा, आप फिक्र नहीं करें। धन्यवाद।...(व्यवधान)

At this stage Shri Shailendra Kumar and some other hon. Members left the House

...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: The House will now take up, 'Zero Hour'.

Shri Hamdullah Sayeed.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record, except the Member's speech.

(Interruptions) ...*

-

^{*} Not recorded.

SHRI HAMDULLAH SAYEED (LAKSHADWEEP): Sir, I would like to draw the attention of the House and also the Government that in my constituency, Lakshadweep group of islands, there is severe sea erosion and this sea erosion is because of climate change.... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the Member's speech.

(Interruptions) ...*

SHRI HAMDULLAH SAYEED :We all know that climate change is a global phenomenon and not a regional phenomenon.

In all the islands, there is severe erosion. I would like to mention here that land has been washed away in Lakshadeep Group of Islands creating a gap of about 53 meters. ... (*Interruptions*) The workers who had been working there, they terrified when the sea water came... (*Interruptions*). They had to run for their lives ... (*Interruptions*).

I would urge the Government of India and especially I would urge the Ministry of Environment and Forests that they depute an expert team to enquire about sea erosion and a mechanism has to be evolved and implemented so that sea erosion could be avoided.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापित महोदय, देश में नौ जातियों के नाम पर रेजीमेंट्स हैं।..(व्यवधान) राजपूत रेजीमेंट, महार रेजीमेंट, राजपूताना राइफल, सिख रेजीमेंट, गोरखा रेजीमेंट, मराठा रेजीमेंट सिहत नौ जातियों के नाम पर रेजीमेंट्स हैं। ...(व्यवधान) सन् 1942-43 में चमार रेजीमेंट का गठन हुआ। ...(व्यवधान) जिस समय द्वितीय महायुद्ध शुरू हुआ था, उस समय चमार रेजीमेंट का गठन हुआ। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please sit down and take your seat. Half an hour discussion means, he will initiate and discuss it for 10 minutes. Afterwards, four Members who have got priority in the ballot will put four questions with one minute each.

^{*} Not recorded.

You have already discussed it and hon. Minister has replied. If you are not satisfied, you write and he will give reply further.

... (*Interruptions*)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, तब चमार रेजीमेंट का गठन हुआ और ...(<u>व्यवधान</u>) वर्ष 1942 से 1946 तक चमार रेजीमेंट देश के लड़ती रही, ...(<u>व्यवधान</u>) लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ ...(<u>व्यवधान</u>) MR. CHAIRMAN: Please be brief.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, अंग्रेजी सल्तनत ने चमार रेजीमेंट को समाप्त कर दिया। ...(व्यवधान) उन लोगों पर आरोप था कि नेता जी सुभाष चंद्र बोस की जो जय हिंद फौज है, उससे उनका संपर्क है और देश की आजादी के लिए वह भी लड़ रहे हैं। उन लोगों ने विरोध किया चमार रेजीमेंट को खत्म नहीं होना चाहिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Let him speak.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मैं कोई नई मांग नहीं कर रहा हूं। ...(व्यवधान) उसमें जो हरियाणा चमार संघर्ष समिति है, पंजाब चमार महासभा है ...(व्यवधान) सब लड़ाई लड़ रहे हैं। ...(व्यवधान) उस समय के चमार रेजीमेंट के जिन 47 फौजियों को सजा दी गयी...(व्यवधान) जेल में उन्हें डाला गया। ...(व्यवधान) उन्हें सजा दी गयी, जिनमें जोगीराम और धर्मसिंह दो फौजी अभी जीवित हैं। ...(व्यवधान) 47 फौजियों के नाम मेरे पास हैं, ...(व्यवधान) में सदन के समक्ष उसे जमा करता हूं। ...(व्यवधान)

18.18 hrs.

At this stage Shrimati Rama Devi and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

डॉ. **रघुवंश प्रसाद सिंह** : मैं सरकार से मांग करता हूं कि देश में जिसकी आबादी 11 करोड़ है, ...(<u>व्यवधान</u>) अनुसूचित जाति में जिनका मान बढ़ा हुआ है, ...(<u>व्यवधान</u>) अंग्रेजी सल्तनत में चमार रेजीमेंट था ...(<u>व्यवधान</u>) उस चमार रेजीमेंट को समाप्त किया, ...(<u>व्यवधान</u>) इसलिए चमार रेजीमेंट को रिवाइव किया जाए। ...(<u>व</u>्यवधान) मेरी मांग है कि इन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया जाए।

MR. CHAIRMAN: Shri Ghanshyam Anuragi is allowed to associate himself on the issue raised by Dr. Raghuvansh Prasad Singh.

The House stands adjourned to meet tomorrow on 30th August at 11.00 a.m.

18.19 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, August 30, 2011/Bhadra 8, 1933 (saka).

